Page No 1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का चौथा दिवस { संख्या ४

गुरुवार, ३ दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजकर १ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि, गृह, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत, यातायात, श्रम, पंचायत, खाद्य एवं नागरिक रसद, तथा वन—विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ९५

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

ग्राम पंचायतों और तहसील पंचायतों के कुछ पंच व सरपंचों के विरूद्ध कार्यवाही

९६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों और तहसील पंचायतों के कुछ सरपंच व पंचों के खिलाफ एन्टीकरप्शन विभाग द्वारा रिश्वत लेने और डवलपमेंट की व जल बोर्ड की रकमें गबन करने के केसेज़ रजिस्टर हुए हैं ?

(२) अगर हां, तो किन किन पंचायतों के और सरकार ने उन पर क्या एक्शन लिया ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) चाही गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने बताया कि ३७ केसेज तहसील पंचों और सरपंचों के खिलाफ भ्रष्टाचार के दर्ज हुए हैं। चालान के लिए तीन केसेज की सूचना दे दी, बाकी के लिए नहीं दी, इसका क्या कारण है ?

Page No 2

श्री दौलतराम सारण : कुछ में जांच चल रही हैं और कुछ में अदमवकुआ करार दे दिये गये हैं। अलग अलग केसेज़ की अलग अलग स्थिति हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नगर के सरपंच के लाफ केस नं० २०२ (५८) केस नं० ९६ (५९) दर्ज है। किस किस्म के ये केस हैं, कब दायर हुए, स्वीकृति चालान की कब मांगी गई और अब तक न देने के कारण क्या हैं ?

श्री दौलतराम सारण : अलग अलग केसेज के लिए अलग से पूछा नहीं था। आपका प्रश्न यह है: '(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों और तहसील पंचायतों के कुछ सरपंच व पंचों के खिलाफ एन्टीकरप्शन विभाग द्वारा रिश्वत लेने और डेवलपमेंट की व जल बोर्ड की रकमें गबन करने के केसेज़ रजिस्टर हुए हैं ?' उसकी सूचना हमने आपको दे दी है। इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न है कि "अगर हां, तो किन किन पंचायतों के और सरकार ने उन पर क्या एक्शन लिया ?" इसका भी जवाब हमने इस सूचना में दे दिया। फिर और अलग से मामलों के लिए पूछें तो उसकी सूचना भी दी जा सकती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने एक्शन क्या लिया, उसका क्या जवाब दिया ?

श्री दौलतराम सारण : जो एक्शन लिया, जांच हुई उसमें यह दर्ज कर दिया गया। कुछ में जांच हो रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अर्ज करूं कि तीन पर एक्शन लिया। केस नं० २५८ नगर के लिए दर्ज है, ९६-५९ भी दर्ज है तो उसकी स्वीकृति अब तक न देने के क्या कारण हैं ?

श्री दौलतराम सारण : कितने नम्बर पर ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : २३ नम्बर पर है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : इस प्रश्न में सूची सदन की मेज पर रखने के लिए नहीं कहा गया था। किन किन पंचायतों के खिलाफ इस प्रकार के केसेज़ हैं तो उनको पढ़ कर सुनाना चाहिये ताकि मालूम हो सके।

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बी सूची है।

श्री दौलतराम सारण : यदि आज्ञा हो तो पढ़कर सुना सकता हूं।

स्वायत शासन मन्त्री, (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जो सूचना पूछी उसका जवाब दे दिया। क्या एक्शन लिया यह भी लिखा हुआ है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : चालान की स्वीकृति न देने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो जो है उसकी सूचना दे दी गई है, इसके बावजूद भी और कोई सूचना चाहें तो उसके लिए अलग से पूछिये तो सूचना दी जा सकती है।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : यह पढ़ कर सुनाया जाय कि क्या करप्शन के सारे केसेज़ ही पंचायतों के सरपंच और पंचों के विरुद्ध हैं, क्या सब ही इसमें इन्वोल्व्ड हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : नगर के सरपंच के खिलाफ चालान की स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

Page No 3

श्री श्रीमानसिंह : The House would like to know the names.

श्री अध्यक्ष : It is a very long list.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): दो जिलों की ही सुना दीजिये अलवर और चूरू की।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : लिस्ट सुना दी जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत लम्बी लिस्ट है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बहुत लम्बी लिस्ट है तो मैं सुना दूँ। नगर के बारे में मैंने जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : उनके पास इससे ज्यादा जानकारी नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : गत सत्र के अन्दर श्री धारीवालजी ने (श्री रिखबचन्द धारीवाल ने उपमन्त्री गृह) मिनिस्टर की ओर से जवाब दिया था, नगर के सरपंच के खिलाफ चालान सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा है इसको एडमिट किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और अधिक डिटेल्स आप जानना चाहें तो इसके लिये सवाल पूछ सकते थे।

श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर): अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं होती हैं तो जवाब ही क्यों देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो लिस्ट आपने दी है उसमें करप्शन के केसेज़ हैं या गबन के केसेज़ हैं यह तो थोड़ा क्लीअर कर दिया जाय। क्या पंच घूंस लेते हैं या किस प्रकार के गबन करते हैं ये तो बता दिये जाय।

श्री अध्यक्ष : ये सारे फेक्ट्स इस समय नहीं हैं। जो केसेज की लिस्ट आपको दी है उसमें ऐसे केसेज हैं जिनके लिये सरकार की ओर से पर्मिशन दी जानी चाहिये या देना लाज़िमी है वे केसेज ही इस लिस्ट में हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस लिस्ट में १२१ के केसेज भी हैं, ४०९ के भी हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने फरमाया है कि यह लिस्ट उन केसेज़ की है जिन केसेज़ में चालान की इज़ाजत देना लाज़िमी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि नगर के सरपंच के खिलाफ़ दो केसेज़ हैं—एक में २०० रुपये के गबन के और दूसरे में क़रीब १०० रुपये के गबन के उनको चालान क्यों नहीं देते ऐसा क्या आपका मर्जीदान है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नगर के बारे में ही आप सवाल पूछते तो सारी डिटेल्स में जानकारी दे सकता था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिला परिषद् और पंचायत समिति के चुनाव के बाद उनसे वोट लेने के बाद तो आप चालान की इजाजत दे देते।

श्री मुरलीधर व्यास : ये जो केसेज हैं, और जिनके खिलाफ हैं वे किसी राजनैतिक पार्टी के सदस्य हैं क्या ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : सभी कांग्रेस के हैं।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सोशिलिस्ट पार्टी के भी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर कांग्रेस के सदस्य हैं तो सोचने की बात है।

श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना-सु०) : पंचायतों के चुनाव दलबन्दी के आधार पर नहीं होते।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब तो जल्दी स्वीकृति देंगे या नहीं, यह तो बता दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे जबानी याद नहीं है कि क्या मामला है।

श्री अध्यक्ष : पेन्डिंग सारे केसेज़ को आप जल्दी तय करवा दीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर किसी दल विशेष के सदस्यों के खिलाफ ये केसेज़ हैं तो यह स्वाभाविक ही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सुजान गंगा नहर में हरी बेल की उत्पत्ति को रोकना

९७. **श्री गोवर्धनसिंह केन** (बयाना सु०): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) भरतपुर दुर्ग के चारों ओर सुजान गंगा नहर के अन्दर गत एक साल में पानी में डूब कर कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा इसका मुख्य कारण क्या है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस नहर के अन्दर हरी बेल उत्पन्न होने से वहां का पानी का स्नान के लिये प्रयोग करने से खुजली हो जाती है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इस नहर के चारों ओर कुओं का पानी पीने के प्रयोग में आता है ? यदि हां, तो क्या इस बेल द्वारा पीने का पानी हानिकारक नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसे रोकने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) स्नान करते समय केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।

(ख) इस प्रकार का कोई केस नोटिस में नहीं लाया गया। अब नहर साफ कर दी गई है।

(ग) जी हां, इस बेल को अब समाप्त कर दिया गया है। अतः बेल के द्वारा कुओं के पीने का पानी हानिकारक होने का अब प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ९८

श्री अध्यक्ष : महाराज श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर कोठारी।

चन्द्रभागा प्रोजेक्ट

९९. **श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चन्द्रभागा प्रोजेक्ट के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ ?

Page No 5

(श्री मनोहर कोठारी)

(२) उक्त प्रोजेक्ट के प्रारम्भिक प्रस्ताव में कितना व्यय होने का अनुमान लगाया गया था? दोनों के डिटेल्स सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त प्रोजेक्ट से कितनी भूमि सिंचाई किये जाने का अनुमान था और वास्तव में अभी कितनी भूमि सिंचित हो रही है?

(४) प्राथमिक प्रस्ताव में कितना रिटर्न मिलने का अनुमान किया गया था?

(५) आज उक्त प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न प्राप्त होता है?

(६) क्या यह सत्य है कि उक्त प्रोजेक्ट की मिट्टी ऊसर व रेतीली है जिसके कारण सीपेज बहुत अधिक होता है? उक्त सीपेज रोकने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठाना चाहती है?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) चन्द्रभागा प्रोजेक्ट के निर्माण में अब तक कुल ९.६७ लाख रुपया खर्च हुआ है।

(ख) इसकी प्रारम्भिक अनुमानित लागत का तखमीना ९.०८ लाख रुपयों का खर्च था। डिटेल्स की सूची संलग्न है।

(ग) इस प्रोजेक्ट से सम्पूर्ण विकास होने पर ६,८९० एकड़ भूमि की सिंचाई का अनुमान है। सन् १९५९ में इससे ६३८ एकड़ भूमि को सिंचाई हुई।

(घ) ६.३ प्रतिशत किन्तु निम्न लिखित कारणों से अब रिटर्न, १.६ प्रतिशत रह गया है:—

(१) लाइव स्टोरेज कैपेसिटी में परिवर्तन

(२) सिंचाई की नई दरें

(३) वास्तविक सिंचाई क्षेत्र में कमी।

(ङ) छोटे बन्धों का अलग हिसाब नहीं रखे जाने के कारण सही रिटर्न नहीं बताया जा सकता।

(च) मिट्टी कुछ रेतीली जरूर है परन्तु ऊसर नहीं। जो थोड़ा सीपेज होता है उसे रोकने की खास आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री मनोहर कोठारी: क्या यह सही है कि जिस समय इसका प्रारम्भिक एस्टीमेट तैयार किया गया था उस समय ६ प्रतिशत रिटर्न बताया गया था? आज कितना रिटर्न आ रहा है?

श्री रामकिशोर व्यास: यह सही है कि ६ पर्सेन्ट बताया गया था।

श्री मनोहर कोठारी: अब कितना पर्सेन्ट आ रहा है?

श्री रामकिशोर व्यास: मैंने कहा १.६ प्रतिशत आ रहा है।

श्री मनोहर कोठारी: जो इस बान्ध से छोटी नहरें तालाबों में जाती हैं उनका रिटर्न कितना आता है?

श्री अध्यक्ष: १.६ प्रतिशत माननीय मन्त्री महोदय ने बताया।

श्री मनोहर कोठारी : इस पानी को दूसरे तालाबों में दिया जाकर माइनर इर्रिगेशन के तौर पर इसको संलग्न किया जा सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कमी के रीज़न्स बताये एक तो लाइव स्टोरेज कैपेसिटी में परिवर्तन, दूसरा सिंचाई की नई दरें और तीसरा वास्तविक सिंचाई क्षेत्र में कमी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माइनर इर्रिगेशन रूल्स के अनुसार कितना पर्सेन्ट रिटर्न आना चाहिये जब आप वर्क अन्डरटेक करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : चार पर्सेन्ट था अब वह ढ़ाई पर्सेन्ट पर आ गया है स्केअरसिटी एरिया के लिये दूसरा है।

श्री श्रीभानसिंह : जब इस बान्ध से चार पर्सेन्ट भी रिटर्न नहीं आ रहा है तो इसको आपके विभाग ने अन्डरटेक क्यों किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिस वक्त शुरू किया गया था उस वक्त रिटर्न का अन्दाज ६ पर्सेन्ट का था।

श्री श्रीभानसिंह : जिस व्यक्ति ने गलत पर्सेन्ट बताया और वह नहीं आ रहा है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिटर्न कम आने के मेन रीजन्स आपको बता दिये हैं।

श्री श्रीभानसिंह : यह तो फेवरिटिज्म है। हमारे यहां तो फोर पर्सेन्ट रिटर्न पर भी बान्ध नहीं बनाते।

श्री रामकिशोर व्यास : भरतपुर के लिये जितनी बड़ी स्कीम्स हैं उतनी दूसरी जगहों के लिये कहीं नहीं हैं।

श्री श्रीभानसिंह : जिस आधिकारी ने गलत पर्सेन्टेज आपको दिया, क्या आपने उस अधिकारी का एक्सप्लेनेशन कॉल किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको रिटर्न आने के रीजन्स बता दिये हैं।

श्री श्रीभानसिंह : एस्टीमेट के अनुसार उस एरिया में ६ हजार बीघा की सिंचाई होने का है वह क्यों नहीं हो रही और उस हिसाब से रिटर्न क्यों नहीं आ रहा हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तो बांध पूरा कम्पलीट नहीं हुआ। ५८-५९, पार साल में इर्रिगेशन शुरू किया है।

श्री श्रीभानसिंह : कितना बान्ध का भाग कम्पलीट होने पर यह बांध चार ६ पर्सेन्ट रिटर्न देगा।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जवाब में कहा १.६ रिटर्न है।

श्री मनोहर कोठारी : जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कुछ रेट्स के कारण दिक्कत पड़ रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दो नहरें बनी हुई हैं उनमें से एक नहर से आसपास के गांव के लोग पानी मांग रहे हैं, पूरे रेट्स देने के बाद भी उनको पानी नहीं दिया जाता है जब कि पास में सीपेज बना हुआ है। क्या उनको पानी देने का आश्वासन आप दे सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : है तो जरूर देंगे।

Page No 7

श्री श्रीभानसिंह : १.६ प्रतिशत रिटर्न आपके इस बांध से है। क्या कम्पलीट होने पर ६ पर्सेन्ट रिटर्न देने लग जायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : १.६ पर्सेन्ट रिटर्न कम्पलीट होने पर होगा।

श्री मनोहर कोठारी : लोग वहां के मांग कर रहे हैं और पूरी रेट देना चाहते हैं। वहां पर पानी की आवश्यकता है, सीपेज बनाया हुआ है उससे आसपास के गांवों में पानी दिया जा सकता है। क्या आप इस तरह का आश्वासन दे सकते हैं कि उनको पूरी रेट्स देने पर पानी दिया जा सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पानी दिया जा सकता है तो दिया जायेगा।

श्री मनोहर कोठारी : सीपेज बनाया हुआ है तो फिर पानी देने में क्या एतराज है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पोसीबल पानी है तो must be given.

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

ग्राम नौनेरा (इटावा) में औषधालय खोलना

१००. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें:—

क्या सरकार ग्राम नौनेरा, तहसील इटावा में औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो वह कब तक खुल जावेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इस स्थान का नाम रिकमन्ड नहीं किया गया, इसलिये विचार नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री पी० के० चौधरी।

पशु पालन द्वारा श्री गुरुदत्त, शीप रिसर्च ऑफिसर के विरुद्ध हुई जांच की रिपोर्ट पेश किया जाना

१०१. **श्री पी. के चौधरी** (फुलेरा) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

तत्कालीन भेड़ व ऊन विभाग के उप-संचालक, श्री केशोट ने श्री गुरुदत्त, शीप रिसर्च ऑफिसर के आचरण के विरुद्ध जो जांच सन् १९५७ में की थी, उसकी रिपोर्ट पशु पालन विभाग द्वारा सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की गई है या नहीं ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): जी नहीं।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह बात सही है कि जब ५६ में the then Officer In-charge sold quite a number of approved breeds there and replaced them by purchasing some unapproved cattle from Kasai Khana.

श्री दौलतराम सारण: इस तरह की शिकायत आई और उसकी जांच करवाई गई थी। पर जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं हुई। वह उस समय के संचालक उद्योग व वाणिज्य विभाग के पास की गई और उन्होंने उसको ओ. एस. डी. को जांच के लिए दे दी। होम डिपार्टमेन्ट को भेजी गई। फिर एन्टी करप्शन के स्पेशल आई. जी. जो थे उनके पास चली गई। अब एन्टी करप्शन विभाग में जांच के अन्तर्गत है।

Page No 8

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या आपने उनको रिमाइन्डर किया ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उत्तर नहीं में दिया गया, जब कि आप यहां कह रहे हैं कि जांच चल रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो यह है कि रिपोर्ट प्रस्तुत हुई या नहीं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह समझ में नहीं आया। पहले 'जी नहीं' कैसे कहा गया जब कि जांच भी इसकी हुई और मामला आज भी एन्टी करप्शन विभाग में है।

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं, प्रश्न जैसा था उसके अनुसार मैंने 'जी नहीं' में उत्तर दिया। प्रश्न यह है 'तत्कालीन शीप रिसर्च ऑफिसर के आचरण के विरुद्ध जो जांच की थी उसकी रिपोर्ट सरकार के सन्मुख प्रस्तुत की गई है या नहीं।' अब वह रिपोर्ट पशु पालन विभाग द्वारा सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए 'जी नहीं' कहा।

श्री श्रीभानसिंह : तो उन हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट ने सरकार के पास रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ५७ में इसकी जांच हुई थी वह कम्पलीट नहीं थी। वह कम्पलीट हो भी नहीं पाई और न वहां पेश हुई, न यहां आई। इसी दौरान में एन्टी करप्शन विभाग में वह मामला और उसके सब कागज मंगा लिये गये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इसके माने यह हुए कि एन्टी करप्शन में मामला चला जाने के कारण अब सरकार डिपार्टमेन्टल एक्शन भी नहीं लेना चाहती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक्शन कहां से लेते। इन्क्वायरी हो तब न। हम इन्कायरी कर रहे थे कि सब कागज एन्टी करप्शन वालों ने मंगा लिए।

श्री भैरोंसिंह : इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक सरकार के पास कागज नहीं आवे तब तक वह डिपार्टमेन्टल एक्शन भी नहीं लेना चाहती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किस ग्राउन्ड पर हम एक्शन लें ! ग्राउन्ड ही नहीं है कोई।

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्टर ने जांच करवाई। तो अगर कोई ग्राउन्ड नहीं था तो यह जांच किस आधार पर करवाई गई और किस आधार पर वे कागज एन्टी करप्शन में भेजे गए और किस आधर पर एन्टी करप्शन वालों ने वे कागज मांगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने नहीं भेजे वे कागज। एन्टी करप्शन वालों के पास दूसरी तरफ से भी शिकायतें आईं। इस पर कागज एन्टी करप्शन वालों ने हमसे मांग लिये।

श्री भैरोंसिंह : शिकायतें आई उनके आधार पर कागज आपसे मंगवाये गये तो क्या उन्हीं शिकायतों के आधार पर डिपार्टमेन्टल एक्शन आप नहीं ले सकते थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम उन शिकायतों की जांच कर रहे थे, जांच का कोई परिणाम

Page No 9

(श्री नाथूराम मिर्धा)

निकलता तब तो एक्शन लेते, पर इसी बीच उन एन्टीकरप्शन वालों ने हमसे कागज मंगवा लिए। इसलिए हमारा काम बन्द हो गया।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि डिपार्टमेन्टल कार्यवाही चालू थी और इसी के दौरान में उन्होंने कागज आपसे मंगवा लिए ? फिर आपने डिपार्टमेन्टल एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डिपार्टमेन्टल एक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक वह पूरी नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह : फिर जांच आप किस आधार पर कर रहे थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सर्विस रूल्स के नीचे।

श्री भैरोंसिंह : तो जांच तो आपने भी कराना शुरू कर दिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां। यही बात मैं कह रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : अभी तो आप इन्कार कर रहे थे।

श्री पी. के. चौधरी : एन्टी करप्शन में कितने साल से यह मामला पड़ा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ५८ से ही गया है उनके पास।

श्री पी०के० चौधरी : क्या ये जो रोगी व रद्दी पशु हैं उनको छांटने के लिए कोई कमेटी अपोइन्ट की गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रद्दी पशु को छांटने करने का सवाल नहीं है। बेच दिया ऐसा एलीगेशन था और रजिस्टर में लिख दिया कि ये मर गये।

श्री पी० के० चौधरी : रजिस्टर में मर गये बताते हैं। वे सब जिन्दा हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो जांच का विषय है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने जानवर बेच दिये और रजिस्टर में दर्ज हो गये कि मर गये। बिना जांच के मैं क्या कह सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या अब तक की शिकायत के अनुसार जो मेटीरियल अवेलेबल है उसके आधार पर क्या इस प्रकार का केस नहीं बन सका कि उसको सस्पेन्ड कर दिया जावे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह कतई नहीं बन सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०२

महाराज श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : इसका जवाब दे दिया जावे साहब। यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : वापिस दुबारा आवेंगे तब देख लेंगे।

नेक्स्ट। श्री रामधन

Page No 10

तहसील दौसा में इस वर्ष दवाखाने खोलने के बारे में

१०३. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील दौसा में कितने दवाखाने दूसरी पंचवर्षीय योजना में खोले गये ?

(ख) क्या इस वर्ष उक्त तहसील में कहीं और दवाखाने खोलने का विचार है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) कोई नहीं। प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रामधन : यह दवाखाना कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो जिला विकास समिति की रिकमन्डेशन पर खोले जाते हैं।

श्री रामधन : इस साल खुलेगा या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि विचाराधीन है।

श्री रामधन : यह प्रश्न विचाराधीन कब तक रहेगा ? जब तक बहुत सी दुनिया खत्म हो जावेगी।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर औषधालय के बिना वैसे ही खत्म हो जावेंगे तो जल्दी खोल दिया जावेगा।

श्री रामधन : जिला अधिकारी व जिला समितियां किस आधार पर सिफारिश करती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

दौसा लालसोट सड़क पर निर्माण कार्य

१०४ **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) दौसा से लालसोट तक की रोड के कितने टुकड़े पर डामर हो चुकी है व कितने और टुकड़े पर डामर होने की स्वीकृति हो चुकी है ?

(२) इस सड़क का कितना टुकड़ा रोड़ी का तैयार हुआ है ?

(३) कितना टुकड़ा अभी तक जयपुर रियासत के जमाने में बना हुआ मोरडे का ही पड़ा है और इसकी आज तक मरम्मत नहीं हुई है ?

(४) इसी सड़क पर स्थित झिलमिली नदी बांध पर होनेवाली यातायात की दिक्कत को ठीक करने के लिए क्या सरकार ने कोई कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्या अब भी सरकार कुछ व्यवस्था करने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ८ मील को छोड़ कर बाकी सभी भाग में डामर हो चुकी है। सभी मीलों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है।

(२) ४ मील का टुकड़ा रोड़ी का बना हुआ है।

(३) ४ मील का टुकड़ा मोरडा कंकर

Page No 11

(श्री नाथूराम मिर्धा)

का बना हुआ है। इसकी समय पर मरम्मत होती रही है।

(४) टेन्डर लिए जा रहे हैं। इसका अर्थ-वर्क डिपार्टमेन्टली चालू है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : डामर किस तारीख को शुरू हुआ था?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तारीख तो मैं नहीं बता सकता। आठ मील को छोड़कर सब पर डामर हो चुका है इसलिये इसकी स्वीकृति का सवाल नहीं है। बाकी बन रहा है इसके बारे में बताया है मैंने।

श्री रामधन (दौसा) : बाकी का कितने साल में पूरा हो जावेगा?

श्री नाथूराम मिर्धा : काम जिस रीति से पूरा होना चाहिये, हो जावेगा। ऐसी क्या बात है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०५

महाराज श्री हुकमसिंह

(अनुपस्थित)

तहसील बाड़मेर की पंचायतें

१०६. **श्री तनसिंह (बाड़मेर) :** क्या मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील बाड़मेर में किस किस जगह पंचायतें हैं? कृपया नाम, ग्राम, जन-संख्या और पंचों की संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) किन किन गांवों में आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं है?

उप-मन्त्री, स्वायत्त-शासन (दौलतराम सारण) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिन गांवों में आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं है उनके सामने सूची में निशान लगा दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये।)

श्री तनसिंह : कितनी संख्या पर प्रतिनिधि लिया जाता है?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : पंचायत की आबादी के अनुसार पंच मुकर्रर करते हैं और इसके अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नम्बर हैं।

श्री तनसिंह : हर पंचायत के लिये या इलाका या तहसील के लिये?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक पंचायत में पांच हजार की आबादी का अगर एक ही गांव है और १५ पंच हैं तो उनको उसमें डिस्ट्रिब्यूट कर देते हैं। और इसलिये सबके लिये आम तौर पर इक्वल नम्बर नहीं आता।

श्री तनसिंह : आप एक पंचायत में चाहे जितने पांच, दस, पन्द्रह रखिये। पर हर गांव की जितनी आबादी है उसके अनुपात में तो संख्या रखते हैं। अब एक गांव में जिसकी आबादी १६०० है तो १० रख दिये और १४०० की जनसंख्या दूसरे गांव की

Page No 12

(श्री तनसिंह)

है तो वहां दो ही रखे । यह अन्तर कैसे है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बनाते वक्त कोशिश इस बात की की थी कि उस पंचायत में इसका डिस्ट्रिब्यूशन इक्वल हो ।

श्री तनसिंह : मैं उदाहरण दूं कि इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन नहीं है । १२ नम्बर की पंचायत में १९२९ की आबादी है सनवाड़ गांव में वहां सात पंच हैं और दूसरा एक गांव है जिसकी आबादी १२१० हैं पर वहां दो ही पंच रक्खे हैं । एक ही पंचायत में दो गांव हैं । उसमें सात सौ के अन्तर पर पूरे पांच आदमियों का फर्क कैसे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो जवाब में बताया गया है । किसी में ठीक नहीं हुआ । आगे डिस्ट्रिब्यूशन में ठीक कर देंगे ।

मैंने कल भी अर्ज किया था कि रीडिस्ट्रिब्यूशन के लिय सक्यूलर इश्यू कर दिया है छोटी पंचायतें बनाने के लिये । जब वे बनेगी तो ठीक हो जावेगा ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यह जो पंचायतों के नये चुनाव होंगे उनमें एक वार्ड की कितनी आबादी रखी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले तो छोटी पंचायतें बनेगी और फिर आबादी के मुताबिक पंचों का फिक्सेशन होगा और फिर डिस्ट्रिब्यूशन होगा ।

श्री शंकरलाल : नम्बर फिक्स किये जावेंगे आबादी के लिहाज़ से या किस आधार पर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आबादी के लिहाज़ से ।

श्री शंकरलाल : कितनी आबादी के पीछे एक पंच चुना जायेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी इसकी डिटेल बनी नहीं है । पंचायतें बनने पर फिक्स करेंगे ।

श्री रामधन (दौसा) : ये पंचायतें पटवार सर्किल में बनाई जावेंगी या कैसे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो नया सर्कुलर इश्यू हुआ है उसमें तहसील पंचायतें भी शामिल होंगी । पहले पंचायतों में जावेंगी, फिर तहसील पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर ज़िला परिषद् में जावेंगी । फिर पब्लिश किया जावेगा और उस पर ऐतराज मांगे जावेंगे और फिर फाइनल किया जावेगा ।

श्री रामधन : यह कब पूरा हो जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो नये कानून में तारीख दी हुई है ।

श्री रामधन : तारीख बताइये न सही ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून में लिखी हुई है ।

प्रश्न संख्या १०७

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०८

महाराज श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

राजस्थान निर्माण से आज तक उदयपुर डिविजन में बनी सरकारी विभागों की इमारतें

१०९ **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान बनने के बाद से अब तक उदयपुर डिविजन में शिक्षा, वन, पुलिस, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य आदि विभागों से सम्बन्धित इमारतें कहां कहां व कितनी कितनी लागत की बनाई गईं ? प्लान व नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर अलग अलग बतलाइये ? भविष्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कहां कहां इमारतें बनाने की योजना है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सूची परिशिष्ट 'अ' तथा 'ब' प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, लिस्ट मेरे को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : आपको लेनी चाहिये थी नोटिस ऑफिस से।

श्री भीमसेन : इसको पढ़ दें तो फिर अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : पांच बज जावेंगे।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इतना एक्सपेन्डीचर हुआ क्या ?

(हंसी)

यह पढ़कर ही बता दें न, कहां ज्यादा हो रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे राजस्थान में १५ करोड़ में से दो करोड़ भी नहीं आता है उदयपुर में।

श्री श्रीभानसिंह : लिस्ट ऑनरेबल मेम्बर को नहीं मिली है वह भी इस पर सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन्स नहीं पूछ सकते और यहां पर हाउस में दूसरे मेम्बर्स नहीं पूछ सकते। लिस्ट इन्हें सप्लाई करनी चाहिए ताकि वह सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन्स पूछ सकें।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत बड़ी लिस्ट है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह लिस्ट तो सब को सर्कुलेट की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप देख सकते हैं उस लिस्ट को।

श्री मुरलीधर व्यास

राज्य में रेलवे का विस्तार

११०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या यह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) राज्य में रेलवे के विस्तार के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने किन-किन योजनाओं को क्रियान्वित करवाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है ?

(२) क्या उक्त योजनाओं में पोकरण

(श्री मुरलीधर व्यास)

से जैसलमेर तक रेलवे लाइन ले जाने की भी कोई योजना सम्मिलित है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी होगी ?

(३) राजस्थान बनने के बाद कहां-कहां पर कुल कितने मील लम्बी रेलवे लाइन डाली गई ?

गृह-मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : यह प्रश्न मुझ से सम्बन्धित नहीं है अतः इसका जवाब ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब देंगे ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : He is present in the House.

श्री रामकिशोर व्यास : अपने टर्न पर देंगे ।

श्री श्रीभानसिंह : आज ही क्यों नहीं दे देते ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : वह तो प्रश्न आवेगा जब ही तो दूंगा । मुझे तो अभी मालूम ही नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : जब कि क्वेश्चन लिस्ट में आगया और आज उसका रिप्लाई देने का नम्बर है तो उत्तर दिया जाना चाहिए । प्रश्न तो आपके पास पहुंच ही गया होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डिपार्टमेन्ट के पास गया होगा । एड्रेस गलत होने की वजह से वह कम्पाइलेशन में होगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट वीक में मिल जायेगा ।

श्री श्रीभानसिंह : जब प्रश्न आगया, टर्न का तो पता नहीं, आज के रोज ही आन्सर देने का था । जब प्रश्न आपके पास पहुंच गया तो फिर क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री के पास यह प्रश्न जाना चाहिए था । अब क्योंकि यह गृह मंत्रीजी के पास चला गया है और उनसे सम्बन्धित नहीं है तो वे अपने अगले टर्न पर जवाब दे देंगे ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : फिर यह प्रश्न एडमिट कैसे किया गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या १११

श्री अध्यक्ष : महाराज श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास

मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण की योजना

११२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) सरकार ने मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण के लिए अब तक क्या योजना बनाई है व किन-किन रूट्स पर राष्ट्रीयकरण की नीति द्वारा बसें चलाना चाहती है ?

(२) इस नीति को कब से राज्य में प्रारम्भ करेगी ?

(३) मोटर यातायात में जो यात्री कर लगाया गया है वह कब से प्रारम्भ किया गया है व उसके वसूल करने का तरीका

Page No 15

(श्री मुरलीधर व्यास)

क्या रक्खा गया है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) राष्ट्रीयकरण में आने वाली व होने वाली रूट्स की सूची संलग्न है।

(२) शीघ्र ही।

(३) १ मई, १९५९ से इसकी वसूली राजस्थान पैसेंजर व गुड्स टैक्सेशन अधिनियम के मुताबिक की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : इसका कोई आधार रखा गया था कि किस आधार पर कौन-कौन से रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आधार तो यही माना गया कि अच्छी सड़क हो, पक्की सड़क हो, अच्छी आमदनी हो।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अच्छी और पक्की सड़क के रूट्स बता दीजिए क्योंकि यह हमें मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां यह रूट्स बता दीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : जयपुर-दिल्ली, जयपुर-अजमेर, जयपुर-कोटा, जयपुर-ब्यावर, अजमेर-कोटा, जोधपुर-सिरोही।

जोधपुर-नागोर-बीकानेर, कांकरोली-अहमदाबाद वाया उदयपुर, जयपुर-आगरा वाया भरतपुर।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : यह जो आपने जोधपुर-सिरोही रूट नेशनेलाइज किया यह कबसे किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : यह कोटा-भोपाल काफी बड़ा और इम्पोर्टेन्ट रास्ता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: रूट तो बड़ा है पर इससे भी और दूसरे बहुत इम्पोर्टेन्ट हैं लेकिन जितने धन की गुंजाइश है उतनों पर ही तो राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जो आधार आपने बताया वह एक आधार यह भी हो सकता है कि आमदनी के दृष्टिकोण से जिस रूट पर रेलें नहीं हैं और जहां अच्छी सड़कें हैं तो वह तो उसमें ले लिये जायें या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रेल लाइन नहीं हैं और सड़कें अच्छी हैं वे रूट्स ले लिये जायें, यह तो आधार नहीं है। दो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स हैं। एक तो यह देखना होता है कि कहां पैसेन्जर ज्यादा मिलेंगे और कहां आमदनी अच्छी होने की गुंजाइश है, उन्हीं रूट्स को प्रायोरिटी दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसे जयपुर से टोंक है, यह रूट अच्छी आमदनी का है लेकिन यह इसके अन्दर नहीं लिया गया है।

Page No 16

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जयपुर से कोटा का नाम ले लिया तो यह तो इसी रास्ते में आ जाता है। यह पूरा लम्बा रूट है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपने जयपुर-आगरा वाया भरतपुर रखा। जब कि आगरा से धौलपुर का रास्ता अच्छा है, ज्यादा ट्रैफिक भी है फिर क्यों नहीं इसको शामिल किया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपका गलत खयाल है?

डॉ० बहादुरसिंह : मैं सत्य कहता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा : लेकिन यह इतना लम्बा रूट लिया और आप भरतपुर और धौलपुर की बात कर रहे हैं, इसके मुकाबिले में वह क्या है?

श्री पी० के० चौधरी : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह जो नेशनेलाइजेशन ऑफ रूट्स आपने किया तो आपने जयपुर का ज्यादा रूट लिया और जोधपुर व बीकानेर वगैरह का एक भी रूट आपने क्यों नहीं लिया?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कैपिटल टाउन है और यहां से ज्यादा कम्युनिकेशन रहता है और यहां से ज्यादा सुविधा भी लोगों को मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जोधपुर और उदयपुर का भी नाम है।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : क्या यह माना जाये कि सन् ६० के अन्दर इन रूटों का राष्ट्रीयकरण हो जायेगा?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह इसी साल में हो जायेगा। आप चिन्ता नहीं करें।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या कोई तारीख बता सकते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फाइनेन्शियल ईयर। सौ गाड़ियां सरकारी इन्हीं रास्तों पर चलेंगी जो कि पूरी तरह ३ रूटों को कवर कर सकेंगी।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : जयपुर-कोटा रूट को कोटा तक रखने के बजाय झालावाड़ तक क्यों नहीं बढ़ाया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर तो आप यह भी कह देंगे कि शिवपुरा तक क्यों नहीं बढ़ाया गया।

श्री रामचन्द्र : झालावाड़ बिलकुल बोर्डर पर है इसलिए वहां तक इस रूट को ले लिया जावे तो अच्छा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इतनी हमारी शक्ति नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या मन्त्री महोदय, इस बात को बतायेंगे कि जयपुर रीज़न में जो रूट्स प्रपोज़ किये हैं उसमें बस चलाने की ऑथोरिटी सिरोही बस सर्विस को है और इसके लिए सेपेरेट ऑथोरिटी क्यों नहीं बनाई?

श्री नाथूराम मिर्धा : गवर्नमेन्ट ही चलायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : यह भाग ३ के उत्तर में कहा गया है कि एक्ट के मुताबिक

(श्री मुरलीधर व्यास)

कार्यवाही होती है तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यात्रियों के टिकट होते हैं जैसे एन्टरटेनमेन्ट टैक्स का टिकट, यात्री भाड़ा टिकिट पर लगता है इस प्रकार के टिकट है या जो वितरण है वह अच्छा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने एक्चुएली टिकट की शक्ल तो देखी नहीं है लेकिन उस पर छाप है या कुछ ऐसी ही चीज़ जरूर है। उसमें चोरी वगैरह की दिक्कत नहीं है टैक्स बिलकुल ठीक तरह से कलेक्ट हो रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : It is very deplorable on the part of the Minister. He is quite ignorant of his deptt. He should know how the tickets are collected.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात नहीं है। मैं कोई एक एक टिकट को तो देखने जाता नहीं हूँ, इनको कहने के पहले ज़रा सोचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

टोडारायसिंह नगरपालिका का चुनाव

११३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह नगरपालिका का चुनाव परिणाम २०-७-५६ को घोषित हो चुका था ? यदि हां, तो दो व्यक्तियों का नामांकन सरकार ने क्यों नहीं किया जब कि नामांकन के लिए कलेक्टर ने सिफारिश भेज दी थी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त नगरपालिका पंचायत में बदल दी गई तथा भूतपूर्व नगरपालिका के सदस्यगण जो इस बार निर्वाचित नहीं हुए थे, उनको ही पंचायत का सदस्य बना दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि भूतपूर्व नगरपालिका का कार्यकाल २५-११-५८ को समाप्त हो चुका था और बाद में समय बढ़ाया गया ?

(४) क्या यह सही है कि इस नगरपालिका को पंचायत में परिवर्तित १४-६-५६ को किया गया जब कि इसका कार्यकाल ३१-३-५६ को ही समाप्त हो चुका था और एक्सटेन्शन २४-६-५६ को बाद में किया गया ?

(५) जुलाई, ५६ में निर्वाचित सदस्यों का नाम अभी तक भी गजट में क्यों नहीं प्रकाशित किया गया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर कल प्रश्न संख्या ६३ में दिया जा चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह रावराजा श्री सरदारसिंह जी का है और यह मेरा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बिलकुल एक ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल This question has been admitted by you, Sir, and has must be replied.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कल जवाब दिया था, चाहें तो मैं और रिपीट कर दूंगा :—

(१) नगरपालिका टोडारायसिंह के चुनाव दिनांक १८-७-५९ को सम्पन्न हो चुके थे। दो व्यक्तियों के नामांकन सरकार के विचाराधीन हैं।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां। ३१-३-५९ को जो कार्यकाल समाप्त हुआ था वह सरकार द्वारा अपने नोटिफिकेशन दिनांक १३-८-५९ द्वारा १५-९-५९ तक या जब तक नया बोर्ड कार्यभार न सम्भालें तब तक बढ़ाया गया था।

(५) नाम गज़ट में भेज दिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कलेक्टर की सिफारिश कब मिली थी आपको और नाम गजट में कब भेजे गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १८-७-५९ को इलेक्शन हुए थे उसके बाद रिकमन्डेशन आई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तक नहीं करने का क्या कारण था ? इतने दिनों तक नोमीनेट क्यों नहीं किये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत में कनवर्ट होने के बाद नोमीनेट करने का सवाल नहीं होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब पंचायत म्युनिसिपेलटी में कनवर्ट हुई थी उस वक्त उसका एक्सटेंशन नहीं हुआ था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके पहले हुआ था। हमारा ऑर्डर कनवर्शन का १९-९-५९ का है उसके पहले १३-८-५९ को मियाद बढ़ा दी गई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस तारीख को मियाद बढ़ा दी गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने पढ़कर सुना दिया कि १५-९-५९ को जबतक नया बोर्ड कार्यभार नहीं सम्भाले तब तक बढ़ा दी थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २४-७-५९ का ऑर्डर है कि १५-९-५९ तक मियाद बढ़ा दी जाय और इसका कनवर्शन १४-९-५९ को कर दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १३-८-५९ को गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ है कि इसकी मियाद बढ़ा जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १३ तारीख का ऑर्डर तो मार्च १९५९ तक मियाद बढ़ाने का था उसको बाद में १९-९-५९ तक बढ़ी है २४-७-५९ के ऑर्डर से म्युनिसिपल बोर्ड में १४-९-५९ को कनवर्ट कर दिया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं यह बात गलत है।

श्री अध्यक्ष : मुरलीधर व्यास।

बीकानेर के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर हुए पंडित नेहरू के भाषण का रेकार्ड।

११४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

Page No 19

(श्री मुरलीधर व्यास)

(१) क्या जन संपर्क विभाग में देश के प्रधान मन्त्री के होनेवाले भाषणों का सम्पूर्ण रेकॉर्ड रखा जाता है ?

(२) क्या बीकानेर में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर पंडित नेहरू ने जो भाषण दिया उसका रेकॉर्ड जनसम्पर्क विभाग के पास है ?

(३) यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें ।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रधान मन्त्री जब राजस्थान में आते हैं और उनके भाषण होते है तो उनका रेकार्ड रखने का जनसम्पर्क विभाग को आदेश है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे नहीं तैयार करते हैं । पेपर्स के कारसपोन्डेन्ट्स होते हैं वे ही पेपर्स में भेजते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : राजस्थान सरकार उनका पूरा भाषण किसी प्रकार से प्रकाशित करना चाहे तो क्या उसका पूरा रेकॉर्ड नहीं हो सकता ?

श्री रामकिशोर व्यास : हम नहीं रखते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

श्री मुरलीधर व्यास : राजस्थान के अन्य मन्त्रियों के भाषणों के रेकॉर्ड रखे जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रधान मन्त्री के नहीं होते हैं तो इसमें क्या होता है ?

श्री मुरलीधर व्यास ; दूसरों के होते हैं सब के और प्रधान मन्त्री के नहीं होते हैं इसलिए कहा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री शंकरलाल ।

लेबर वैलफेयर ऑफिसर्स की नियुक्ति के नियम

११५. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या मंत्री, श्रम विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—(१) क्या सरकार द्वारा लेबर वैलफेयर ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिये कोई नियम बनाये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उन नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ?

(३) क्या उन श्रमिकों को भी जिन्होंने आठ वर्ष से भी अधिक समय तक फैक्ट्री में कार्य किया है और जिनको अनुभव प्राप्त है इस पद के लिए उपयुक्त मानने के लिये नियमों में संशोधन करने हेतु कोई सुझाव आया है ?

(४) उक्त नियमों को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां । नियम तैयार किये गये हैं और ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये गये हैं ।

Page No 20

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(५) यह मामला सरकार के विचाराधीन है तथा कुछ व्यक्तियों ने इस संबंध में आपत्तियां व सुझाव भेजे हैं जिन पर विचार कर नियमों को अन्तिम रूप दे दिया जावेगा।

श्री शंकरलाल : मंत्री महोदय ने तीसरे प्रश्न के लिए कहा 'जी नहीं' लेकिन मैंने सुझाव रखे थे और हाथों हाथ मंत्री महोदय ने प्रेषित किये थे, और उसके अन्दर यह सुझाव दिये गये थे कि जिनको ८ साल का एक्सपीरियेन्स है उनको भी मौका दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (५) के उत्तर में मैंने कहा कि इसमें ऑब्जेक्शन आये हैं उनको विचार करके तय करेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): (५) तो है ही नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने शुरू में प्रश्न पूछा था उसमें था। उसका यह जवाब है। उसमें ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये हैं, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। उन पर विचार करके फाइनल किया जायगा। अभी फाइनल नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

सुभाषनगर, अजमेर के निवासियों को बिजली की व्यवस्था

११६ **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि सुभाषनगर, अजमेर में बिजली लेने के लिए वहां के लोगों ने दीपावली, सन् १९५८ के अवसर पर रुपये जमा कराये थे ?

(२) यदि हां, तो आज तक बिजली न देने का क्या कारण है तथा अब भविष्य में कब तक दी जायेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां। इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा कनेक्शन घोषित करने पर बिजली लेने के लिए रुपये जमा कराये थे।

(२) बिजली की लाइन्स नहीं होने से अब तक बिजली नहीं दी जा सकी है। कम्पनी को इस एरिया में जल्दी लाइन्स लगाने की हिदायत कर दी गई है।

श्री रामकरणसिंह : तो जिस समय रुपये जमा करवाये थे उस समय सरकार के विचार में क्यों नहीं था कि वहां अभी तक पोल्स नहीं हैं या लेम्प्स नहीं हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : सरकार के विचार का सवाल नहीं है। वहां पर प्राइवेट कम्पनी है। सरकार का पॉवर हाउस नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : क्या सरकार इस बारे में प्राइवेट कम्पनी को इस तरह के आदेश नहीं दे सकती है कि जनता का पैसा जमा करा लिया और २, ३ साल तक वह किसी उपयोग में नहीं आ रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : आदेश दिये हैं कि जल्दी ही कनेक्शन दें।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बीकानेर तहसील की पचायतें में शिड्यु ल्ड कास्ट व शिड्यु ल्ड ट्राइब्स के पंच नामजद किया जाना

११७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, पंचायत विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :–(१) बीकानेर तहसील की कितनी पंचायतों में शिड्युल्ड कास्ट व शिड्युल्ड ट्राइब्स के पंच नामज़द करने हैं ? इस सम्बन्ध में क्या कदम उठायें गये हैं ?

(२) क्या सरकार सरपंच पद के चुनाव के पहले उपरोक्त पंचायतों में अनुसूचित जाति व जन जाति के पंचों को नामज़द करेगी ताकि वे अपने हकों से महरूम न रह सकें ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत-राम सारण) : (१) बीकानेर तहसील की पंचायत मुंडसर में श्री सुखराम को सरकार द्वारा अनुसूचित जाति का पंच नामज़द किया गया है । अन्य पंचायतों से प्रस्ताव या रिपोर्ट आने पर सरकार विचार करेगी । पंचायतों से प्रस्ताव मांगे गये हैं और उनके आने पर कार्यवाही होगी । ऐसी ११ पंचायतें हैं ।

(२) सरपंच का चुनाव ग्राम निर्वाचक करते हैं । उसके लिये निर्वाचन के पहले अनुसूचित जाति का पंच नामज़द करने की वैधानिक आवश्यकता नहीं है ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि पंचायत का चुनाव हुए करीब दो साल हो चुके हैं ।

श्री दौलतराम सारण : इसकी तिथि तो मैं नहीं बतला सकता हूँ इस समय, वह इससे संबंधित नहीं है ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि तहसील पंचायत ने हरिजन पंचों के नाम की लिस्ट भेज दी थी ?

श्री दौलतराम सारण : मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ । प्रस्ताव मांगे थे पंचायतों से । वे आये नहीं । आने पर कार्यवाही शीघ्रता से की जायेगी ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि प्रस्ताव आये थे और वे विभाग को वापिस लौटाये गये ?

श्री दौलतराम सारण : मैं उत्तर दे चुका हूँ ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मसला है । कल भी एक सवाल उठा था । हरिजनों के पंचायतों के सदस्य होने का सवाल है वहां, मैं अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह से १, २ साल बीत जायं और कोई हरिजन पंच नोमीनेट नहीं हो । यह हरिजनों के हक जिसका नैतिक जिम्मा सरकार का है । वह अगर नहीं होता है तो बड़े खेद की बात है ।

स्वायत शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से सदन में नोमीनेशन के बजाय कोऑपशन के लिए बहुत जल्दी पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल लाने वाला हूँ ताकि सारी दिक्कत ही खत्म हो जायेगी । मैं विश्वास दिलाता हूँ सरकार बहुत जल्दी करेगी ।

श्री जनार्दनराय नागर : यह दिक्कत का प्रश्न नहीं है । यह सुविधा देने का प्रश्न

(श्री जनार्दनराय नागर)

है। यह राज्य के सामाजिक विकास के महत्व का प्रश्न है। कानून में हरिजन जाति को प्रतिनिधित्व दिया है। यदि समाज नहीं देता है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह मनोनयन करे। २, ३ साल तक नाम नहीं जाते हैं। पंचायतों में मनोनयन नहीं होता है। यह गम्भीर मसला है। जिसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सरकार की ही नहीं एम. एल. एज. की भी जिम्मेदारी है। वह कितना महसूस करते हैं कि कोई नाम नहीं भेजता है, तो माननीय सदस्य ही नाम भेज दें।

श्री जनार्दनराय नागर : नोमीनेट करना ऑब्लीगेटरी है सरकार पर। इसीलिए नोमीनेट करने का अधिकार दिया गया है कि अगर समाज ध्यान नहीं देता है तो सरकार ध्यान रखे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

पुलिस रेडियो विभाग में प्रमोशन का आधार

११८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे : (१) पुलिस रेडियो विभाग में प्रमोशन किस आधार पर होते हैं ?

(२) १९५६ से १९५८ तक कितने लोगों के प्रमोशन हुए हैं और उनकी योग्यताएं क्या हैं व कितनों का रिवर्शन हुआ है?

(३) देहली से सेकिन्ड ग्रेड की ट्रेनिंग पाने पर किन किन को प्रमोशन हुआ और अब फेल होने पर किन किन को रिवर्ट किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

गृह-मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन में इस कार्य के लिए तैयार की हुई एप्रूव्ड लिस्ट के आधार पर ही तरक्की दी जाती है।

(२) १९ ए. एस. आई. को सब-इन्सपेक्टरों के पद पर उन्नत किया तथा दो को अवनत किया। १९ व्यक्तियों में से एक इन्टर पास, १२ मैट्रिक पास व ६ नॉन मैट्रिक हैं।

(३) १९५६ से १९५८ तक सिर्फ एक असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर श्री उत्तमप्रकाश को डी० सी० पी० डब्लू० ग्रेड २ की परीक्षा पास करने पर उन्नति दी गई और कोई भी अवनत नहीं किया गया।

श्री रामकरणसिंह : मैंने सप्लीमेन्ट्री प्रश्न करने के लिये सूची मांगी थी लेकिन मुझे सूची नहीं मिली।

श्री रामकिशोर व्यास : आप किस व्यक्ति में इन्ट्रेस्टेड हैं उसके बारे में पूछ लीजिये मैं बता दूंगा।

श्री रामकरणसिंह : किसी व्यक्ति-विशेष की बात नहीं है लेकिन कई ऐसे लोगों को प्रमोशन मिले हैं जो कम योग्यता वाले हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : प्रमोशन्स एप्रूव्ड लिस्ट के आधार पर होते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

Page No 23

सरकार द्वारा भारत सरकार के मन्त्रालय को सहकारी समितियों सफारिश न करके व्यापारियों की सिफारिश किया जाना

नी भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या व नागरिक रसद मंत्री निम्नलिखित का उत्तर देंगे :—

या यह सही है कि स्टेट ट्रेडिंग स्कीम ड ग्रेन्स के अन्तर्गत अनाज की खरीद रण व्यवस्था में सहकारी समितियों को कता दी जानी चाहिये ? अगर हां न वर्ष यू० पी०, पंजाब व बम्बई आदि से चावल खरीदने के लिए राज्य ने भारत सरकार के खाद्य मन्त्रालय कारी समितियों की सिफारिश न करके रियों की किस कारण से की ?

खाद्य एवं रसद मत्री (बद्रीप्रसाद गुप्ता): । स्टेट ट्रेडिंग स्कीम इन फूड ग्रेन्स न्तर्गत अनाज की खरीद व वितरण था में सहकारी सिमितियों को प्राथमिकता है । परन्तु इस स्कीम से चावल की व वितरण का कोई सम्बन्ध नहीं है । भारत सरकार द्वारा चावल मंगाने की श से व्यापारियों व सहकारी समितियों ही की सिफारिशें की गई हैं। मगर अभी न्द्रीय सरकार को ओर से कोई चावल कोटा आम वितरण के लिये नहीं है ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि ल खरीदने के लिये जिन लोगों की रेश राज्य सरकार द्वारा की गई थी वह इन्डिविज्युअल व्यापारियों की की गई और राज्य क्रय विक्रय संघ ने एप्लाई किया था फिर भी उसकी सिफारिश नहीं की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भारत सरकार ने किसी की सिफारिश को नहीं माना इन्डिविजुअल या सोसाइटी का सवाल नहीं है ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : कोयला बांटने के लिये जिस तरह की एडवाइजरी कमेटी है उसी तरह की एडवाइजरी कमेटी चावल के लिये भी सरकार बनाना चाहती है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें चावल बांटने का सवाल नहीं है, इम्पोर्ट करने का सवाल है ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस साल चावल की खरीद के लिये इन्डिविज्युअल व्यापारियों की सिफारिश की है और राज्य क्रय विक्रय समिति की सिफारिश नहीं की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का यह डाइरेक्टिव है कि इन्डिविज्युअल या सोसाइटी का नाम कंसीडर नहीं किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : तो फिर किस की सिफारिश की जायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेन्ट गवर्नमेन्ट के नाम पर ही विचार करेगी ।

श्री भीमसेन : स्टेट ट्रेडिंग की क्या पॉलिसी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चावल स्टेट ट्रेडिंग में नहीं है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि हमारी सरकार की ओर से चावल की खरीद के लिये इन्डिविज्युअल व्यापारियों के नाम भारत सरकार के पास भेजे थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ के नाम भेजे थे लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि इन्डिविजुल्स या सोसाइटीज को नहीं देंगे। वैसे चावल बाहर से आना बंद है लेकिन भारत सरकार ने कहा कि यदि गवर्नमेन्ट गवर्नमेन्ट के तौर पर मंगायेगी तो देने को तैयार हैं। पहले ४००० मन चावल मध्य प्रदेश से मंगाया था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या राज्य की तरफ से खरीदने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को परमिट दिये गये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ दिये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उनके लिये भी इस प्रकार के नियम हैं कि वितरण करते समय सरकार की नीति का पालन करें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह सरकार द्वारा ही खरीदा हुआ है चाहे सोसाइटीज की मार्फत ही क्यों न खरीदा हो।

श्री मुरलीधर व्यास : सारी खरीद सरकार की तरफ से हुई है या सहकारी समिति की तरफ से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सहकारी समितियों ने भी सरकार के लिये ही खरीदा है।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपने जो चावल खरीदा है वह खरीदा ही है या जो चावल एक्सपोर्ट होता है उस पर लेवी लगाई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चावल पर कोई लेवी नहीं ली है।

डा० बहादुरसिंह : क्या यह सत्य है कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने वाले चावल पर लेवी ली है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, अलग प्रश्न पूछेंगे तो बतला सकूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : राज्य सरकार के द्वारा जो चीजें खरीदी हैं क्या उनका वितरण राज्य सरकार मुनाफे से करती है या बिना मुनाफा करती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी गवर्नमेन्ट के लिये खरीदा है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार ने कमीशन एजेन्ट्स रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मुरलीधर व्यास।

न्यूनतम वेतन नोटिफिकेशन

१२०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम (मिनिमम वेजेज एक्ट), १९४८ के तहत सरकार ने दिसम्बर, ५७ व जनवरी, ५८ में न्यूनतम वेतन निश्चित करने के

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रस्ताव राज-पत्र में प्रकाशित कराये थे व उन पर ऐतराज आमंत्रित किये थे ?

(२) एतराज आने के कितने दिन बाद सरकार ने न्यूनतम वेतन नोटिफिकेशन किस तारीख को जारी किये ?

(३) ये नोटिफिकेशन किन किन उद्योगों के लिये जारी किये गये थे ?

(४) क्या ये गजट में अब तक शाया हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां ।

(२) निम्न तारीखों को प्रकाशित हुए :

	प्रस्ताव प्रकाशित होने की तारीख	न्यूनतम वेतन नोटिफिकेशन प्रकाशित होने की तारीख
१.	२–१–५८	१५–१–५९
२.	,,	७–५–५९
३.	,,	,,
४,	,,	२३–४–५९
५,	२६–१२–५७	९–७–५९
६.	२-१-५८	७–५–५९
७.	,,	,,
८.	,,	,,
९.	१९–१२–५७	,,
१०,	२–१–५९	४–६–५९

(३) ये नोटिफिकेशन जिन उद्योगों के नाम जारी किये गये थे उनके नाम ये है:—

१. राइस फ्लोर एंड दाल मिल्स

२. वूलन कारपेट और शाल वीविंग एस्टब्लिशमेन्ट

३. टोबेको इन्क्लूडिंग बीड़ी मेकिंग मेन्युफेक्चर

४. ऑयल मिल्स

५. लोकल अथारटी

६, कान्सट्रक्शन व बिल्डिंग ओपरेशन

७. स्टोन ब्रेकिंग एंड स्टोन क्रशिंग

८. मायका वर्क्स

९. पब्लिक मोटर ट्रान्सपोर्ट

१०. मायका माइन्स

यह सब फाइनल हो चुका है, लागू हो चुका है ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार ने छानबीन करने में इतना अधिक टाइम लगाया इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये गये थे उनको टाइम दिया गया था । ऑब्जेक्शन्स आने के बाद सब को देखकर किया गया, इसमें समय लगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : सारी छानबीन करने के बाद यह स्थिति हुई तो क्या कारण है कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट लगने के बाद भी सैकड़ों जगह ताला बन्दी हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका सवाल यह है कि कहां कहां नोटिफिकेशन हुआ ?

श्री मुरलीधर व्यास : इतना समय लगने के बाद भी क्या कारण है कि इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन श्री भीमसेन ।

रेगिस्तानी इलाकों को उपजाऊ बनाया जाना

१२१. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि आस्ट्रेलिया तथा इजराइल के रेगिस्तानी इलाके विशेषज्ञों के सहयोग से लहलहाते खेतों के रूप में परिवर्तित किये जा चुके हैं ?

(२) क्या सरकार ऐसे विशेषज्ञों की सेवायें लेना उचित समझती है जिससे राज्य के रेगिस्तानी इलाकों को उपजाऊ बनाया जा सके ।

(३) अगर हां, तो सरकार कब व किस प्रकार इसे कार्यान्वित करेगी ?

(४) क्या कभी किसी विशेषज्ञ ने इस संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट दी है ? अगर हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) कुछ कुछ जानकारी है किन्तु आस्ट्रेलिया अथवा इजराइल में कहीं भी मरूस्थल लहलहाते खेतों में परिवर्तित नहीं हुआ है । वन रोपण और चराई की उन्नति द्वारा मरूस्थल का विस्तार इन दोनों देशों में रोका जा रहा है ।

(२) जी नहीं ! राज्य सरकार द्वारा किसी विशेषज्ञों की सेवा लेने की अभी आवश्यकता नहीं हैं । भारत सरकार के खाद्य व कृषि मंत्रालय के भू-संरक्षण मंडल के अन्तर्गत डेजर्ट एफोरेस्टेशन एण्ड साइल कन्जरवेशन रिसर्च स्टेशन द्वारा इस दशा में गवेषणा की जा रही है । यूनेस्को भी मरूस्थल पर गवेषणा के लिए एक इन्स्टिट्यूट खोलने वाला है । गवेषणा के परिणाम के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(३) जब गवेषणा के परिणाम उपलब्ध होंगें ।

(४) १९५३ में भारत सरकार ने एक एफ. ए. ओ. विशेषज्ञ डॉ. ए. वाई. गुर, इजराइल को राजस्थान में मरूस्थल के निरीक्षण और आवेदन करने को भेजा था जिन्होंने ३ महीने रेगिस्तान का निरीक्षण करके एक रिपोर्ट कंट्रोल ऑन दि एरिड जोन ऑफ राजस्थान भारत सरकार को प्रेषित की थी ।

श्री भीमसेन : जो रिपोर्ट भारत सरकार को पेश की गई उसके मुत्तालिक उसने क्या एक्शन लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : भारत सरकार ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया । ऐसा मालूम हुआ है कि एक बहुत बड़ा रिसर्च स्टेशन जोधपुर में बनाया है । उसमें रिसर्च होकर जो रिजल्ट तैयार होगा उसके बाद कुछ किया जा सकेगा ।

श्री भीमसेन : क्या रिसर्च के रिजल्ट की प्रति राज्य सरकार को उपलब्ध हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी नहीं हुई ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अन्वेषण होगा तभी जाकर हमारे यहां के मरुस्थल के बारे में कुछ किया जायेगा लेकिन दुनिया में कई जगह अन्वेषण हो चुके हैं, प्रयोग हो चुके हैं उनका फायदा क्यों नहीं उठाया जाता। हम यह चाहते हैं कि एक एक जगह के परिणाम के लिये बैठे रहने के बजाय जहां हो चुका है उससे फायदा उठाना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जरा टेक्निकल मामला है। गवेषणा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि दूसरे कंट्रीज के रिजल्ट यहां लागू नहीं होते।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उस टेक्निकल मामले में मिस्टर काक ज्यादा समझते हैं ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : आपसे ज्यादा समझते हैं।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : क्या राजस्थान की गवर्नमेंट को वन विभाग ने रिकमन्ड किया है कि मिस्टर काक को इस इन्स्टीट्यूशन का डाइरेक्टर बनाया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या मि० गुर ने जो रिपोर्ट पेश की है उसे राजस्थान के अधिकारी नहीं देख सके हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तक नहीं देखी है क्योंकि रिपोर्ट आई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान के अधिकारियों की तरफ से इस रिपोर्ट को देखने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रिपोर्ट आ जायेगी। रिपोर्ट देखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट १६५४ में पेश की गई और उसकी कॉपी १६५६ तक नहीं आई। क्या राजस्थान सरकार पांच वर्ष तक इन्तजार ही करती रही ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ज्यादातर काम उनका ही है।

श्री भीमसेन : रिपोर्ट पेश हो गई थी और उसकी कॉपी मुझे दी गई थी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

दांतल और भाखरी पंचायतों के चुनावों के दुबारा आदेश

१२२. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

१. क्या दांतल और भाकरी पंचायत के चुनाव ८ माह पहले हुए थे ?

२. क्या यह भी सही है कि इन दोनों क्षेत्रों में दुबारा चुनाव कराने के ऑर्डर हुए ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलतराम सारण) : १. जी नहीं। केवल सरपंचों व उप-सरपंचों के चुनाव करीब एक साल पहले हुए।

Page No 28

श्री दौलतराम सारण)

२. जी हां, केवल सरपंचों व उप-सरपंचों के निर्वाचन के लिए। क्योंकि पंचों के निर्वाचन के समय सरपंच व उप-सरपंचों के निर्वाचन सम्पन्न नहीं हो सके थे।

श्री रामकरणसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि दांतल और भालरी के सरपंचों के चुनाव हो चुके थे। श्री गुप्ता ने ऑर्डर दिया, वह ऑर्डर तहसील में गया, तो तहसीलदार ने लिखा है कि डेढ़ महीने पहले चुनाव हो चुके थे, दुबारा चुनाव कराने का ऑर्डर कैसे दिया। दरअसल में श्री गुप्ता के आदमी का हाज़मा कम हो गया था इसलिए ऑर्डर से चूरन की गोली का काम किया गया, यह ऑर्डर नहीं है, चूरन की गोली है। जो गड़बड़ी पेट में रह गई थी उसको दूर किया।

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास जानकारी है, उसके मुताबिक निवेदन कर दिया। जो आपने सूचना दी, उसके सम्बन्ध में मैं जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, यह ठीक बात है कि वह रिपोर्ट असेम्बली में आ चुकी है और और एक कॉपी पेश कर दी है। मैं भूल गया था।

फैक्टरी एक्ट के तहत इन्स्पेक्टर्स द्वारा फैक्ट्रीज का निरीक्षण एवं उन पर हुई कानूनी कार्यवाही

१२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

१. राजस्थान में फैक्टरी एक्ट, १९४८ के तहत कुल कितनी फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं ?

२. फैक्ट्री एक्ट के तहत राजस्थान में कुल कितने इन्स्पेक्टर्स हैं तथा इन्होंने ५७—५८ व ५८—५९ में इस कार्य के निमित कुल कितना यात्रा व्यय किया ?

३. सन् ५७—५८ व ५८—५९ में इन्स्पेक्टर्स ने इस कानून के तहत कितनी फैक्ट्रियों का तथा बॉयलर्स का निरीक्षण किया ?

४. एक्ट के तहत कितनी फैक्ट्रीयों पर कानूनी कार्यवाही की गई तथा कितने मामलों में सफलता मिली ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : १. ८९१ फैक्ट्रीयां रजिस्टर्ड हैं।

२. १९५७—५८ में ५ इन्स्पेक्टर नियुक्त थे।

१९५८—५९ में १ इन्स्पेक्टर बीकानेर में ४-१०—५८ को नियुक्त हुआ। इस प्रकार अब कुल ६ इन्स्पेक्टर हैं।

इनकी यात्रा व्यय : १९५७—५८— रु० ८,५४६. ५ न. पै.

१९५८-५९ १०६४९ रु० २९ न. पै.

४९, २९ न. पै. १९५७—५८ में

३. जो इन्स्पेक्शन किया गया, १९५७-५८ में वह रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज, ४०० का किया, बॉयलर्स २७८ का इन्स्पेक्शन किया। १९५८-५९ में ४९९ रजिस्टर्ड फैक्ट्री का व बॉयलर्स २४४ का निरिक्षण किया।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

४. जो कानूनी कार्यवाही की गई फैक्ट्री एक्ट के तहत उसमें १९५७-५८ में ९० कानूनी कार्यवाही हुई। इसमें से ६२ में सफलता मिली, दो असफल हुई और २६ न्यायालय में विचाराधीन हैं। १९५८-५९ में २५ मामलों में कानूनी कार्यवाही हुई। १५ में सफलता मिली, एक असफल हुई और ९ न्यायालय में विचाराधीन हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ६२ मामलों में कार्यवाही की गई, उनमें क्या डिफेक्ट रखा गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि कुछ में सफलता मिल गई और कुछ न्यायालय में विचाराधीन हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : वे किस प्रकार के मामले थे, जिनमें सफलता मिली ?

श्री अध्यक्ष : इतनी सारी डिटेल्स कैसे दी जा सकती हैं। -

श्री मुरलीधर व्यास : वे बॉयलर्स से सम्बन्धित थे या फैक्ट्री से ?

श्री अध्यक्ष : आपने दो ही पूछे हैं, एक फैक्ट्री एक्ट के पीछे, या बॉयलर्स एक्ट के नीचे।

श्री भीमसेन।

सरकार द्वारा बिजली रेखा निर्माण, पावर सब-स्टेशन आदि सीमा अवधि में तैयार कर लिया जाना

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) पंजाब सरकार द्वारा मुक्तसर तथा राजगढ़ लाइनों को पूरा करने की सीमा अवधि क्या थी ?

(२) गंगानगर, लुहारू, पिलानी, राजगढ़ आदि ग्रिड-स्टेशन पर बिजली कब तक मिल जानी थी ?

(३) क्या राजस्थान सरकार द्वारा अपनी सीमायें, बिजली रेखा-निर्माण, पॉवर सब-स्टेशन आदि सीमा अवधि में तैयार कर लिए गए हैं ?

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) (१) भाखरा बोर्ड को पंजाब द्वारा पिछले आश्वासन के अनुसार गंगानगर को मई १९५९ व राजगढ़ को जुलाई, १९५९ तक बिजली मिल जानी थी।

(२) पिलानी को बिजली मई मास से मिल रही है। गंगानगर व राजगढ़ को इस वर्ष के अन्त तक बिजली मिलने की आशा है। लुहारू से हमारा सम्बन्ध नहीं है।

(३) जितनी बिजली मिल रही है उसका उपयोग कर लिया जायेगा।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि राजगढ़ और गंगानगर के लिए बिजली के लिए १९५९ निर्धारित था ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां सही है।

श्री भीमसेन : इतना विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कई दफा आपके सामने निवेदन किया है कि भाखरा प्रोजेक्ट, इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट है और लाइन बनाने का काम पंजाब स्टेट पर है। कुछ सामान न मिलने के कारण विलम्ब हुआ।

Page No 30

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सीकर और झुंझनू के कुछ स्टेशन को बिजली मिलने वाली है, वह कब तक मिलेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जनवरी, फरवरी तक मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

सरकार द्वारा सन् १९५२ से आज-तक भंग की जानेवाली नगरपालिकाएँ

१२५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) सरकार ने सन् १९५२ से लेकर अब तक कुल कितनी नगरपालिकाएं को भंग किया ? जिन जिन नगरपालिकाओं को भंग किया गया, उनको भंग करने के कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) जो नगरपालिकायें भंग की गईं, वे कौन कौन से दल की थीं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट टर्न पर दे दिया जायेगा। ये नगरपालिकायें किन किन दलों की हैं, यह पता लगाया जा रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : पहली का दल नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लिस्ट आ गई, उसके बारे में मैं आगे पता लगा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मुरलीधर व्यास : एक प्रश्न मैंने रेल्वे के बारे में पूछा था। यह मंत्री जी ने कहा कि इसका उत्तर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर देंगे। जो लिस्ट मैंने मांगी वह मुझे मिल चुकी है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि उत्तर दे सकते हैं लेकिन वह उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे उत्तर मिला है।

श्री अध्यक्ष : लिखित उत्तर आ चुका है, उसके अनुसार उत्तर दे सकते हैं लेकिन आप सप्लीमेन्टरी वगैरह पूछें उसके लिए वे तैयार होकर नहीं आये।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : महाराज श्री हुकमसिंह का क्वेश्चन था ...

श्री अध्यक्ष : तीन, चार हैं लेकिन समय नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्वेश्चन नम्बर १०५ बहुत इम्पोर्टेन्ट है, इसे ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रश्न का उत्तर देने की इजाजत दे दें तो ठीक रहेगा। दो मिनिट लगेंगे।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में समाप्त नहीं होगा, अगर इतना महत्वपूर्ण है तो।

१२. ५. म. प.

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८ (अग्रेतर विचार-विमर्श)

जैसी कल व्यवस्था दे दी गई थी, इस

(श्री अध्यक्ष)

धारा पर बहस दो बज कर १५ मिनट तक चलेगी और उसके बाद राजस्व मंत्री महोदय बहस का उत्तर देंगे। राजा मानसिंह का एक संशोधन आया है, मैं नहीं समझता कि इस समय कोई संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाय। अगर कोई माननीय सदस्य चाहें तो भाषण के दौरान में सजेशन दे सकते हैं और मंत्री महोदय उसे स्वीकार कर लेंगे या कुछ हेर फेर के साथ सदन स्वीकार कर लेगा तो वह कर सकते हैं। फार्मल तरीके से अमेंडमेंट पेश करने की इजाजत देना ठीक नहीं होगा।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : I wanted to move an amendment sir ...

श्री अध्यक्ष : You should have given a notice of it in time.

राजा श्री मानसिंह : Sir the Amendment was moved by the Hon'ble Minister and he moved his amendment during discussion and for that 24 hours notice was not given ...

श्री अध्यक्ष : You should have given it last evening.

राजा श्री मानसिंह : I did my best but I could not I request you to be more lenient.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : On a point of information Sir. मैंने कल अमेंडमेंट मूव किया था, ३० सी पर, उनका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : कौनसा अमेंडमेंट मूव किया था ?

श्री भीमसेन : ३० सी पर।

श्री अध्यक्ष : I don't know. अगर मूव हो गया है तो हो गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): That has not been moved.

श्री भीमसेन : मैंने असेम्बली में भेजा था।

श्री अध्यक्ष : भेजने से कुछ नहीं होता है, बहुत लेट आते हैं, इसलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप बहस के दौरान में सजेशन दे सकते हैं।

राजा श्री मानसिंह : There is a very formal amendment Sir. The chair gave permission to the Hon'ble Member from Phulera. The Government was given permission.

श्री अध्यक्ष : Along with the Goverment, permission was given to other members also along with you...

राजा श्री मानसिंह : I have considerably thought over the matter and after consulting the law books, I have brought this amendment to be moved.

श्री अध्यक्ष : No. It is now too late to place it. Yesterday noon, the amendment came to this House. You had ample time to put.

राजा श्री मानसिंह : At that time. I had no time and the House was adjourned in the evening and after that the office was closed.

Page No 32

श्री अध्यक्ष : I have given my ruling. If I permit yours, there may be others also.

राजा श्री मानसिंह : This is very formal ...

श्री अध्यक्ष : I don't allow.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के संशोधन विधेयक के क्लॉज तीन की धारा ३० सी पर परसों से वादविवाद चल रहा है। इस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि सीलिंग का एरिया परिवार की दृष्टि से कितना रखा जाय। ३० स्टेन्डर्ड एकड़, प्रति परिवार, जिसमें पांच व्यक्ति हैं, वह इसमें रखने की व्यवस्था की है। कल सदन में काफी गरमागरम बहस इस बात पर रही। जो एक संशोधन माननीय राजस्व मंत्री जी ने कल प्रस्तुत किया सदन के सामने, जिसके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था चाही गई कि जो व्यक्ति अविवाहित या बे शादी शुदा हैं, यानि कुंआरा है, यानि अनमेरिड है उसको केवल १५ एकड़ भूमि मिलेगी क्योंकि उसका परिवार नहीं है, इसलिए अकेले आदमी के लिए १५ एकड़ भूमि पर्याप्त है, इस प्रकार का संशोधन मूव किया। उन्होंने इस संशोधन में कुछ सदस्यों के सुझाओं को स्वीकार किया और अविवाहित के साथ ही विधुर को शामिल कर लिया, जिसकी पत्नी मर गई है, उसके बाद फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये और तर्क दिये और कई बातें बताई। अगर कोई आदमी आज बेशादीशुदा है, तो कौन सी गारन्टी है कि कल शादी नहीं होगी और ऐसे भी, अध्यक्ष महोदय, कई कई मामले खड़े हो सकते हैं, जिन कन्टीनजेन्सी का संकेत किया। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग की स्कीम है, सरकार की और सरकार यह चाहती है कि बाल विवाह न हो, देर से शादी करें लोग और जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसमें रुकावट हो। अब इस कानून के अनुसार लोग जल्दी शादी करना चाहेंगे, नहीं तो १५ एकड़ भूमि मिलेगी।

इसलिये विशेष रूप से न लेंगे, जिनका एंगेजमेंट हो चुका है, जिनकी बातचीत चल रही है और वह बात चीत फाइनेलाइज होगी, बात तो बड़ी मजाक की है। आजकल सावों के दिन नहीं है, शादियों के दिन नहीं हैं पर जब कल विधान सभा से लौट रहे थे तो मिर्जा इस्माइल रोड पर एक बारात देखी। उन लोगों से पूछा कि अभी तो सावों के दिन नहीं हैं फिर इस समय शादी कैसे हो रही है तो उन लोगों ने जवाब दिया कि राजस्व मन्त्रीजी ने इस प्रकार का संशोधन पेश कर दिया है इसलिए शादी कर रहे हैं....

(अनवरत हंसी)

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : इसका एंगेजमेंट आपने करवाया है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह बरात मेरा खयाल है सलूम्बर की थी....

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : इत्तला बहुत जल्दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बारात सलूम्बर की ओर प्रस्थान कर रही थी।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

निकासी प्रोसेशन निकल रहा था, दूल्हा सलूम्बर में ब्याहने जा रहा था....

(हंसी)

तो अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा लगता है कि यह कानून विधान सभा में आया तो इसकी चर्चा राज्य में चारों तरफ फैल गई कि फेमिलो की डेफिनेशन में नहीं आने वाले लोग जो कंवारे हैं या दूसरे हैं, वे फेमिली की डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं तो शायद उनका प्रतिनिधि मण्डल माननीय राजस्व मन्त्रीजी से मिला और यह संशोधन लाया गया। यह संशोधन ऐसा लगता है कि सिवाय हिजड़ों की हिमायत के और कुछ नहीं है। ऐसा भी लगता है कि हिजड़ों का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय राजस्व मन्त्रीजी से मिला और कहा कि हम फेमिली की डेफिनेशन में नहीं आते तो क्या आप हमसे यह आशा करते हैं कि हम जिन्दगी भर लोगों के दरवाजों पर ढोलक बजायें....

(हंसी)

और इस पर शायद राजस्व मन्त्रीजी ने सोचा है कि ऐसे लोगों के लिये व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि हस्बेन्ड वे हैं नहीं, वाइफ वे हैं नहीं और चिल्ड्रन वे हैं नहीं, इन्डिविज्युअल हैं और वह भी अन्मेरेड हैं, एडल्ट हैं, माइनर भी हैं नहीं।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : काश्तकार की डेफिनेशन में आते हैं क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : काश्तकार की बड़ी फ्लेक्सिबल डेफिनेशन है। गाडोलिया लुहारों को हमने जिस तरह बसाया, उनको जमीनें देकर चित्तौड में बसाया उसी तरह माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने सोचा हो कि सब हिजड़ों को राजस्थान में बसाया जाय गाडोलिया-लुहारों को चित्तौड़ में बसाया तो इन हिजड़ों को मालपुरा के इलाके में बसाया जाय.......

(अट्टहास)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : चित्तौड़ में गाडोलिया लुहारों को इसलिये बसाया कि चित्तौड़ में गाडोलिया लोहार ज्यादा रहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो समझ में नहीं आया कि इस तरह का संशोधन पेश करने की आवश्यकता क्यों हुई ?

हमने परिवार की परिभाषा की है कि जिसमें पति हो, पत्नी हो, पोते पोती हों और उनकी मां हो, और एक व्यक्ति परिवार की परिभाषा में आता है तो उसको इस कानून के अनुसार ३० एकड़ भूमि मिल जायेगी और जो अनमेरेड हैं उसको १५ एकड़ भूमि मिल जायेगी तो समझ में नहीं आता कि इस तरह १५ एकड़ भूमि की बचत करके कितनी भूमि बचा लेंगे और उससे कौन सी समस्या का हल कर सकेंगे।

जो तरीका सदन के सामने रखा गया, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्व मन्त्रीजी से कहा कि परिवार की परिभाषा मत रखिये, वैसी ही रहने दें जैसी कि परम्परा से चली आ रही है, नतीजा यह होता है कि वे परिवार परम्परा से चले आ रहे हैं वे इस बात की चिन्ता नहीं करते कि फेमिली ५ के यूनिट में बंट जाय और एक फेमिली को ३० एकड़ भूमि मिल रही है

(श्री सतीशचन्द्र)

उस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा भूमि लेवे। परम्परा से चले आने वाले संयुक्त हिन्दू परिवार ४० की संख्या में होते या इससे ज्यादा की संख्या के मेम्बर्स के होते और ३० एकड़ भूमि एक ५ आदमियों की फेमिली के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा भूमि प्राप्त करने की कोशिश में अधिक से अधिक छोटे छोटे परिवारों में विभक्त नहीं होते। पर वह सुझाव इनकी समझ में नहीं आया और चूंकि प्रगतिशील ज़माना है, सुझाव भी प्रगतिशील ही समझ में आने चाहिये, नूतन विचारा धारा और नूतन सुझाव ही आने चाहिये इसलिये यह नूतन प्रगतिशील सुझाव सदन में लाया गया, कोई बात दिमाग में आई और उसको संशोधन के रूप में सदन में रख दिया गया।

मुझे तो सन्देह होता है कि फेमिली की डेफिनेशन दी है वह परिभाषा यद्यपि स्वीकार कर चुके हैं, इसका संकेत ३० सी० में है. फेमिली की डेफिनेशन में लिखा है :

"Family shall mean a family consisting of a husband and wife and their children and grand-children being dependent on them, and."

मुझे कुछ संन्देह है और ऐसी आशंका है कि कानूनी अदालत कहीं ऐसा इन्टरप्रिटेशन न ले ले कि फेमिली वह है जिसमें एक हस्बेंड हो, एक वाइफ हो, बच्चे हों, और इनमें से किसी एक के अभाव में उसको फेमिली ही नहीं मानें।

श्री दामोदरलाल व्यास : वाह खूब।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नीचे परसन को डिफाइन किया है और लिखा है :

"Person" in the case of an individual, shall include the family of such individual.

जब आपने इन्डिविज्युअल के केस में परसन को रखा है तो यह इम्परसिस्टेंन्ट प्रोविजन रखने की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब तो यह हो जायेगा कि अविवाहित को जमीन नहीं मिलने वाली है। यदि एक फेमिली में वह छटा आदमी है तो उनको अकेले को अलग मानें और १५ एकड़ भूमि उसको दे दें, जो कानून से उसको नहीं मिल सकती।

इन तर्कों के उत्तर में राजस्व मन्त्रीजी ने कहा कि हिन्दू सक्सेशन एक्ट और इन्डियन सक्सेशन एक्ट की जो सेक्टिटरी है उसको हम वैसा ही रखना चाहते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्डियन सक्सेशन एक्ट और हिन्दू सक्सेशन एक्ट में यह लिखा है कि जो कंवारे हैं उनका बंटवारे के बारे में वर्गीकरण किया जाय। हिन्दू सक्सेशन कानून कहता है कि यदि कोई कुंवारा है, नाबालिग है और उनके उस फेमिली में अधिकार हैं तो उनको वे सारे के सारे अधिकार मिलेंगे, बंटवारे के समय उनको वे सारे के सारे अधिकार मिलेंगे जो कि एक विवाहित को या बालिग को मिलेंगे। तो हिन्दू सक्सेशन एक्ट और इन्डियन सक्सेशन एक्ट की जो प्रोविजन्स हैं, It will be contradictory to those provisions.

माननीय राजस्व मन्त्रीजी भी कानून पढ़े हुए हैं, उन्होंने वकालत की है और कानून बनाने यहां बैठे हैं। एक फेमिली में चार कुंवारे हैं—कानून कहता है कि सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। पर राजस्व मन्त्रीजी

Page No 35

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
कहते हैं कि अविवाहित हैं तो उसको १५ एकड़ भूमि ही मिलेगी, यह उन कानूनों की मन्शा के खिलाफ है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन के बारे में जो गुरु गम्भीर बातें हमने कहीं, आपने कहीं, उन सबको सोचें, नहीं तो इस संशोधन के कारण चारों तरफ बड़ी गड़बड़ी हो जायेगी। इन्डियन सक्सेशन एक्ट और हिन्दू सक्सेशन एक्ट की धाराओं के अनुसार जो पैतृक सम्पत्ति है उसमें बराबर अधिकार दिया हुआ है, बावजूद इसके कि वह शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, उसके बच्चे है या नहीं हैं। माननीय राजस्व मंत्री ने कहा था कि हर एक को अलग युनिट मानें, हर एक भाई के बारे में कहा कि हम बराबर का युनिट मानेंगे और हर एक को हिन्दु सक्सेशन एक्ट और इन्डियन सक्सेशन एक्ट के अनुसार राइट्स मिलेंगे। मैं यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का प्रावधान रखने के बाद अविवाहित भाई को आपने जो हक दिया है वह संविधान में बराबर का हक मिलेगा या उसका आधा मिलेगा। लेकिन यह सवाल हमारे सामने खड़ा है। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष, विडो के बारे में प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर हमने विडो और विडोअर के बारे में यह भेदभाव क्यों किया। हमारा संविधान कहता है कि कोई भी कानून ऐसे सेक्स के आधार पर नहीं बन सकता। विडो को हमने रखा है। विडोअर को हमने अलग रखा है और उसमें डिस्टिंक्शन किया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार दोनों में सेक्स के आधार पर भेद-भाव रखना हमारे संविधान की धारा के आधार पर किसी भी हालत में उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई आज विडोअर हो गया तो उसको १५ एकड़ भूमि ही मिलेगी। उसका परिवार हो सकता है, उसके बाल बच्चे हो सकते हैं और उसके परिवार में ६ आदमी हो सकते हैं, पांच बच्चे हो सकते हैं, लड़के की बहू हो सकती है, उसकी मां हो सकती है। अब आप उस ६ के परिवार में जिसमें विडोअर है उसको दो युनिट मानते हैं—एक तो ५ का परिवार जिसको ३० एकड़ स्टेन्डर्ड भूमि दी जावेगी और दूसरा विडोअर को जिसको १५ एकड़ भूमि दी जावेगी। अगर आप यह कानून काश्तकारों के लिये बनाते हैं और अगर परिवार को युनिट में मानते हैं तो आपको अपने कानून को सरल बनाना चाहिये और उन लोगों के लिये कानून बहुत सरल होने चाहिये जो काश्तकारों और किसानों से सम्बन्धित हों, जो गांवों के उन लोगों से संबंधित हो जो अनपढ़ हैं। आप उस कानून को इतना पेचीदा और टेडा न बनायें। मगर आपने तो उसको बहुत पेचीदा बना दिया है। आपने कानून की धाराओं में धाराएं, क्लॉज़ में क्लॉज और बाई क्लॉज़ और सब-क्लॉजेज़ में सब-क्लॉजेज़ और प्रोविजो जोड़ते ही चले गये हैं। उनको यह कानून आसानी से समझ में नहीं आवेगा। कानून ऐसा सरल होना चाहिये जिसको हर व्यक्ति समझ सके। अगर इससे माननीय राजस्व मन्त्री का यह विचार हो कि इस कानून से हम ऐसा कर सकेंगे कि जितनी जिसको आवश्यक हो उसको उतनी जमीन मिल सके तो मैं यह कहूँगा कि उनको इतने झगड़ों और टन्टों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इतने झगड़ों और टन्टों में क्यों जाते हैं और क्यों पड़ते हैं। मैं एक सरल रास्ता बताता हूँ जिससे न तो आपको फेमिली की डेफिनेशन में पड़ना होगा और न आपको सीलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ना होगा और

Page No 36

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपकी समस्या हल हो जावेगी आपको किसी प्रकार का झंझट नहीं रहेगा। न आपको ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का झगड़ा और न आपको यह झगड़ा रहेगा कि एक स्टेन्डर्ड एकड़ १० मन गेहूँ के बराबर उपज को माना जावे और न आपको चाही और बरानी जमीन का झगड़ा रहेगा और न किसी तहसील या डिस्ट्रिक्ट का झगड़ा ही रहेगा। अगर आप मेरे सिद्धान्तों को मान लेंगे तो आपको किसी प्रकार का झगड़ा नहीं खड़ा होगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप जिस तरह से सीलिंग करते है उसमें यह कर दीजिये कि माइनर को २॥एकड़ एडल्ट को ५ एकड़ और फिर जितने माइनर और जितने एडल्ट हों उनको आप मल्टीप्लाइ कर लीजिये। मान लें कि आपके यहां पर ८ एडल्ट हैं तो ८ बाई ५ बराबर हुए ४० एकड़ के। अगर किसी के यहां पर तीन आदमी हैं तो आप उसको ५ से गुणा कर लें और वह १५ एकड़ हो जावेगी। अगर माइनर है तो २॥ या ३ जो भी आप रखें उससे गुणा कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने चीनी के राशन में किया है कि बच्चे की आधा सेर चीनी और बड़े की सेर चीनी। इसका हिसाब राशन कार्ड पर लिख दिया जाता है और राशन कार्ड ले जाने पर उनको उसी हिसाब से चीनी दे दी जाती है उसी प्रकार आप भी बता दें और उसी हिसाब से आप भी उनके राशन की तरह से बना दें। कितने एडल्ट हैं और कितने माइनर हैं, उनके हिसाब से स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि उनको दे दी जावे। आपका ही पटवारी या और कोई भी व्यक्ति होगा उसकी मर्दमशुमारी कर लेगा जिस प्रकार सेन्सर करते हैं और पता लगा लेगा कि कितने आदमी हैं। इससे न तो आपको सीलिंग का झगड़ा होगा न किसी प्रकार से विडो और विडोअर का झगड़ा रहेगा न मेरिड और अनमेरिड का झगड़ा रहेगा। इसलिये मैं यह कहूँगा कि किसी तरह से सीधा और सरल तरीका हमको निकलना चाहिये। कानून को पेचीदा बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनको गरीब अनपढ़ किसान लोग समझ नहीं सकेंगे। अगर आपने इस तरीके को अपनाया तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही सीधा और सरल तरीका है। आपके पास किसी प्रकार के स्टेटिक्स नहीं जो आप बता सकें। आप यह भी नहीं बता सकते कि राजस्थान में कितनी भूमि है, और कितने लैंडलैस टिनेन्ट्स हैं, और कितने स्टेन्डर्ड एकड़ जिलेवाइज आप लोगों को देंगे। जो कानून की आत्मा है, जो कानून का एसेन्स है और सदन का हर एक व्यक्ति इस बात को जानना चाहेगा, हर सदस्य यह जानना चाहेगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितनी एकड़ भूमि लोगों को मिलने वाली है। इसके लिये आप कोई शेडयूल पेश नहीं करना चाहते जो आपको करना चाहिये। आपको चाहिये कि डिस्ट्रिक्टवाइज कितनी एकड़ फिक्स की है उसका शेडयूल पेश करना चाहिये। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप अपने डिस्क्रिशन से फिक्स नहीं कर सकते। अन्यथा आप अपने डिस्क्रीशन से कहीं भी जितना एकड़ आप चाहें फिक्स कर सकते हैं। किसी जिले के लिये आप ३० एकड़ कायम कर सकते हैं तो किसी के लिये आप ५० एकड़ कायम कर सकते हैं। यह सब आपकी मर्जी पर आधारित होगा। इस पर माननीय राजस्व मन्त्री यह कहेंगे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि आपको इसमें किसी प्रकार की राज्य सरकार पर शंका नहीं रखनी चाहिये, सरकार में आपको विश्वास रखना चाहिये। आपको सरकार की ईमानदारी में विश्वास रखना चाहिये, हम मेलाफाइड इन्टेन्शन से काम नहीं करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और ईमानदारी से काम करेंगे। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता, मगर मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार के कई उदाहरण सदन के सामने आये हैं जिनमें अनियमितताएं की गई हैं। मैं उनके इलाके की ही बात को याद दिलाना चाहता हूँ, अभी जिसके बारे में प्रश्न भी आये थे। माननीय अध्यक्ष, उदाहरण के तौर पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस समय जिला परिषद और पंचायत समितियों का कानून पास किया गया था उस समय इस प्रकार के डिस्क्रीमिनेटरी पॉवर्स सरकार के रहने चाहिये इसके बारे में सदन में काफी वाद-विवाद हुआ है और उसके जवाब में सरकार ने यह उत्तर दिया कि जनता को सरकार में विश्वास रखना चाहिये। हमारी ईमानदारी पर विश्वास होना चाहिये और उनके विश्वास और आश्वासन दिलाने पर सदन ने उनको डिस्क्रीमिनेटरी अधिकार दिये थे कि छोटी छोटी नगरपालिकाओं को जो पंचायतों में कनवर्ट होना चाहे उनको आप कनवर्ट कर सकते हैं। हमने यह अधिकार दिया था। उन्होंने उसका क्या सदुउपयोग किया वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। टोडारायसिंह में आज से ५ वर्ष पहले म्युनिसिपेलटी का चुनाव हुआ। उसका समय खत्म हुआ और चुनाव जुलाई में हो चुके थे। चूंकि वहां पर आपके ५० पर्सेन्ट सदस्य हार चुके थे। आपने अपनी शर्म बचाने के लिये उन हारे हुए सदस्यों को पंचायत में रख लिया और १४ सितम्बर को उस म्युनिसिपेलिटी को पंचायत में ले लिया।

(विरोधी दल की ओर से शेम शेम की आवाज)

आप चुनाव कराते हैं। आपकी चुनाव की मियाद ५८ में समाप्त हो चुकी थी मगर आपने उसकी मियाद एक साल के लिये यानि ५९ तक के लिये बढ़ाई। आपने यह मियाद बढ़ाने के बाद आपने उसको म्युनिसिपेलिटी में कनवर्ट कर दिया। यह आपने इसलिये किया कि आपको चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी और चुनाव में हारे हुए लोगों को आप सन् ६१ तक वहां पर रख सकेंगे। यह आपकी ईमानदारी और विश्वास की मिसाल है। अगर ईमानदारी थी तो आपको चाहिये था कि उनका चुनाव कराते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिये था। सीलिंग का कानून बहुत पहले आया, आज नहीं आया। यह वर्षों से चल रहा है पहले पिछली बार में आया, आप चाहते तो सारे आंकड़े और स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे कर सकते थे और हमको इस सम्बन्ध में सारी सूचना मिल सकती थी कि किस जगह पर कितनी भूमि है और किस प्रकार बांटी जावेगी। और सदन के सदस्यों के सामने यह स्पष्ट तौर पर बात आ जाती कि हमारे तहसील और जिले में लोगों के बांटने के लिये सरकार ने कितनी जमीन रखी है और क्या कार्य किया है। अगर पब्लिक किसी बात के लिये नाराज हो तो सरकार के पास पहुँचने का क्या तरीका है ? ऑब्जेक्शन नहीं कर सकेगी। आपने आपत्तियां नहीं बुलाई। फिर आपके पास कौन सा तरीका है जिसके जरिये से आप उनके साथ न्याय कर सकते हैं। आपके पास सिवाय इसके कि जो उन लोगों के प्रतिनिधि जो इस सदन में बैठते हैं

Page No 38

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपका ध्यान उनकी आपत्तियों की तरफ आकर्षित करें कि आपने जो आंकड़े बताये हैं वे गलत हैं। यह एक जिले का प्रश्न नहीं, यह एक तहसील का प्रश्न नहीं। यहां तो जो सदस्य प्रतिनिधि बन कर आते हैं वे वहां के हर गांव और तहसील और पूरे जिले की क्लाइमेट और लैंड टेन्योर से परिचित होते हैं। और वे राजस्व मन्त्री को अपना उस जिले के लिये सही सुझाव दे सकते हैं कि आपने यह जो स्टेन्डर्ड एकड़ मन्जूर किया है वह ठीक है या नहीं। मगर आपको उन सदस्यों की जो जानकारी है उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप अपने दफ्तरों में बैठते हैं और आपके कर्मचारी जो आपको रिपोर्ट देंगे और जो आपके इन्ट्रेस्ट को सूट करती होगी उसी तरह का सीलिंग का स्टेन्डर्ड आप लागू कर देते हैं। जिसका ८० प्रतिशत लोगों पर असर पड़ता है। मैं यह कहूँगा कि जिस कानून का गांव गांव के लोगों पर असर होता है जो एक प्रकार से इस कानून की आत्मा है उसका अधिकार आप अपने पास रखते हैं। मैं समझता हूँ यह कहां तक उचित है।

(समय सूचक घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर माननीय राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की फेमिली की डेफिनेशन को भूल कर उन्होंने बताया और उसको सुधारने के लिये कभी ऐसा होता है कि आदमी कोशिश करता है मगर वह बेकार होती है और उससे कोई लाभ नहीं निकलता। आप इस सम्बन्ध में कानून बना रहे हैं और कानून बना दिया और वह भी उलझा हुआ, इससे मैं यह कहूँगा कि परिवार आपस में बंटने लग जावेगा और लोग अलग अलग रहने लगेंगे। अभी अन्मेरिड भाई अपने बड़े भाई के साथ रहता है मगर इस कानून के लागू होने से बड़ा भाई उसको कहेगा कि आप अलग रहें और जोइन्ट फेमिली का आपस में बंटवारा होने लगेगा और लोग अलग अलग रहने लगेंगे। अन्मेरिड को १५ फी एकड़ जमीन मिलेगी। इसलिये उसको परिवार से बाहर निकाल दिया जावेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा न हो और लोगों का पारिवारिक जीवन शांतिमय है वह शांति से ही व्यतीत हो और शांति में ही रहना चाहिये। इसको अशांतिमय नहीं बनावेंगे और मैं समझता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

मैं राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जो संशोधन उन्होंने सदन में प्रस्तुत किया है उसको वे वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री बरकतुल्लाखां (जोधपुर-२) : Mr. Speaker Sir.

When I read the amendment notice which was moved by the Hon'ble Revenue Minister, I was delighted by his ingenuity of thought and though I was as much oppressed by it then as I am opposed to it now I was prepared to congratulate him on his brave wave. Even that little pleasure was denied to me when I learnt that this amendment was already passed by the Kerala Legislative Assembly and we are merely borrowing it. Personally I feel, there is nothing wrong in borrowing because this is the

Page No 39

(श्री बरकतुल्ला खां)

second best alternative; the best of course is your own idea. But it does prove one thing that India is one and our State Government is willing to adopt new ideas even if they have to go so far as Kerala. Sir, I will not venture to say that conditions prevailing in Rajasthan are very different from Kerala as it is self-evident and needs no explanation. Here I will crave in the indulgence of the House and any Member who has the good fortune of travelling on the west coast will bear me out that is almost impossible to know when one village ends and the other begins. In fact it is long continuous chain of villages. The statistics are on my side and if any one cares to look at it will know that Kerala is much more over populated than Rajasthan. I would, with your permission, like to point out that in Kerala the percentage of education is very high while in Rajasthan the percentage is very low. Since the number of educated people is so high in Kerala, a large number of them do settle on land and adopt farming or plantation as the profession. But in Rajasthan a very small number of educated people adopt farming as their main profession. Sir, it is the privilege of the educated to remain unmarried because they alone can resist the pressure of others who want to force them in wedlock.

(थपथपाहट)

This Act, which was passed by the Kerala Legislative Assembly had a definite motive to grab as much land as possible from unmarried people while in Rajasthan the number of unmarried people is very small and by incorporating this amendment you are merely copying what was useful to other State, but is quite useless to us. We are merely trying to copy something which in our ignorance think to be rather progressive. I, therefore, submit that conditions do differ from Kerala to Rajasthan. This amendment, which was planted in futile Kerala and nursed by the Communist air is now to be transplanted in air and grove of Rajasthan with the Congress support. This amendment was passed by one Assembly and one is tempted to believe that there must have been strong reasons to incorporate it in the Act. This is one of the arguments, which the supporters of this Amendment are apt to use and on the face of it there appears to be some perversive force, but I beg to submit that there is fundamental difference of approach between the Congres and the Communists. I am not here to criticise the late unlamented Communist Government of Kerala or to offer any comments on the Acts passed by the Kerala Legislative Assembly. But the approach of the Communists is very different from ours. We believe in evolution, reforms and sitting accross the table and converting the other

(श्री बरकतुल्ला खां)

man to our point of view whereas communists believe in revolution and a complete change of social order. They would rather have chaos to bring about their order but we abhor chaos. If you call a communist a sympathiser of foreign powers, he will not mind. He is a very responsible person so far as his party is concerned and he is tolerant that he is not willing to condemn China for violating our borders. But the moment you call him a reformist his blood will boil. This is the difference between their approach and ours. We believe in toleration and what could be a bitter example of toleration than the existance of Swatantra Party and the Communists party in India when the Congress is in power in the Centre and as well as in the State. Therefore, I would submit that we should be careful and if I may say so, doubly careful in copying their measures. There is a double edged sword meant to destroy the existing social and not to reform it. The Hon'hle Minister intervened last and said that justice demands that this amendment be accepted. His argument was very convincing but my only regret is that this argument should have been used on 'chouper' and not in this House. 'Justice' is not a word which should be lightly used. It has its own conotation. Jaurists of all ages and all parts of the world contributed their best to the interpretation of this word Justice. Justice cannot be detached from logic and reason. It sounds very logical when my friend says that one man should not get as much land as five persons. But he becomes illogical when he says that two persons should get as much land as five. What is this logic. If you want to be logical then have it on sliding scale. Neither one, two, three or four persons should get as much land as five. Or I am forced to submit that there is some thing wrong with our way of thinking. I would appreciate if we admit that our approach is wrong but since we have got the majority we propose to go ahead. I, as a Congressman, will vote for it or if my conscience pricks I will resign my membership of this House. I feel it is very unfair to this House when we are asked to accept something illogical in the name of logic.

The other point, Sir, which I want to bring to the notice of the House is that any reforms, whether ecomomic or political cannot be detached from social base today. They have got their repurcussions, they have got their background and they have got their consequences. To-day in a socialistic order any reform must have its base on social problems. To-day what is the problem of Rajasthan What is the problem of India ? The problem is our population. The problem is that people are increasing at tremendous speed and we don't have

(श्री बरकतुल्ला खां)

enough space for them, we don't have enough food for them. Therefore, the population has to be kept in check, otherwise all our plans are liable to fail. With this amendment you are compelling those who are unmarried that "either you should marry or we will punish you".

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : I am sure, Sir, the Hon'ble Member has not changed his mind.

श्री बरकतुल्ला खां : I will not change it even if you are willing to exchange places with me.

When we are trying all the time to keet the population under control, here by this amendment we are providing that anybody who is not married or who is a widower, he will have only half the area of land which is available to married persons. Therefore, the result will be that in order to grasp more land, people will get married. And in our villages when people marry, they start having children in a year or two because the modern contraceptives are not available there. Last evening I had a talk with an Hon'ble Member and he said that he was greatly perturbed because his daughters have got certain pieces of land in their own names and they are un-married. He said that he should now rush to marry them so that they can save the land.

So, on the one hand we are planning to control the population and on the other hand, through this very Act of legislation, we are creating an impression that anybody who is uot married or has not got a wife will be punished, and therefore, he should get married. So the basis of our approach is fundamentally wrong. I don't mind if the Government comes forward and says, "We don't want the recommendations of the Planning Commission and we will have our own approach to the problems." Then that will be very honest. But on the one hand we pay a lip sympathy to all the reports of the Planning Commission and praise them and on the other hand we are ignoring those reports and are acting contrary to their recommendations.

There is another point and it is about humane consideration. I don't know if any Government can be considered as humane, because the Government today have to do things which are not humane. That is probably the dirty part of it. They have to maintain law and order and they cannot afford to be very humane. But in this Act we are going very far from being humane. If a man is an adult and is not married, he will get half the land. But the day he marries, he does not get any extra land. My friend, from Government benches will say, "Well he can always apply to the Government and if land is avaivlable, he can be allotted." But where is the land to be allotted to him ? In other words, he will depend on your kindness and

(श्री बरकतुल्ला खां)

mercy to get his piece of land.

Either you should say, "we don't have any humane approach. It is a blind man's lathi and it this anybody who comes within his range. We have got our absolute majority and we will do whatever we like." Then it is a right. You should know that there Will be hard cases, and the amount of land that you will get will be very meagre and it will not affect your Plans in any way. It is not necessary to follow others blindly Because other State has passed Ceiling law affecting unmarried person therefore we should also pass them, that is not correct. The other provinces might have the necessity for this type of ceilings, but we don't have. It will be hardly fair to the people here.

Therefore, I submit that there is still time to reconsider the issue and the Hon'ble Minister should withdraw his amendment. He should not feel that it is his child, because it is not his own child but it is an illegitimate child which will not suit him and will never be his.

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) : माननीय सदस्य ने जो कुछ अपनी वक्तता में कहा उसकी पुनरावृत्ति न करते हुए जो कुछ तथ्य हैं मैं उन्हीं पर प्रकाश डालूंगा।

जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा जो कुछ भी बातें हम कानून द्वारा पास करें वे ऐसी होनी चाहिये जिनके ऊपर मानवी दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये केवल कुछ कारणों से हमको ऐसा कानून पास नहीं कर देना चाहिये जिससे हमारे काश्तकारों की दशा बद से बदतर हो जाय।

मैं इससे पहले कुछ तथ्यों के ऊपर आऊं यह बतलाना चाहूंगा कि हमारे यहां भूमिहीन काश्तकारों की संख्या अन्य प्रान्तों की अपेक्षा कैसी है ? मद्रास ५३.० मैसूर में ४२.०। केरल में ३५.५. मध्यप्रदेश में ३१.० हैदराबाद में ४२.१। बिहार में १३.६ और राजस्थान में ४.३८ है। यह ज़मीन के ऊपर लैन्डलैस एग्रीकलचर लेबर का प्रेशर है। ये अंक मैंने कांग्रेस के पत्र आर्थिक समीक्षा के लिये है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम प्रस्तुत धारा पर आते हैं तो हमें यह देखना होगा कि हमने जो सीमा का निर्धारण ३० स्टेंडर्ड एकड़ रखा है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखना हमको यह है कि इन तथ्यों के आधार पर जो हमने इस बारे में विशेषज्ञों की कमेटी बिठाई थी उसके द्वारा जो रिपोर्ट आयी है उसमें १०० से १५० और १५० से २०० एकड़ तक जो क्षेत्रफल लोगों के पास है उसका हिसाब निकाला जाय तो हमारे पास केवल जो भूमि आयेगी वह कुछ अधिक नहीं है। हमको इससे ४२१३२५.७ वर्ग एकड़ भूमि मिलेगी। इतनी भूमि को लेकर के उन लोगों को जिनके पास कम भूमि है न उनको बसा सकते हैं और न उन परिवारों को ही भूमि दे सकते हैं जिनके पास भूमि नहीं है। इस प्रकार से जो आंकड़े हैं उनको देखा जाय तो हमें स्पष्ट प्रतीत होगा-अधिकतम सीमा जो निर्धारित की गई जो आमदनी ३६०० रुपया आंकी गई थी जो अब नेट १८०० रुपया

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

वार्षिक आय हुई है, उस हिसाब से एक परिवार में जिसमें पांच आदमी गये हैं उस कृषि पर निर्भर रहने वाले परिवार के लिये १५० रुपया मासिक आता है। इस मासिक आमदनी से वह अपने घर का खर्चा चला सकेगा या नहीं यह देखने की बात है। ऐसी हालत में जब तक यह पता नहीं चलता कि हम किसके लिये इन सारी बातों की गणना कर रहे हैं किस प्रकार से उन लोगों की जिनके पास कम भूमि है उनकी दशा किस प्रकार से सुधार सकेंगे। यह बात ठीक है कि हम यहां राजस्थान केनाल ला रहे हैं जिससे यह बताया गया है कि ६० लाख वर्ग एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इसके अलावा भी हमारे पास काफी जमीन बेकार पड़ी है, वेस्ट है। अगर हम उसका ठीक प्रकार से उपयोग कर पायेंगे तो उन परिवारों को वहां बसाया जा सकता है जिनके पास भूमि नहीं है। और उस केनाल के पानी का उपयोग करके इस प्रान्त को लहलहाता हुआ बना सकते हैं। अगर हम उस इलाके में बसाने के लिए राजस्थान से बाहर के आदमी लाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ यह समस्या इसी प्रकार बनी रहेगी। सारी भूमि जो राजस्थान नहर से सिंचित होगी वह करीब ६० लाख एकड़ होगी और कलचरेबल वेस्ट लैन्ड है वह है १,८९,३९ एकड़ है। यह हमारे पास अतिरिक्त है और इस तरह से भूमि निकाली जाय तो हमारे वहां काफी भूमि मिल सकती है। अगर इसी हिसाब से सीमा निर्धारण समिति ने जो आंकड़े दिये हैं उनको मिलायेंगे तो यह समस्या हमारे यहां विशेष मालूम नहीं होगी। राजस्थान केनाल के आने के बाद लैंड लैस लेबर की समस्या बिल्कुल नहीं रहनी चाहिये। मैं समझता हूँ तीस एकड़ का जो प्रावधान रखा गया है और इसके बारे में जो डेफिनेशन दी हुई है, जो तरीका दिया गया उन तरीकों से साफ पता चलता है, जोइन्ट हिन्दू फेमीली को जिस तरह से डिफाइन किया गया है उसमें काफी कानूनी दोष हैं उन दोषों को ठीक तरीके से देख लेना चाहिये।

इसके अलावा जो परिभाषा रखी है उसमें जो प्रेसक्राइब्ड मेनर रखा है वह मैं समझता हूँ यह ऐसा अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखा है उसमें इस बात की गुंजाइश है कि इसमें बहुत कुछ रद्दोबदल किया जा सकता है। ठीक यह होता की सारे डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों के आंकड़े रख दिये जाते तो मैं समझता कि स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती। ऐसी परिस्थिति में जो प्रावधान रखा गया है कि स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन रहनी चाहिये और इसको भी कम करने के लिए जो भावमय व्याख्यान और दलीलें दी गई हैं, मैं समझता हूँ इसे कम करने की गुंजायश नहीं है। अधिक ही कर सकें तो ज्यादा अच्छा है। वरना तो धारा ३० सी का मैं समर्थन करता हूँ।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : धारा ३० सी पर बहस होते हुए आज तीसरा दिन है। मैं तो यह समझता हूँ कि पिछले चुनावों के बाद जब से हमारी विधानसभा का कार्य चल रहा है, किसी भी कानून की किसी भी धारा पर इतने समय तक वाद-विवाद होने का कभी अवसर नहीं आया। यह धारा ३० सी ऐसी बन गई है कि अभी तक यह हाउस इस बात पर निर्णय नहीं ले सका कि वास्तव में हमारे सीलिंग का क्या आकार होना चाहिये।

Page No 44

(श्री रामचन्द्र)

इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, जैसा कि मेरी समझ में है, यह है कि जब हम इसका आकार निर्धारित करते हैं तो हम अपने आसपास के राज्यों के आकार को ध्यान में रखते हैं। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के आसपास जो राज्य हैं पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश बम्बई उनमें पंजाब और उत्तरप्रदेश की भूमियां बिलकुल समतल हैं। वहां पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपको प्रायः एक ही प्रकार की भूमि मिलेगी। इसी प्रकार बम्बई और मध्यप्रदेश की भूमियां यद्यपि सब जगह समतल नहीं है फिर भी क्वालिटी के लिहाज से एक सी हैं। इनके मुकाबले में राजस्थान की भूमियों में बड़ी विषमता है। एक ओर देखें तो पहाड़ है, दूसरी ओर निरा रेगिस्तान है, तीसरी तरफ देखें तो नदियों की घाटियां हैं। ऐसी स्थिति में हम दूसरे प्रदेशों की भूमियों के अनुसार सीलिंग निर्धारित करने जावेंगे तो कभी भी नहीं कर सकते। यही नहीं, राजस्थान तो बहुत सी बातों में बहुत अधिक विषमता लिये हुए है। आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक सभी दृष्टियों से अन्य राज्यों से भिन्न है। वैसे तो थोड़ी बहुत विषमता सब जगह पाई जाती है पर यह विषमता तो इतनी अधिक बड़ी है कि जिसकी वजह से हम निर्णय नहीं कर पाये हैं कि वास्तव में सीलिंग का प्रकार क्या रहना चाहिए। तीस एकड़ का एक स्टेन्डर्ड फार्मुला और राज्यों में हम आसानी से लागू कर सकते हैं पर यहां नहीं राजस्थान में इस तरह का कोई एकसा फार्मुला नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि यहां तो इतनी विषमता है कि हम अगर एक जगह पचास एकड़ भूमि दें तो दूसरी जगह उस पचास के मुकाबले में दो ढाई सौ देनी पड़ती है क्योंकि भूमि की उपज में भी इतना ही अन्तर और विषमता है। जब यह चित्र हमारे सामने आता है तो एक बात का आभास हो जाता है कि राजस्थान सरकार को भिन्न भिन्न भागों में एक समान नीति निर्धारित करने और उस पर अमल करने में कठिनाई है, वह कर नहीं रही है और यही कारण है कि निश्चित राय पर पहुंच नहीं रहे हैं।

दूसरा निवेदन यह करना है कि राजस्थान में न केवल प्राकृतिक विषमता ही है, बल्कि यहां तो सामाजिक विषमता भी इतनी पाई जाती है कि भारत के अन्य राज्यों में नहीं मिलेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि यह राज्य हमेशा से राजा--महाराजा, जागीरदार और जमींदारों, बिस्वेदारों का एक तरह समूह रहा है और दूसरी ओर उन गरीबों का रहा है जो सदा से इनके द्वारा शोषित होते रहे हैं और इनकी नौकरी-चाकरी में दबे रहे हैं। ये नौकर-चाकर भी इनकी इच्छा पर ही केवल अपना जीवन बिताते रहे हैं। उनको किसी तरह की कोई सुविधा कभी प्रदान करने का प्रयास तक नहीं किया गया और यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि वे लोग केवल एक पशु का सा जीवन व्यतीत करते रहे और हालत यहां तक दयनीय हुई कि आर्थिक संकट में फंसकर उनके खानेपीने तक का भी किसी तरह का साधन न रहने पर जूठन खाकर और मुर्दा मांस खाकर भी जिन्दा रहने की कोशिश करते रहे। तो जिस राज्य में सामाजिक विषमता इतनी हो उसके लिए दूसरों से किसी तरह तुलना नहीं की जा सकती। अब राजस्थान सरकार ने संकल्प किया है उस

Page No 45

(श्री रामचन्द्र)

स्थिति को बदलने का कि यह आर्थिक विषमता न रहे और वे भी समान स्तर पर आवें ऐसी हालत में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि चाहे कुछ ऊपर पहुंचे हुए, सामाजिक दृष्टि से उन्नत लोगों का जो थोड़े हैं, उनका थोड़ा नुकसान भी भले ही हो जाय, पर जहां अधिक लोगों के हित का सवाल है वहां उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये।

१२-५७ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सीलिंग के आकार को निश्चित करते समय हम हमेशा यह ध्यान रक्खें कि जिनके पास से ज़मीनें जा रही हैं वे तो अलबत्ता इसके विषय में आपके सामने बहुत से तर्क वितर्क रखेंगे पर आप उनके तर्क वितर्कों के साथ न बह जावें। आप उन गरीबों का ध्यान बराबर अपने सामने रखेंगे, उनकी गरीबी का नक्शा अपनी नजरों से ओझल न होने दें जिन्होंने अपना सर्वस्व देकर, अपना खून पसीना एक कर अपनी पशुओं से भी बदतर स्थिति को अंगीकार करके उन बड़े लोगों की ज़मीनों को जोता है, बोया है और उपजाऊ बनाया है। आज जब हम उनके इस शोषण का उचित मुआवज़ा देने जा रहे हैं उनके साथ न्याय करने जा रहे हैं तो उनको न्याय देने के रास्ते में जो किसी प्रकार का रोड़ा अटकाया जा रहा है उन सारे रोड़े-कंकर पत्थरों को दूर करके उनके साथ न्याय होना चाहिये।

इसलिए सीलिंग के अन्दर तीस स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि बहुत अधिक है और मैं तो यह निवेदन करूंगा कि अगर देना ही चाहते हैं आप तो तीस एकड़ अनइरिगेटेड लैंड को फर्स्ट क्लास का स्टेन्डर्ड मानकर बाकी जितनी भूमियां हैं उनके रेट के लिहाज से प्रपोर्शनेटली बांटकर उनको दे दी जावे। ऐसा करने से उन लोगों को भी यथायोग्य भाग मिल जावेगा और गरीबों को भी ज़मीन मिलने का पूरा अवसर मिल जावेगा।

दूसरी बात, जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि सरकार ने गांवों में जो स्टेन्डर्ड एकड़ का आकार मुकर्रर किया है और इसके लिए एक जो लम्बी-चौड़ी परिभाषा मुकर्रर की है जिससे कि वह काफी कॉम्प्लीकेटेड बन गया है। उसे अनपढ़ किसान नहीं समझ सकेंगे और इसकी आड़ में उनके साथ जितना अन्याय हो सकता है हो कर रहेगा। इसलिये इस प्रकार का कोई कानून न बनावें जो पेचीदा हो। जिसे साधारण किस्म का किसान न समझ सके। कानून ऐसा होना चाहिये जो सरल भाषा में हो और किसान भी उसे सरल तरीके से समझ सकें इसलिये यह स्टेन्डर्ड एकड़ का नाम नहीं रहना चाहिये।

१.०० म० प०

कल विवाद करते हुए इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की एक दलील पेश की कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है या जो लोग ज़मीनों से अब तक वंचित रहे हैं बेहतर यही है कि उनको ज़मीन देने के बजाय उन्हें किसी उद्योग-धंधों में लगाया जाये। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि ज़मीन देने का अधिकार केवल उन्हीं को दिया गया है कि जिनका प्रोफेशन

(श्री रामचन्द्र)

एग्रीकल्चर रहा है। सम्पूर्ण जीवन भर चाहे ज़मीन उनकी हो या किसी दूसरे की हो ज़मीन पर खेती-बाड़ी करते आये हैं। तो यह एक अजीब बात है कि वह लोग जो कि दूसरों की ज़मीन पर खेती बाड़ी करते आये हैं उनके लिए यह फैसला देने जा रहे हैं कि उनको ज़मीन दी जाये और उन लोगों को ज़मीन दी जाये जिनके पास सैंकड़ों नहीं बल्कि हजारों बीघा ज़मीन है और जिन्होंने अपना खून और पसीना बहाकर उस ज़मीन से लाभ उठाने के लिये कभी प्रयत्न नहीं किया है। केवल उन्होंने उस ज़मीन का फायदा उन गरीब मजदूरों की मेहनत से उठाया है जिनके लिये आज कहा जाता है कि उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनको उद्योग-धंधों में लगाया जाये। मैं तो यही कहूँगा कि ज़मीन उनको ही दी जाय जो कि खुद खेती करते हैं। उन लोगों को या तो दी ही नहीं जाये या कम दी जाये जो कि खुद खेती नहीं करते हैं और अपनी ज़मीन को दूसरों को सब–टिनेन्ट बनाकर या दूसरों से मजदूरी कराके खेती करते हैं। ऐसे आदमियों के पास ज़मीन रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये फिर मेरा यही निवेदन है कि जो भूमि का आकार निश्चित करने का विवाद हो रहा है इस आंकड़े को निश्चित करने में सरकार सरल से सरल नाप रखे और इस प्रकार का रखे कि सब को ज़मीन करीब करीब इतनी तो मिल जाये कि वह अपना जीवन निर्वाह भली प्रकार से चला सके।

श्री उपाध्यक्ष : राजा श्री मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Mr. Deputy Speaker, Sir. It is unfortunate that Chair had ruled that the amendment that I had moved...

श्री उपाध्यक्ष : That 'unfortunate' even should not come.

राजा श्री मानसिंह : No Sir, I have been given permission to mention the amendment in my speech. Sir, the way the strictness of the Chair has been applied to me, I will hope the same procedure will be applied to the Government who will have to follow the procedure of the House in future.

श्री उपाध्यक्ष : That is not affecting the amendment.

राजा श्री मानसिंह : It is difficult for us to move amendments to amendments placed before this House if sufficient time is not given to us by the Government who move amendments to their own Bills. The facility given to the Government by the Secretariat is not given to other members.

श्री उपाध्यक्ष : Would I request the Hon'ble Member that his observation does not fit in here. These are questions to be referred in the Chamber rather than to be placed on the floor of the House. I would request the Hon'ble Member please not to refer this issue here.

राजा श्री मानसिंह : The Hon'ble Minister who is piloting this Bill introduced this Bill in the House in the year 1958. He was also a member of the Select Committee which considered this Bill. It is amazing, there-

Page No 47

(राजा श्री मानसिंह)

fore, that now at this stage he has put up an amendment which substantially changes the nature of the clause before us. It is very wrong procedure for the Government to adopt and I would request the Government not to follow this procedure in future.

The intention of this amendment is to hit against those agriculturists who have in all sincerity transfeared land to their major sons or daughters who have separated from the family and who have not married. The Government should not formulate a policy which diffrentiates between different Individuals on the fact that they are married or unmarried. The argument of the Hon'ble Minister is that the individual should not benefit from the ceilings to the same extent as a family of five or less than five does. A family can be of one person, two persons or five persons. Now, under this Bill, if the family consists of more than five members, then the ceiling area has to be increased more than 30 standard acres. But if a family consists of two or three members, then it will get the same area as a family of five members. A family consisting of five members will have to subsist on 30 standard acres, which means that each individual will get only six standard acres, whereas an individual, according to this amendment, will be given a benefit of having his income derived from 15 standard acres if he has no family. I entirely agree, Sir, that if the basis for fixing the ceilings had been the individual, then perhaps this amendment would have been necessary. But in the present circumstances when the basis is a family, then to differentiate between a separate individual and an individual in a family is wrong. What I would suggest is that in the clause at the end of this proviso to be made, the following words should be added.

"...unless the circumstances under which the person could not marry or re-marry were beyond his control or he was incapacitated to do so by any custom, usage, law or rule for the time being in force."

I would also have suggested that the original amendment moved by the Hon'ble Minister should have been couched in a more grammatical English. the words "...of an adult un-married person or a widower without a family..." should be substituted by the words "...person, who is un-married, widower or divorcee without a family...". The proposed section would then read :—

"Provided further that in the case of a person, who is un-married, widower or divorcee without a family, the ceiling area shall be half of the ceiling area applicable to a family of five members, unless the circumstances under which the person could not marry or re-marry were beyond..."

एक माननीय सदस्य : But Sir, he has not been allowed to move his amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Amendment has been disallowed, but according to the observations of the Chair he has been allowed to give some reference of the amendment; but he will not exceed the limit.

राजा श्री मानसिंह : "were beyond his control or he was incapacitated to do so by any custom, usage, law or rule for the time being in force."

It is quite clear to me, Sir, that as the amendment stands at the moment, only an adult person has to be penalised. A minor who has to inherit land of 30 standard acres can get full benefit from 30 standard acres until such time that he becomes an adult. By this proviso, Sir, no person after the present generation of parents dies will be able to inherit more than half the area that is proposed in this Bill. No person can marry until he becomes legally adult and if he becomes legally adult and is not married, he will inherit only half of the ceiling area proposed. If he had married when he was minor, then also his marriage will be nullified and he shall only be entitled to half the ceiling area.

Further, Sir, the service conditions in the armed forces are such that a person cannot marry until permitted. If an agriculturist, who is an adult, joins the armed forces where he is not permitted to marry, then the land will be taken away from him. Similarly, it is possible that an agriculturist may be overseas for studies or any other reasons. He may not be married before he left for overseas or his wife might have died. This amendment willl mean that that person will have either to cut short his visit overseas to run to his country and marry, or marry a foreigner while overseas.

The Hon'ble Revenue Minister has suggested that a person who is penalised in this way may afterwards acquire land. Acquire land from where, Sir ? We have not got enough land to distribute among the landless classes. How does the Hon'ble Minister expect a person who is penalised by this amendment to acquire land when he gets married ? Parhaps all those non-agriculturist Congressmen, Sir, who have got lands in their names may want to sell land to agriculturists at the highest price in this way.

Therefore, I appeal to the Hon'ble Minister, Sir, that he should withdraw his amendment.

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनराय नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सरकार की ओर से सदन के समक्ष प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस संशोधन....

राजा श्री मानसिंह : Are yon merried or un-merried ?

श्री उपाध्यक्ष : That is not the question for yon.

राजा श्री मानसिंह : Sir, his opinion will be biased.

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : इस संशोधन के साथ साथ एक बड़ी दिलचस्प समस्या सदन के सामने आई कि सारे भूमि के प्रबन्ध में जो कुवारें हैं उनका आखिर क्या भाग हो। मुझे यह देखकर खुशी भी हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे सदन में जो कुंवारे हमारे माननीय मित्र हैं उनको अपने बारे में और जो हिन्दुस्तान भर के कुंवारे हैं उनके बारे में न केवल हमदर्दी हुई लेकिन कुछ चिन्ता भी उत्पन्न हुई है।

चूंकि अधिकांश माननीय सदस्य इस सदन के कुंवारे नहीं है इसलिए इस चिन्ता के साथ हम लोगों की कितनी मानसिक लगावट होती है यह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह सही है कि कुंवारे हमारे समाज की बड़ी समस्या, बड़ी विचित्र समस्या है, दिलचस्प समस्या है, और हमारी सांस्कृतिक बहुत सारी समस्यायें हैं उनसे कतई इसका जोड़ नहीं है, हमारे समाज में जो कुंवारे हैं जो भारतीय समाज के मूलाधिकार हैं उन अधिकारों में मैं समझता हूँ कि अब इस बात की इजाजत दे दी है कि आप कुंवारे रह सकते हैं। हमारे सामाजिक परम्परागत इतिहास में, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हिन्दू समाज का सवाल है, बिना शादी के रहना एक अर्से के बाद उचित नहीं माना जा सकता है। लेकिन ज्यों ज्यों प्रजातान्त्रिक सामाजिक पद्धति का विकास हो रहा है, वह जमता चला जा रहा है, यह सही बात है कि यह भी एक अधिकार है कि आप चाहें तो शादी के बन्धन में पड़ें, आप चाहें तो नहीं पड़ें। व्यक्तिगत रूप से पुरोगामी समय की कल्पना करता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं मानता हूँ कि ज्यों ज्यों व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आधारित एक जनतान्त्रिक समाज का विकास होता चला जायेगा हमारे समाज में भी और तरह से कुवारों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि होती चली जायेगी। लेकिन सवाल तो यह है कि इस समय हम जो सीलिंग लाना चाहते हैं उसकी दृष्टि से कुंवारों के आखिर कितनी जमीन सीलिंग की दृष्टि से उनके पास बची रहने दी जाय। बड़ी हमदर्दी के साथ यह दलील यहां पर दी गई कि कुवारों को भी जो विवाहित है उनके समान ज़मीन रखने का अधिकार मिलना चाहिए, और यह जो संशोधन लाया गया है वह ठीक नहीं है। उनके साथ साथ कुवारों के साथ पूरी हमदर्दी होते हुए भी यह कहना बिल्कुल ही आवश्यक है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे सामने इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है दूसरा या तो हम व्यक्तिगत आधार पर सीलिंग की नीति को अपनायें तो उस नीति के जरिये यह जो समस्या हमारे सामने है उसका हल निकाल सकते हैं और विवाहित और अविवाहित का भेद हम मिटा सकते हैं, लेकिन कुटुम्ब के आधार पर सीलिंग करने का निश्चय किया है, तब यह दी हुई परिस्थिति में प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जो विवाहित नहीं हैं और जो कुटुम्ब की परिधि से निकलते जा रहे हैं, जो कुटुम्ब बढ़ाने की परिस्थिति में अपने आप को नहीं रखना चाहते हैं या जो कुटुम्ब नहीं बढ़ा पायेंगे, उनके पास कितनी ज़मीन रहे।

आज सीलिंग के आने के बाद राजस्थान में हलचल है, उपाध्यक्ष महोदय, वह हलचल इस बात के लिए विवश करती है कि

(श्री जनार्दनराय नागर)

हम इस प्रकार के प्रावधान इस बिल के अन्दर करें कि जो विवाहित नहीं हैं उनके पास १५ एकड़ से अधिक जमीन नहीं रहनी चाहिये। मैं सरकार से सहमत नहीं हूँ कि कुंवारों को १५ एकड़ जमीन दी जाय। सीलिंग की दृष्टि से यदि मेरा बस चले, मेरी बात सरकार मानें तो कुंवारों को ५ एकड़ से अधिक जमीन नहीं मिलना चाहिए। आखिर वह एक आदमी है। वह पत्नी नहीं रखना चाहता है, गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करना चाहता है। यह एक सांस्कृतिक जेन्टिलमैन है वह ५ एकड़ जमीन के अन्दर यानी ७, ८ बीघे के अन्दर वह व्यक्ति गुजरान चला सकता है बशर्ते कि वह अपने आप खेती करे। मैं यह मानता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां पॉपुलेशन की बड़ी प्रोब्लम है। जनसंख्या भारतवर्ष की बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन कुंवारा रहने से जनसंख्या नहीं बढ़ेगी और जनसंख्या की बढ़ोतरी में कोई चेक लग जायेगा, और कुंवारा रहना एक बहुत बड़ा मिशन हो जाता है, इस प्रकार की जो दलील देते हैं उनसे मैं मतभेद रखता हूँ। आप जनसंख्या को रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से उपचार कितना करते हैं, वह एक अलग प्रश्न जिसको मैं समझता हूँ सीधा सीलिंग के मसले से इतना सम्बन्ध नहीं है। वह अन्ततोगत्वा जनसंख्या एक गम्भीर समस्या बन जाय, मैं समझता हूँ भूमि के इस प्रबन्ध पर काफी उसका असर पड़ने वाला है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने कुंवारों के साथ दरियादिली की है, उनके लिए १५ एकड़ जमीन रखी है वह उचित ही किया है। क्या हम चाहते हैं कि सीलिंग लाने से पहले जिन लोगों के हाथ से जमीन जाने वाली है उन्होंने अपने कुंवारे बच्चों और रिश्तेदारों के नाम जमीन करना शुरू किया है उनको न रोका जाय? उनको निश्चित ही रोकना पड़ेगा। यह न्यूनतम सीलिंग लगाने का बिल नहीं है बल्कि यह अधिकतम है। अधिकतम सीलिंग बिल परिवर्तन लाता है भूमि के नाम पर, लेकिन इससे आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता। न्यूनतम होता तो निश्चित तौर से समाज को आधारभूत परिवर्तन मिल सकता। लेकिन राजस्थान में जो भूमि की परिस्थिति है उसकी दृष्टि से अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है उससे समाज के विकास के लिये प्रगतिशील साधन हो सकते हैं इसलिये हमारा मकसद यह है कि जो लोग आज सीलिंग आने की आशंका से अपने अविवाहित बच्चों और रिश्तेदारों को जमीन बांटने में लगे हैं उनको रोका जाय, यह स्पष्ट बात है, हमारे मित्रों को समझना चाहिये। इसलिये कुंवारेपन की दुहाई देकर और विभिन्न हालत बताकर एक प्रकार का दयनीय वातावरण उत्पन्न करके यह बताया गया है कि कुंवारों और विवाहितों को एक ही श्रेणी में रखा जाय यह उचित नहीं है। विवाहित और कुंवारों में भेद रहेगा और हमारे हिन्दुस्तान में यह एक महत्वपूर्ण और आवश्यक भेद है। यदि कुंवारों की संख्या में हम बढ़ोतरी होने दें तो मैं समझता हूँ जो समाज प्रगति पथ पर है उस पर विषम प्रभाव पड़ता है। इसलिये मेरा यह मत है कि सरकार को कहें कि एक कुंवारे को ५ एकड़ से अधिक जमीन नहीं दी जाय। लेकिन पता नहीं हमारे माल मंत्री जी कुंवारों के प्रति क्यों इतने उदार हैं कि उन्होंने उनके लिये १५ एकड़ रखा।

(श्री जनार्दनराय नागर)

उनका खयाल यह हो सकता है कि एक कुंवारे पर आश्रित कुछ और लोग भी हो सकते हैं, उनके छोटे भाई, माता, पिता, हो सकते हैं, इस दृष्टि से शायद उन्होंने १५ एकड़ रखा है। ठीक है, जहां तक आज का सवाल है, यह आधा प्रारम्भ ही सही, यह आधा प्रारम्भ है उसको मन्जूर करना चाहिये। लेकिन यह दलील देना कि उनको भी कुटुम्ब की परिधि में रखा जाय और ५ आदमियों की परिवार की तरह उनको भी ३० एकड़ जमीन दी जाय तो मैं समझता हूँ, यह उचित नहीं है। इसलिये मैं अपने कुंवारे माननीय मित्रों और उनके जो हामी हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वे इसके लिये प्रयत्न न करें। जो विवाहित हैं उनको ३० एकड़ मिलेगी। लेकिन जो लोग अपने कुंवारे मित्रों के हमदर्द है उनकी हमदर्दी का परिणाम उनके हाथ में नहीं आ सकता। उनको शादी करने के लिये प्रेरित करना चाहिये क्यों कि हमारे देश में अच्छी सतन्ति की आवश्यकता है और यदि हमारे माननीय मित्र अच्छी फिजा वाले कुंवारे लोग हैं तो उनको १५ एकड़ पर ही सन्तोष नहीं करना चाहिये। वे भी समाज के प्रगतिशील नागरिक बनें और अच्छा कुटुम्ब बनावें और ५ व्यक्तियों का कुटुम्ब बनाकर ३० एकड़ भूमि लें।

श्री अध्यक्ष : ठाकुर श्री मदनसिंह।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष राजस्व मन्त्री महोदय ने जो अमेन्डमेन्ट यहां प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ और साथ ही साथ जिनकी शादी नहीं हुई है उन भाइयों से मैं माफी चाहूँगा क्योंकि कल तक अमेन्डमेंट दिया था और जिनकी शादी नहीं हुई है और जो करना नहीं चाहते उनसे बातें हुई और उनके कुछ पॉइन्ट्स कन्विन्सिंग हैं जिसके सम्बन्ध में मैं बोलता लेकिन यदि गहराई से देखा जाय तो उनको १५ एकड़ भी, बहुत ज्यादा दिया है उनको तो न देना ही उचित था क्योंकि कल जिनके भाषण में यह बात थी कि क्या हिंदुस्तान में दूसरे उद्योग खत्म हो गये हैं उन लोगों से आज यह सुनने को मिले कि आज हिन्दुस्तान में इक्वेलिटी का आधार नहीं है। ऐसी बातें सोच कर यह हुआ कि कल उनका भाषण क्या था और आज क्या है। कई लोगों ने सोशियल जस्टिस के लिये कहा और कहा कि कोई लोजिक नहीं है। उनका जवाब देना तो मेरे लिए समय व्यर्थ में नष्ट करना होगा लेकिन आधा मिलना चाहिये। इसका लक्ष्य यह है कि राजस्थान में भूमि नहीं है। एक भाई ने तो यहां तक कहा कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब हिजड़ों को जमीन देना चाहते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि वे हिजड़ों को जमीन देना नहीं बल्कि हिजड़ों से जमीन खोसना चाहते हैं। आप देखेंगे कि हजारों की तादाद में साधु शेखावाटी में हैं जिनका साधन और कोई नहीं है नागिया साधु काश्तकार हैं और १०, १० लोगों की फेमिली वाले उन पर आश्रित रह रहे हैं। उनका इन परिवारों के साथ कोई सम्बन्ध और कोई मोह नहीं होना चाहिये। उनसे तो राष्ट्र का दूसरा काम लिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता जैसा कि पंडित जी कहते हैं सड़कें कूटने का काम उनसे लिया जाना चाहिये और उनके बदले में पैसा दिया जाना चाहिये। परमानेन्टली उनसे इस तरह का काम लिया जाना चाहिये।

(ठा० श्री मदनसिंह)

उनको यदि १५ एकड़ जमीन दी जाती है तो यह कहां तक उचित है। लोगों ने कहा कि साधु कैसे करें, लेकिन यदि उनको काम नहीं करना है तो शहरों में जा सकते हैं। जमीन शहरियों के लिए नहीं है। जमीन गरीबों के लिए है जिनके पास दूसरा साधन नहीं है। आप नये नये अमेन्डमेंट लाकर यहां बहस को लम्बी करना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो सीलिंग बिल बहुत पहले आना चाहिये था वह अब इतनी देरी से आया है; अब भी अगर इसे जल्दी पास कर देंगे तो निश्चित रूप से जमीन का काफी बंटवारा होगा। जो लोग कहते हैं कि जमीन छिन जायेगी--उनके पास यदि ज्यादा जमीन है तो अवश्य उनसे ली जायेगी आज जिनके हजारों एकड़ जमीन है उनसे ली जायेगी और गरीबों को बांटी जायेगी। आज इस बात को सभी चाहते हैं।

इधर बैठने वाले स्वतन्त्र पार्टी के नेता कल सीलिंग नहीं चाहते थे आज उनके भी विचार बदल गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिसके फेमिली है उसके घर में दस दस प्राणी खाने वाले होते हैं लेकिन जो आदमी अविवाहित है उसको जमीन और घर से क्या मोह हो सकता है इसलिए मैं समझता हूँ जहां तक यह अमेन्ड-मेंट आया है, उससे राजस्थान में जो प्रोब्लम उलझ रही था वह सुलझ जायेगी। लोगों से आसानी से जमीन ले सकते हैं और अच्छे ढंग से बंटवारा हो जायेगा। अन्यथा जो लोजिक की बात थी, उधर के मित्रों ने कहा कि यह क्या लोजिक है, एक के लिए ऐसा है और दूसरे के लिए ऐसा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस लोजिक के लिए आपकी कांग्रेस पार्टी है और उसकी गवर्नमेंट है। एक के पास सहूलियत रहे ऐसा काम करना चाहिये। जागीरदारों और राजाओं को खत्म करने के लिए भी यही लोजिक था। इसलिए जिसके पास घरबार नहीं है और जो अकेला है उसको जमीन देना कहां तक उचित है। यदि तमाम जमीन उससे ले ली जाय तो भी ठीक है। तमाम जमीन लेने पर उसके पास क्या रहेगा। लेकिन वह फेमिली में एन्टर हो सकता है उसके लिये इसमें प्रावधान है। यदि आज वह अकेला है लेकिन वह किसी का तो लड़का होगा। अनमेरेड का लड़का तो वह अनमेरिड नहीं है। मैं समझता हूं फिर भी ऐसे हैं जिनकी नहीं हुई, अधिकतर हमारे कांग्रेसी सदस्य हो सकते हैं, अभी जो बोल रहे थे, उनकी शादी नहीं हुई। लेकिन जो जोइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग के सिद्धान्त को मानते हैं, तो यदि किसी की शादी नहीं हुई, तो १५ एकड़ उसे जमीन मिलेगी और १५ एकड़ अपने दोस्त की मिला कर फार्मिंग कर सकता है। मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिये (घंटी) क्योंकि सीलिंग का इन्तजार हो रहा है, यह बिल बहुत अच्छा है और बहस के लिये अच्छी चीज भी गलत चीज हो सकती है। मैं इतना समझा हूँ कि भूमिहीनों के लिये जमीन छोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन ऐसे लोग आसानी से जमीन छोड़ सकते हैं न्याय की दृष्टि से, जिनके पास कोई आधार नहीं है, फेमिली नहीं है और जिन्हें जीवन के अन्दर इन्ट्रेस्ट नहीं है। ऐसे व्यक्ति से आधी जमीन ले ली जाती है और उस पर एक पड़ोसी आसानी से बच जाता है तो अच्छी बात है। यह एक आर्गूमेन्ट मैंने रखा है, इसको

(ठा० श्री मदनसिंह)

सदन के माननीय सदस्य मानें तो विचार हो सकता है। वैसे राजस्थान के अन्दर कम हैं ऐसे लोग, और जो हैं ऐसे लोग वे दूसरे व्यापार में लगाये जा सकते है, चमड़े के काम में, गाय पालने के काम में, मुर्गा मुर्गी पालने के काम में। वैसे भी सिद्धांत की दृष्टि से अपने घर में ही देखते हैं तो पांच लड़के हैं और एक दूसरा लड़का है, तो पांच के लिए हिस्सा ज्यादा होगा और एक के लिए कम होगा, जमीन के बंटवारे में तो जो लोग शादी करना नहीं चाहते या शादी कर नहीं सकते, उनको जमीन देने का सवाल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अड़चन नहीं आती है। अगर आती भी है तो आप इस सिद्धान्त को स्वीकार करें कि मेरे पास १ लाख का ठिकाना है, उसका बंटवारा क्यों होना चाहिये, चाहे मैं अकेला था, चाहे कैसा भी था। ऐसे तर्क दिये हैं वे फ़िजूल हैं और मैं चाहता हूँ कि यह ज्यों का त्यों अमेंडमेंट पास होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु,): माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष, जो अमेंडमेंट रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। इस अमेंडमेंट में, अविवाहित, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसका वर्णन किया गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, अविवाहित, विधवा औरत, रंडुवा व्यक्ति के के लिए जो बहस कल से चल रही है, उस के विषय में प्रकाश डाला। मैंने कल ३० सी के ऊपर कुछ प्रकाश डाला था। उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने अपनी सुरीली आवाज में यह कहा था कि हरिजनों को जमीन दी जाय, मैंने उन माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। कल आपने क्या निवेदन किया और क्या माननीय सदस्यों के भाषण हुए, उस पर न जाइये। इस अमेंडमेंट के ऊपर बात कीजिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : अभी जो विषय चल रहा है वह धारा ३० सी से सम्बन्धित है कि एक परिवार को कितनी भूमि दी जाय। जो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का प्रावधान रखा था वह यह था कि एक परिवार को ३० एकड़ ज़मीन से ज्यादा न दी जाय। इसमें रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने अपने दिमाग से सोच कर राजस्थान के लाखों भूमिहीनों के लिए १५ एकड़ का बचाव करने के लिए यह अमेंडमेंट रखा, इसका मैं समर्थन करता हूं। वैसे अभी दांता रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कुछ लोगों को चर्म उद्योग में काम मिल जायगा। मैं माननीय सदस्य से आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि आप जूता नहीं पहनते हैं, क्या मैं नहीं पहनता हूं, क्या माननीय मंत्री जी नहीं पहनते हैं, क्या....

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : पहनते जरूर हैं, लेकिन चर्म का शौक नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं निवेदन करूंगा कि एक व्यक्ति जो कुंआरा है....

Page No 54

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। कुंआरे और चमड़े में क्या सम्बन्ध है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सारा शरीर खाल का है।

श्री हरिप्रसाद याद (वल्लभनागर-सु००): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अमेंडमेंट पर बोल रहा हूँ। मेरे माननीय सदस्य ने इस अमेंडमेंट पर विचारधारा रखी, उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को चमड़े का उद्योग करना चाहिए। हमारी राजस्थान सरकार जो ग्राम उद्योग के केन्द्र चलाती है उनके अन्दर कई राजपूत, बनिये और ब्राह्मण चमड़े का काम करते हैं। मैं माननीय सदस्य से सविनय निवेदन करूंगा कि आप इस बिल पर ही वादविवाद करें, न कि चमड़े पर, हाथ पर, टांग पर, लूले लंगड़े पर। यह कोई भाषा नहीं है....

ठाकर श्री मदनसिंह : आपको शौक है जिस चीज का, उसी पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पर संकेत नहीं था।

श्री हरिप्रसाद यादव : जो लोग हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हजारों बीघा जमीन पर कब्जा कर बैठे हैं और जो विधवा औरतें हैं, जो साधु के नाम से काम कर रही हैं और राजस्थान की जमीन का इन्होंने शोषण किया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप समाज के एक विशेष अंग पर क्यों संकेत करते हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं विषय पर

(हंसी)

बोल रहा हूं। यह स्थिति का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो जो १५ एकड़ जमीन रखी है माननीय मंत्री जी ने, वह ठीक (घंटी) है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। जो १५ एकड़ की जमीन रखी है, वह भी ज्यादा है लेकिन माननीय मंत्रीजी ने सेटिल-से आंकड़े ले कर और प्रवर-समिति में बैठ कर, जिससे एडवोकेट मेम्बर भी थे, यह सुझाव दिया है और अपनी अन्दरूनी मीटिंग में तय करके....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री हरिप्रसाद यादव : जो यह अमेंडमेंट है, इसका ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री हरिप्रसाद यादव : इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह पंवार।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : श्रीमान्, यह जो प्रस्तुत संशोधन माननीय मंत्री जी ने हमारे समक्ष उपस्थित किया है उस पर केवल दो एक बात मैं संक्षिप्त रूप से कहना चाहूँगा। मैं समझता हूं कई सदस्यों ने इस संशोधन पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है, अधिकतर सदस्यों ने इसे हास्य का विषय समझ कर विचार किया है। मैं समझता हूं कि इसको गम्भीरता के साथ देखते हुए मानना चाहिए और हास्य के विषय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह एक गम्भीर विषय है।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

जब हम कोई नियम बनाते हैं तो नियम के पीछे किसी न किसी रूप में कोई न कोई सिद्धान्त पहले होता है, जैसे अंग्रेजी में शब्द है, रेशनलाइजेशन, हम एक निकम्मी चीज के लिए भी कोई न कोई दलील दे सकते हैं। मगर हमें गम्भीरता पूर्वक यह सोचना चाहिए कि उसके पीछे, सामाजिक नियम के पीछे क्या उपयोगिता है ? इस पर हमें विचार करना चाहिए कि नियम उपयुक्त है या नहीं अगर नियम उपयुक्त नहीं रहता है तो फिर नुकसान की सम्भावना रहती है और इस प्रकार के कानून को बनाने का मतलब है जिम्मेदारी से नीचे गिरना। इस दृष्टि से मैं पहली चीज कहना चाहता हूँ कि जो कल एक माननीय सदस्य ने दलील उठाई कि यह डिस्क्रिमिनेशन करता है, पक्षपात करता है, नागरिक, नागरिक के बीच में। मैं एक मोटी दलील दूंगा और उसको देने से पहले जो डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद है, सिद्धान्त है, उसको एक जुमले में कहना चाहता हूं कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ समान न्याय करें, वह बराबर हो, यह बात नहीं है। इसके लिए हम दो वर्ग स्वीकार करते हैं, दो क्लासिफिकेशन्स स्वीकार करते हैं, दो सीमा कर सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन के आधार पर नागरिक के साथ कानून के द्वारा समान न्याय करें, इस प्रकार का बंटवारा करें, उसमें दो शर्तें हैं पहली शर्त है कि क्लासिफिकेशन उद्देश्य विशेष से करें, दूसरी शर्त यह कि जिस उद्देश्य विशेष को लेकर क्लासिफिकेशन करते हैं वह उसका पूरक होना चाहिए। यदि आप इस उद्देश्य को लेकर क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो वह पूरक नहीं है। अंग्रेजी में एक वर्ड है, रेशनलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप। वह नहीं है, तो उचित क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन है, यह परमीसिबल नहीं है। जहां तक मैं समझता हूँ कि विवाहित होना या अविवाहित होना, इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं रखता, इससे सम्बन्धित है कि भूमि कितनी रहेगी। जब हम बंटवारा कर रहे हैं जमीन का, तो उसके उद्देश्य को देखते हुए इस क्लासिफिकेशन का क्या सम्बन्ध है, यदि मेरे देखने में नहीं आता है। इस क्लासिफिकेशन का सम्बन्ध नहीं है उस उद्देश्य से, जिस उद्देश्य को लेकर हम कानून बनाने जा रहे हैं, क्योंकि देश के नागरिकों की आमदनी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाने जा रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि एक यूनिट के पास कितनी होल्डिंग ऑफ लैंड होना चाहिए। उसके आधार पर जब करने के लिए एक सिद्धान्त रखा है कि कितनी आमदनी होनी चाहिए और कितना उसका खर्चा हो है। लेकिन इसके लिए कोई रिजिड नियम नहीं चल सकता कि कितनी आमदनी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो इस कानून का ढांचा दूसरा होता। अब मैं इस दलील पर आता हूँ, जो मैं देना चाहता हूँ और वह दलील इसी कानून में मौजूद है ...

आपने ५ व्यक्तियों तक के परिवार के लिए ३० एकड़ भूमि का आयोजन किया है। दो व्यक्तियों का परिवार है उसको भी ३० एकड़ भूमि देंगे और ५ आदमियों का परिवार है उसको भी ३० एकड़ भूमि देने का आयोजन है। तो दो और पांच के बीच में भेद क्यों नहीं। दो व्यक्ति जिस कुटुम्ब में हैं उनको ३० एकड़ किस आधार पर दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आज दो हैं पर वे कल पांच हो सकते हैं, इसलिए मोटे तौर

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

पर यह सिद्धान्त रखा गया है। दो व्यक्ति जिस कुटुम्ब में हैं वहां पांच व्यक्ति होना जाना स्वाभाविक है, इसलिए मोटे तौर पर ३० एकड़ दिया है जिसके अलावा दूसरा और कोई सिद्धान्त इसके लिए नहीं रख सकते। यही एक दलील है। सिवाय इस दलील के और कोई दलील हो नहीं सकती कि जिस कुटुम्ब में दो व्यक्ति आज हैं वहां कल ५ व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए मोटे तौर पर यह रखा है।

जहां दो और पांच के अन्दर आप भेद नहीं देखते हैं तो जहां जीरो जीरो पॉइन्ट वन पर्सेन्ट पर असर होता है वहां इस सिद्धान्त को एप्लाई क्यों नहीं करते। जब आप दो आदमियों के परिवार के लिए यह दलील देकर ३० एकड़ रखते हैं कि कल दो की बजाय ५ हो सकते हैं तो जिस परिवार में एक आदमी है, वहां कल पांच आदमी नहीं हो सकते क्या? एक आदमी का जो परिवार है उसमें ५ आदमी हो ही नहीं सकते ऐसा कोई प्रतिबन्ध है क्या?

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दलील दी, वे विद्वान् हैं, मेरे दिल में उनके प्रति बहुत इज्ज़त है, उन्होंने एक दलील दी और कहा कि जो व्यक्ति विवाहित नहीं है उसको ५एकड़ भूमि पर ही क्यों नहीं छोड़ दिया जाय। एक आदमी तपस्वी रूप से विवाहित नहीं होता है और एक कुटुम्ब में जितना खर्चा होता है उससे ज्यादा खर्चा वह व्यक्ति सामाजिक कार्यों में करता है। वह अविवाहित है तो तपस्वी रूप में है, वह सामाजिक कार्यों में खर्च कर रहा है, वह त्याग कर रहा है समाज के लिए....

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ): क्या आपका मतलब विनोबा भावे से है?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: हो सकता है। ऐसा एक भी व्यक्ति हो सकता है पर उस एक व्यक्ति के अधिकारों पर इस तरह कुठाराघात करना संविधान का उल्लंघन है।

दूसरी बात यह भी हो सकती है कि अगर आप समाज की हालत का अध्ययन करें, एक आम सामाजिक भावना होते हुए कि हिन्दू संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति ने अविवाहित जीवन को इतना महत्व नहीं दिया है। अविवाहित जीवन के मुकाबले में विवाहित जीवन को ही ज्यादा महत्व दिया गया है, महर्षि दयानन्द सरीखों ने अविवाहित जीवन को महत्व दिया है। आज कई व्यक्ति अविवाहित रहते हैं और लड़कियां भी अविवाहित हैं, नौकरियां करती हैं तो क्या इसके माने यह हैं कि वे महर्षि दयानन्द के सिद्धान्त को मान कर अविवाहित हैं। लोग मेहनत इसलिए करते हैं कि वे अपनी कौटुम्बिक आवश्यकताओं को पूरा कर लें, उनके पास कौटुम्बिक जीवन चलाने के साधन उपलब्ध नहीं हैं तो आज वे अविवाहित हैं और ज्यों ही साधन जुटा लेते हैं तो विवाहित होकर विवाहित जीवन बिताने लग जाते हैं। पर आपने यह बड़ा अजीब नियम बनाया है, इसके माने यह है कि, तुम्हें आगे के लिए भी साधन जुटाने के लिए मनाही है, आगे साधन जुटाने के लिए तुम पर प्रतिबंध है।

आज हिन्दुस्तान में एक किसान वर्ग ही भूमि से सबसे अधिक सम्बन्ध रखने वाला वर्ग है, उसके मुकाबले दूसरे वर्ग नहीं मिलेंगे, जो मजदूर शहरों में पड़े रहते हैं उनकी

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

बीवियां भी गांवों में अकेली रहती हैं। तो किसान वर्ग में, भूमि से सम्बन्ध रखने वाले वर्ग में यदि देखेंगे, कि कितने अविवाहित हैं, इसके आंकड़े यदि आप एकत्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि पोइन्ट जीरो जीरो १ पर्सेन्ट भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार की चीज रखने में आपको व्यावहारिक रूप में भी कोई बड़ा फायदा नहीं है। यदि ऐसा होता कि किसानों में २० प्रतिशत, या ३० प्रतिशत अविवाहित होते, यह बात होती तो व्यावहारिक रूप से मान लिया जाता कि इसके लिए एक युक्ति तो है, यह भले ही सामाजिक न्याय नहीं हो, इसके लिये वैधानिक आपत्ति भले ही हो, पर इसके लिए कम से कम एक युक्ति तो है, पर इसमें वह युक्ति भी नहीं है। इस चीज को रखते भी हैं तो इसका फल कुछ नहीं होगा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत चरितार्थ होगी........ Penny wise, pound foolish.

कुछ भी फायदा नहीं, ऐसे कानून को पास करें, इसका मैं कोई औचित्य नहीं समझता।

माननीय सदस्य ने डिस्क्रिमिनेशन की कड़ी अच्छी बात कही। एक व्यक्ति का पिता मर गया, तीन माइनर सन्स छोड़ कर मरता है। हमारे देश की पार्लियामेंट ने कानून पास किया है उसके अनुसार वे लोग २१ वर्ष की अवस्था के न हों तब तक विवाह नहीं कर सकते, यदि इससे पहले वे विवाह करते हैं तो उनका विवाह अवैधानिक होगा। तो क्या आप इस प्रकार का कानून बना कर उन्हें मजबूर करेंगे कि वे अधिक भूमि लेने के लिए अवैधानिक विवाह करें? यदि नहीं तो जब वे २१ साल के होंगे तो उन्हें दूसरों का मुंह ताकना पड़ेगा।

मैं समझता हूँ कि इस पर सदन गंभीरता से सोचेगा। माननीय सदस्य कहते हैं कि कई लोगों के पास हजारों सैंकड़ों बीघा ज़मीनें पड़ी हुई है, कहां इतनी ज़मीनें हैं, कानून ३० एकड़ भूमि निश्चित करने जा रहे हैं उस समय इस तरह की बात करने के लिए बात होगी। तो मैं चाहूँगा कि बात करने के लिए माननीय सदस्य बात न करें। इस प्रकार का कानून पास करना है तो पास कर दीजिए पर कम से कम मेरी दृष्टि में यह उचित नहीं होगा। वह मेरी दृष्टि में हमारे सदन पर लांछन होगा, इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने संशोधन पेश किया अविवाहित व्यक्ति तथा विधुर व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्र की नीति है कि हिन्दुस्तान में आबादी बहुत बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई आबादी को रोकें, यह हमारे देश के सामने एक अहम समस्या है। पर मन्त्री महोदय ने जो संशोधन सदन में पेश किया है उस संशोधन की मंशा जो हमारी राष्ट्रीय नीति है उसके खिलाफ़ पड़ती है। मान लीजिये, यह संशोधन इस सदन से पास होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से असर डालेगा कि अविवाहित, विधुर व्यक्ति हैं उन्हें शादी करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह हमारे राष्ट्र की नीति है,

(श्री भीमसेन)

चढती हुई आबादी को रोकने की, उस पर इसका असर पड़ेगा।

दूसरी दलील माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह अच्छा होता कि यदि माननीय राजस्व मंत्रीजी इस प्रकार का संशोधन लाने से पहले ठीक तरह से देख पाते, आंकड़े इकट्ठे कर पाते कि हमारे राजस्थान में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अविवाहित हैं, विधुर हैं और उनके पास कितनी ज़मीन है। उसके पास कितनी जमीन है इस संशोधन के पास होने के बाद सरकार के पास वितरण करने के लिए ज़मीन कितनी मिल सकेगी। यह आंकड़े राजस्व मंत्री महोदय के पास नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का अजीब हाल है। हम जो कानून बनाने जा रहे हैं उसका क्या असर होगा उसके बारे में हमारी सरकार का दिमाग साफ नहीं है। उदाहरण की तौर पर मैं आप को बताऊं, यह जो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं वे नमूने की तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट में लैन्डलैंस कल्टीवेटर के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। बाड़मेर के लिये इसमें लिखा गया है कि ४.५.१ आदमी ऐसे हैं जो लैन्डलैस लेबर हैं। यह जो आंकड़े दिये गये हैं वे अविश्वसनीय इसलिये मालूम देते हैं कि इस क्षेत्र में जो ज़मीन काश्त के काबिल है वह ५.७ पर्सेन्ट है जो लोगों को दी जा सकती है। एक तरफ सरकार यह आंकड़े देती है कि ४००० आदमी ऐसे हैं जो लैंडलैस हैं लेकिन ५.७ पर्सेन्ट ज़मीन ऐसी है जो काबिले काश्त है। इन आंकड़ों से ऐसा ज्ञात होता है कि चार हजार आदमी ऐसे हैं जिनको मजबूरी में, जिनके पास कोई दूसरा पेशा नहीं है इस वजह से, इसमें आना चाहते हैं लेकिन जमीन की कमी हो ऐसी बात नहीं है।

दूसरा मैं आपका ध्यान गंगानगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १८० के तहत सरकार द्वारा एक नोटीफिकेशन जारी किया गया है। उसमें नान रिज्यूमेबल ज़मीन के बारे में शिड्यूल दिया गया है उसके अनुसार गंगानगर में एक मुरब्बा जमीन ऐसी है जो है जो नॉन रिज्यूमेबल लिमिट है उस एक मुरब्बा ज़मीन में जैसा कि कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है २४०० रुपये तक की आमदनी हो सकती है किस तरह से ये आंकड़े भ्रमात्मक है यह देखने की बात है। सरकार को कानून लागू करने से पहले इस बारे में यह सोचना चाहिये कि जो भी फैक्ट्स फिगर्स हों उनको इकट्ठा करना चाहिए और वे फिगर्स सदन को विश्वास दिलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिये और साथ में यह भी होना चाहिये कि जो कानून हम बनाने जा रहे हैं उससे कितने आदमियों पर असर होगा।

सीलिंग का हम कानून बनाने जा रहे हैं उनके अनुसार जो हम ३० स्टेंडर्ड एकड़ भूमि की सीमा निर्धारण करने जा रहे हैं उस तीस स्टेंडर्ड एकड़ से कितने आदमियों पर असर होगा और कितने बीघा ज़मीन प्राप्त हो सकेगी और वह हम कितने आदमियों में बांट सकेंगे, इस बारे में सारे आंकड़े हमारे सामने होने चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ राजस्व मंत्री महोदय को गंगानगर के बारे में बहुत गलतफहमी है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब

(श्री भीमसेन)

जो यह संशोधन लाये हैं उससे ऐसा मालूम होता उनको किसी तरह से यह मालूम हो गया कि गंगानगर जिले में इन दिनों जमीनों का काफी ट्रांसफर हुआ है और ऐसे लोगों को ट्रांसफर हुआ है जिनके कारण से यह संशोधन लाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर ज़िले के बारे में जो भ्रान्ति राजस्व मंत्री महोदय को हो रही है वह मैं दूर करना चाहता हूँ। यह आम गलतफहमी है कि गंगानगर नहरी इलाका है इसलिए यहां के काश्तकारों के पास काफी पैसा है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यहां के काश्तकारों की आदत की तरफ आप गौर फर्मायेंगे तो आपको मालूम होगा वहां का काश्तकार यह तो जरूर चाहता है कि वह अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से बसर करे, जो आमदनी उसको होती है वह उसको खर्च करना चाहता है और खर्च कर देता है मान लीजिए किसी के १०० रुपये की आमदनी है तो वह डेढ़ सौ रुपया खर्च कर देता है उस इलाके के लोग बहुत खर्चीले हैं-और इसी कारण से लोग समझते हैं कि वे बहुत मालदार हैं। वहां की ज़मीन नहरी है किन्तु नहरी होने के साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिये किसी के पास एक मुरब्बा ज़मीन है एक मुरब्बे में २५ बीघा ज़मीन होती है और एक मुरब्बे में किसान रबी और खरीफ की फसल मिलाकर १५ बीघा में फसल कर सकता है क्योंकि उसको केवल इतना ही पानी नहर से मिलता है। केवल साठ परसेंट भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलता है इस तरह से सात बीघा खरीफ को और ८ बीघा की फ़सल वह बोता है और दस बीघा बन्जर रखना पड़ता है क्योंकि उस ज़मीन के लिए पानी नहीं मिलता है लेकिन हमारे यहां राजस्व मंत्री महोदय को यह खयाल होगा कि वह रबी की फसल भी पूरी २५ बीघा में कर लेता है और खरीफ की फसल भी दूसरे मुरब्बे में कर लेता है यह उनका खयाल गलत है।

दूसरा गंगानगर का एवरेज रेनफाल ७ इन्च आता है जबकि दूसरे इलाके में, उदयपुर, भरतपुर में एवरेज रेनफाल बहुत ऊंचा है।

श्री उपाध्यक्ष : I think we are not within the scope of the amendment.

श्री भीमसेन : इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, जो गलतफहमी गंगानगर इलाके के बारे में है वह दूर होनी चाहिये।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज तीन के सब-सेक्शन ३० सी पर एक अमेन्डमेन्ट राजस्व मंत्री महोदय ने अपनी तरफ से पेश किया है और उसी सम्बन्ध में चर्चा चल रही है। इस जमाने में जब कि हम सोशिलिस्टिक पेटर्न की बातें कर रहे हैं वहां हम सीलिंग कायम करने जा रहे हैं, यह किसी हद तक ठीक नहीं है। सीलिंग के पक्ष में होते हुए भी जहां हम सोशिलिज्म की बातें करते हैं वहां हम यह प्रिन्सिपल एडोप्ट करने के लिए तैयार नहीं। इस बिल की सम्पूर्ण धारा को देखते हुए व्यक्तिगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो हम धारणा बना रहे हैं वह सही नहीं है। यह जो अमेन्डमेन्ट आया है वह इसी स्थिति का है। यह एक तरह से सोशियल जस्टिस के सम्बन्ध में एक प्रकार से कन्फ्युजन चल रहा है। इस सीलिंग के सम्बन्ध में जो कुछ कन्फ्युजन रहा है उसके सम्बन्ध

(श्री मोतीलाल)

में मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा। दुनिया के किसी भी देश में जो देश एग्रीकल्चर पर डिपेन्डेन्ट है उसकी आर्थिक स्थिति कभी भी दूसरे सेक्शन के लोगों से अच्छी नहीं है, न यह हिन्दुस्तान में है और न दुनिया के किसी भी देश में है। आज जो देश एटमिक युग में चल रहे हैं वहां की स्थिति का अध्ययन किया जाय तो आपको यही नतीजा मिलेगा। वहां के एग्रीकल्चरल लेबर का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग नीचा है बनिस्बत इन्डस्ट्रियल लेबर के। चाहें आप अमेरिका की ही बात ले लीजिए, वहां के एग्रीकल्चर में काम करने वाले व्यक्ति का स्टेन्डर्ड इन्डस्ट्रियल लेबर की अपेक्षा काफी नीचा है। उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। उस आर्थिक स्थिति के खराब होने का कारण यह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार वहां भी माना है। काश्तकारी पर डिपेन्ड करने वाले आदमी चाहे उनका कलेक्टिव फार्मिंग हो चाहे वह कोऑपरेटिव बेसिस पर हो, अन्य लेबर की अपेक्षा वे नीचे हैं। वे व्यक्तिगत सम्पत्ति रख सकते हैं। आप रूस के अन्दर भी देख लीजिए सोशिलिज़्म में भी व्यक्तिगत सम्पति को स्थान दिया गया है। इसका मेन कारण यह है कि काश्त पर निर्भर करने वाले आदमी हैं उनकी स्थिति इन्डस्ट्रियल लेबर से खराब है।

२. म. प.

इस दृष्टिकोण से भी वहां ऐसा लिया है। इससे स्पष्ट है चाहे बड़े से बड़े केपिटलिस्ट कन्ट्री को ले लीजिये, केलीफोर्निया, वहां पर १०० में से १२ प्रतिशत ही काश्त पर निर्भर करते हैं। वहां पर काश्तकार की हालत अच्छी है। दूसरे में ३० प्रतिशत काश्तकार हैं। ज़मीन छोटी होने से उनकी हालत और भी बिगड़ जाती है। केवल ज़मीन पर रहने वालों की आर्थिक स्थिति जब तक ठीक प्रकार से ढंग की ज़मीन उनको नहीं देंगे, चाहे उसके लिए यहां के या किसी इन्टरनेशनल एक्सपर्ट को बिठा कर स्टेडी करा लीजिये, आर्थिक स्थिति खराब रहेगी। उसको सोशिलिज़्म, डेमोक्रेसी के किसी स्टेज पर लाइये, खराब रहेगी उसकी आर्थिक स्थिति। उन सारी बातों को देखते हुए जब हम सीलिंग की स्टेज़ पर आते हैं तो हम को एक साफ नकशा देना चाहिये। आज हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट एक वैलफेयर स्टेट हो, डेमोक्रेटिक स्टेट हो। काश्तकार भी आज हिन्दुतान का नागरिक है, आखिर उसके पास कितनी ज़मीन रहे। हमने कुछ कानून बनाये हैं, जागीर रिजम्शन किया है, जमींदारी रिजम्शन कानून पास किया है। सीलिंग का प्रश्न हमारे सामने आया। जब इसकी रिपोर्ट आयी तो हमने ले लिया था कि हमको छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना चाहिये कि समाज का आदमी ज्यादा धनी न बन जाय और बराबर रहे। मेरिड और अनमेरिड के लिए क्या रहेगी तो हम इस दृष्टिकोण से सोचने लगे हैं कि इन्डीविजुअल के पास कितनी रहे, हमारा मानस इन्डीविजुअल के लिए सोचने लग गया है। समाज के लिए क्या रहना चाहिये उस तरफ हम नास्तिक से बन गये हैं। केवल एक व्यक्ति के लिए ही सोचने लग गये हैं। राजस्थान की आज १॥ करोड़ की जनसंख्या है उसमें से एक करोड़ केवल काश्तकार हैं। २५ लाख के पास ही ज़मीन है। उनकी ज़मीन को लेकर आप यह चाहें कि इस प्रोब्लम को पूरा कर

Page No 61

(श्री मोतीलाल)

दिया जाय तो इससे कोई प्रोब्लम पूरा नहीं होगा। उनके पास से लेकर यही करना चाहते हैं कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको बांट दी जाय। इस दृष्टि से एक इन्डीविजुएलटी लाना चाहते हैं। एक तरफ तो आप सोशिलिज्म लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जिस आदमी का राइट नहीं है उसके लिए राइट क्रीयेट करके उसको दे दी जाय। इससे तो सोशिलज्म में बाधा पहुंचेगी। आज एक करोड़ आदमी इसके अगेन्स्ट हैं तो आगे जाकर १॥ करोड़ हो जावेंगे। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिस क्लॉज के ऊपर आपने अमेन्डमेन्ट दिया है........

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूँ कि सीलिंग लगाना चाहिये या नहीं, वे क्या चाहते हैं, क्या लैंडलैस को जो ज़मीन मिले वह नहीं देनी चाहिये, उनमें नहीं बांटनी चाहिये ?

श्री मोतीलाल : मैं उसी पर आ रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में आइये, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है।

श्री मोतीलाल : मेरा यह सुझाव है कि जो ज़मीन आये उसको लैंडलैस की कोऑपरेटिव बना कर दिया जाय ताकि एक लैंडलैस को ही न देकर सामूहिक रूप से दे सकें। इसी से समाजवाद आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : You are speaking on the whole Bill or on some specific amendment.

श्री मोतीलाल : I am speaking on the whole clause as well as other amendments.

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow others. You should be specific on the point.

श्री मोतीलाल : I beg your pardon Sir. I am coming to the point.

ऐसी स्थिति जब है तो हम उसमें जाते हैं। एक देश का नागरिक जो मेरिड और अन्-मेरिड है उसके पास ज़मीन होती है। मेरिड के पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ ज़मीन रहे और अन्मेरिड के पास १५ एकड़ ज़मीन रहे। यह मेरी समझ में नहीं आया कि अन्मेरिड रहे उसके पास ज़मीन इस तरह से क्यों रहे ? मान लीजिये कि एक किसान की डेथ हो चुकी है। उसके सात लड़के हैं। जो एक लड़का उसका मेरेड है उसके पास रहेगी ३० एकड़ और जो बाकी के ६ अन्मेरिड लड़के हैं उनके पास रहेगी पन्द्रह पन्द्रह एकड़। आज राजस्थान में किसानों की स्थिति यह हो रही है कि उनके लड़कों की शादी होना मुश्किल हो रहा है, सामाजिक स्थिति यह हो गई है कि सोना न दे, जेवर न दे तो उसको लड़की नहीं मिल सकती। मिडिल क्लास में तो लड़कियों की शादी नहीं होती और किसान समाज में लड़की नहीं मिलती। सौ में से ८० प्रतिशत ऐसे मिलेंगे।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : पांच पांच साल के की हो जाती है।

श्री मोतीलाल : अब बहुत कम होती

(श्री मोतीलाल)

हैं। उद्देश्य यह है कि कुछ लोगों ने ज़मीन को ट्रान्स्फर करके ज़मीन को कब्जे में अन्-मेरिड के नाम से रख ली है। उस ट्रान्स्फर को रोकने के लिए दूसरा क्लॉज देना चाहिये। और उस ट्रान्स्फर की स्थिति को कन्ट्रोल कर लेना चाहिये। जैसा दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सैंकड़ों बीघा ज़मीन रखी हुई है और शादी नहीं करना चाहते। उसके लिए बन्दिशें लगा दीजिये। ऐसे नमूने भी मिलेंगे कि काश्तकार के किसी लड़के के नाम से ज़मीन है, लड़का कॉलेज में पढ़ता है। यदि उस ज़मीन की कमाई से स्टेडी करता है तो कौनसा नुकसान करता है। यदि वह अच्छा नागरिक पढ-लिख कर बनेगा तो यह तो देश को ही फायदा होगा। और शादी करने के बाद इतनी ज़मीन हो जायेगी। तीन चार साल तक स्टेडी करे तब तक रहे और उसके बाद उसको एक्वायर कर लेंगे। कहां से फिर ज़मीन रहेगी और लेने के लिए रहेगी नहीं। इसलिए मेरा राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन है कि आज जो समाज की स्थिति है उसको देखते हुए वे अपना अमेन्डमेन्ट विड्रो कर लें। मान लीजिए कि कुछ लोगों ने ज़मीन को बांट दिया है, बेनाम पर ट्रान्स्फर कर दी है तो उस पर रुकावट डाल दीजिये। सन् ५७ की बजाय इसको ५३ से लागू कर दें। ऐसी स्थिति तो होनी ही चाहिये कि जो लड़के स्कूलों में पढ़ते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

श्री उपाध्यक्ष : Perhaps you will not like other members to be accommodated.

श्री मोतीलाल : मैं इतना ही कहता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्रीजी इसको विड्रो कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मुरलीधर व्यास से) मैं उम्मीद करता हूँ कि आप २.१५ पर भाषण समाप्त कर देंगे उसके बाद राजस्व मंत्री अपना उत्तर देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट माननीय राजस्व मंत्रीजी की ओर से रखा गया है इसमें कोई रहस्य है। उनके भीतर के रहस्य को समझना बड़ा मुश्किल है। यदि माननीय राजस्व मंत्रीजी पहले ही यह बता दें कि इसमें क्या रहस्य है तो यह मामला क्लीयर हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपने उत्तर में बता देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : जो अमेन्डमेन्ट रखा है उस पर जब मैंने विचार किया तो नहीं समझ पाया कि आखिर कितने ऐसे लोग रह जाते हैं जो कि कुंवारे रहते हैं, कितने ऐसे लोग रहते हैं जिनकी शादी हो जाती है और उसके उपरान्त भी उनकी ऐसी स्थिति रहती है कि बाद में लड़के के रूप में रहते हैं। इसको देखने के पश्चात् एक बात समझ में नहीं आई कि जहां फेमिली बनाने का सवाल है, तो परिवार में चाहे कुंवारा भी हो, विधवा स्त्री हो तो परिवार बनाने में कहां दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं आती। किसी लड़के को दत्तक रूप में लेकर भी परिवार बन सकता है। परिवार बनाने में क्या कठिनाई है। इसको आप पास करेंगे तब तक बहुत से लोग पूरा कर लेंगे। एक बात

Page No 63

(श्री मुरलीधर व्यास)

हो सकती है, ठीक बात है, इस प्रकार कुंवारे लोग जल्दी से जल्दी शादी करने की कोशिश करें और ज़मीन की भावना से ऐसा कर सकते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा प्लानिंग हैं उसमें हम चाहते हैं कि आबादी नहीं बढ़नी चाहिये, जिसको बड़ा महत्व भी दिया जा रहा है। यह भी हम प्रयत्न करते हैं कि आबादी कम हो लेकिन फिर भी इस प्रकार के कानून बनते हैं और उससे आबादी बढ़ने लगती है। कुछ लोग आबादी न बढ़े इसी भावना से चुपचाप बैठे हैं।

आपके कानून से इस प्रकार लोगों की औसतन संख्या कितनी होगी। परन्तु ऐसे लोगों की संख्या का हिसाब लोग जैसा मानते हैं वह यह है कि १।५ इस प्रकार के लोग रहते हैं जिनके संतान नहीं होती है। औसतन इस प्रकार से माना जाता है कि १।५ लोगों के संतान नहीं होती और अपन राजस्थान में एक करोड़ की आबादी मानें तो उस हिसाब से २५ लाख परिवार होते हैं। २५ लाख परिवार में से १।५ के हिसाब को ले लें तो २० लाख लोग ऐसे रहते हैं जिनकी संख्या ऐसे लोगों में आती है जिनके संतान नहीं होती। वे भी फेमिली में आ जाते हैं। लेकिन मैं यह कहूँगा कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक या दो बीघा से ज्यादा ज़मीन नहीं है और ऐसे लोग आपको करीब सेन्ट पर्सेन्ट नहीं तो ८० पर्सेन्ट अवश्य निकल जावेंगे जिनमें से किसी के पास एक एकड़ ज़मीन है तो किसी के पास दो तो किसी के पास तीन। इसका हिसाब धीरे-धीरे लगावें तो मैं यह कहूँगा कि जैसा मेरे अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि बहुत थोड़े लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास ज्यादा ज़मीन है। आप उनके लिये कानून बनावें तो आपको उनके लिए दिक्कत पैदा होगी और उस कानून का कोई हल नहीं है। हर आदमी आपके इस कानून को आसानी से तोड़ सकता है और इस कानून का फायदा उठा सकता है तो मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय राजस्व मंत्री ने किस भावना से यह रखा है और इससे उनको क्या फायदा होगा। इसके पीछे उनका क्या रहस्य है यह मेरी समझ में नहीं आया। इस पर कई संशोधन आये। मगर मैं यह कहूँगा कि इस पर बहुत से दूसरे संशोधन आये और नये परिवर्तन करने की बात थी उस पर अगर विचार करते और ऐसे संशोधन लाते जिससे वाकई में लोगों का हित होता और उन संशोधनों को मानते मगर आपने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि यह संशोधन इसलिये रखा गया है कि जिससे ऐसा मालूम होता है कि लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है उससे ध्यान हट जाए और ऐसी बातों में लग जावें कि और दूसरी बातों में लग जावें, जिससे हम करना चाहें वह न कर सकें। अगर यही रहस्य है तो अलग बात है अन्यथा इससे कोई मतलब नहीं निकलता है।

(समय सूचक घंटी)

मैं नहीं समझता कि इससे किसी प्रकार की सहायता मिलेगी। अगर इसके पीछे कोई रहस्य हो तो माननीय मंत्री महोदय बतावें। मैं उनसे यह निवेदन करूँगा कि वे इस संशोधन को वापिस ले लें तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व

Page No 64

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज ३३ पर आज तीन दिन से वाद-विवाद हो रहा है और काफी अमेन्डमेन्ट इस क्लॉज पर माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं। जब यहाँ पर सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई थी और उसके बाद में यह बिल पेश हुआ उस वक्त और इस बिल का इन्ट्रोडक्शन हुआ उसके बाद सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई उस पर तीन दिन जनरल डिबेट होने पर माननीय सदस्यों ने इस बात पर अपने विचार रखे हैं कि राजस्थान में अधिकतम सीमा, भूमि की क्या रखी जावे, इस पर अपने विचार व्यक्त किये और मैंने भी अपने जवाब में उस वक्त इस बात की कोशिश की थी कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है और उसके अनुसार ज़मीन की और लैन्ड लैस टिनेन्ट्स की स्थिति क्या है और हमें सीमा किस फार्मुला पर निर्धारित करनी चाहिये। जब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई थी मैंने उस समय भी बताया था कि किस आधार को लेकर ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का फार्मुला हमने रखा है।

अभी अभी दो दिन से बहस हुई उसमें खासे अमेन्डमेंट आये हैं। क्योंकि ३३ में यह प्रश्न है कि सीलिंग की सीमा क्या निर्धारित की जावे। जब सीलिंग कमेटी जो मुकर्रर हुई थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसने जो शिड्यूल रखा वह रखा जावे या सीलिंग की पहली रिपोर्ट थी उसके अनुसार रहे या ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रहे। बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने एक नया शिड्यूल पेश किया है और वे यह चाहते हैं कि उनके शिड्युल को मंजूर किया जावे और उसमें उन्होंने यह बताया है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ को रिप्लेस किया जावे। ऐसे अमेन्डमेंट पेश हुए हैं जिसमें अलग अलग इस बिल में अधिकतम सीमा सीलिंग की रखने के लिये कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जैसा कि बिल में है उसको न रखा जाकर उसके बजाय ३० एकड़ ही रखा जावे और वह भी पेरीनियल केनाल एरिया है, उसको चाही समझा जावे और और अलग अलग सुझाव हैं उसके रेट्स दिये हैं। दूसरे अमेन्डमेंट उसमें पेश हुए हैं जो ओरिजनल बिल के साथ में शिड्युल हैं उसको वापिस रेस्टोर किया जावे और जो सलेक्ट कमेटी ने शिड्यूल दिया है उसको स्वीकार नहीं किया जावे। तीसरा अमेन्डमेंट यह है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के बजाय १०, १५ और २० रखा जावे और ३० स्टेन्डर्ड एकड़ नहीं रखा जावे। उन्होंने फार्मुले को स्वीकार करते हुए ३० स्टेन्डर्ड के बजाय १०, १५ और २० को रखा है।

इसके अलावा एक और सुझाव आया है जिसमें बताया गया है कि सेटलमेंट रेट जो नेट १२० रु० की आमदनी की जमीन हो उसको माना जावे और इसके कुछ और अमेडमेंट भी आये हैं जो इसी प्रकार के हैं कि जिसमें अधिकतम सीमा मुकर्रर की जावे। जिसमें उन्होंने १० मन के गेहूँ की पैदावार को स्टेन्डर्ड नहीं रखा है और कहा है कि उसके बजाय २० मन को स्टेन्डर्ड रखा जावे। इस तरह से उनके कहने के अनुसार ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जो हमने रखा है उसके बजाय ६० स्टेन्डर्ड एकड़ होगा।

इस सम्बन्ध में तो सदन में दो तरह की राय है। एक तो यह कि पहले सीलिंग बिल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

में जो शिड्यूल-है उसको रेस्टोर किया जावे और दूसरा यह है कि सलेक्ट कमेटी ने जो शिड्यूल रखा है, रखा जावे और कुछ राय ऐसी भी हैं कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जावे। इस तरह से तीन तरह की राय पेश हुई हैं। मैंने कल एक अमेन्डमैंट पेश किया और उस पर बहुत दिलचस्प बहस हुई। मूलभूत बात इस क्लॉज में (३३) है उस पर मैं अर्ज करूँगा कि और राजस्थान में सीलिंग लगाना है और सीलिंग लगाने के सिद्धान्त को तो स्वीकार किया है और इसीलिये यह बिल सदन के सामने कन्सीडरेशन के लिये है। अब प्रश्न यह रहता है कि सीलिंग कितना लगाना चाहिये और कितने लैन्डलैस टिनेंट्स हैं। सीलिंग इम्पोज करना है कितनी भूमि काश्तकार के पास रहनी चाहिये इस पर निर्णय लेना है। मैंने पहले इस प्रकार की ज़मीन के बारे में आपसे चर्चा की। कई माननीय सदस्यों ने कहा की ३ करोड़ एकड़ ऐसी भूमि है कि लोगों की तादाद को देखते हुये यहाँ पर सीलिंग के लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बारे में कई बार बहस हुई है। मैंने बताया कि दरअसल लैन्डलैस टिनेन्ट्स की तादाद है उसको देखते हुए और जो हमारे पास ज़मीन है उसको देखते हुए यह जो ज़मीन जो हमारे यहाँ है और जिन जिन जगहों पर लैन्ड पर प्रेशर ज्यादा है उसको देखते हुए हमारे यहाँ पर सीलिंग लगाने की आवश्यकता है।

आज जितनी अनऑक्युपाइड लैंड है इसके आंकड़े सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में हैं। ये ५३।५४ के आंकड़े हैं। इसके बाद काफी अलॉटमैन्ट हुआ है।

तीन करोड़ एकड़ जिसको बतलाते हैं उसमें से ८० पर्सेन्ट तो ऐसी ज़मीन है जो डेजर्ट है। इसमें आज वहां पर पोपूलेशन नहीं है जो उसे काश्त कर सके। फिर वह ऐसी है जो अनप्रोडक्टिव है। उसमें खेती नहीं हो सकती और अगर कोई करने का साहस करे तो वह अनइकोनोमिकल होगी। इसे लोग कभी पसन्द नहीं करेंगे। अब २० पर्सेन्ट जो बची रहती है। मैंने कहा....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : कोरम पूरा नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

(गणपूरक घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : कोरम पूरा नहीं हो रहा है। इसलिये कार्यवाही स्थगित कर दें आज आज के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : I, therefore, adjourn the House in the absence of quorum till we will meet tomorrow at 11 A.M.

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही म० प० २ बजकर २५ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक ४ दिसम्बर, १९५९ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

———

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, ३ दिसम्बर, १९५९)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
ग्राम पंचायतों और तहसील पंचायतों के कुछ पंचों व सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही।	६८४	की योजना।	
सुजान गंगा नहर में हरी बेल की उत्पत्ति को रोकना।		टोडारायसिंह नगरपालिका का चुनाव।	
चन्द्रभागा प्रोजेक्ट।		बीकानेर के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर हुए पंडित नेहरू के भाषण का रेकार्ड।	
ग्राम नोनेरा (इटावा) में औषधालय खोलना।		लेबर वैलफेयर ऑफिसर्स की नियुक्ति के नियम।	
पशुपालन विभाग द्वारा श्री गुरुदत्त, शीप रिसर्च ऑफिसर के विरुद्ध हुई जांच की रिपोर्ट पेश किया जाना।		सुभाषनगर, अजमेर के निवासियों को बिजली की व्यवस्था।	
तहसील दौसा में इस वर्ष दवाखाने खोलने के बारे में।		बीकानेर तहसील की पंचायतों में शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के पंच नामजद किया जाना	
दौसा-लालसोट सड़क पर निर्माण कार्य।		पुलिस रेडियो विभाग में प्रमोशन का आधार।	
तहसील बाड़मेर की पंचायतें।		राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के खाद्य मन्त्रालय को सहकारी समितियों की सिफारिश न करके व्यापारियों की सिफारिश किया जाना।	
राजस्थान निर्माण से आज तक उदयपुर डिवीजन में बनी सरकारी विभागों की इमारतें।		न्यूनतम वेतन नोटिफिकेशन।	
राज्य में रेलवे का विस्तार।		रेगिस्तानी इलाकों को उपजाऊ बनाया जाना।	
मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण		दांतल और भाखरी पंचायतों के	

चुनावों के द्वारा आदेश।

फैक्ट्री एक्ट के तहत इन्सपेक्टर्स द्वारा फैक्ट्रीज का निरीक्षण एवं उन पर हुई कानूनी कार्यवाही।

सरकार द्वारा बिजली रेखा निर्माण, पावर सब-स्टेशन आदि सीमा अवधि में तैयार कर लिया जाना।

सरकार द्वारा सन् १९५२ से आज तक भंग की जाने वाली नगरपालिकायें।

विधायी कार्य

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८ ७०३

प्रवर-समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक के खण्ड ३, धारा ३० सी, पर आज भी बहस की गई जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिए:—

१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२. श्री बरकतुल्ला खां
३. श्री नरोत्तमलाल जोशी
४. श्री रामचन्द्र
५. राजा श्री मानसिंह
६. श्री जनार्दनराय नागर
७. श्री मदनसिंह
८. श्री हरिप्रसाद यादव
९. श्री महेन्द्रसिंह पंवार
१०. श्री भीमसेन
११. श्री मोतीलाल चौधरी
१२. श्री मुरलीधर व्यास

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, बहस का उत्तर दे रहे थे कि गणपूर्ति के अभाव में सदन की बैठक २ बजकर २५ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक ४ दिसम्बर, १९५९ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार दिनांक ४ दिसम्बर, १९५९ की कार्य-सूची

(१) पूर्वी बंगाल से आये हुए विस्थापितों के पुनर्वास सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव।

(२) राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८।

(अग्रेतर खंडशः विचार-विमर्श)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६ का उतर देखिये)

तालिका पंचायतों के सरपच एवं पंचान के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कैसेज रजिस्टर हुए

क्रम सं०	नाम पंचायत	नाम पंच अथवा सरपंच	जिला	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
१	२	३	४	५
१.	माथनिया	१) फूलसिंह, पंच	कोटा	चालान की स्वीकृति
		२) श्री नन्दा तेली, पंच		चालान २५–६–५६
		३) श्री डूला, पंच		
२.	गुढा	श्री रामस्वरूप, सरपंच	बून्दी	
३.	खारिया मीठापुर	श्री जोगाराम, सरपंच	चूरू	
४.	आटून	श्री भवानीसिंह, सरपंच	भीलवाड़ा	
५.	सांगानेर	१) श्री श्रीनारायण, सरपंच	जयपुर	चालान की स्वीकृति
		२) श्री अल्लाबक्स, पंच		चालान १३-६-५६
६.	कांवट	श्री दामोदरलाल, सरपंच	सीकर	
७.	त० पं० बीकानेर	श्री दीपाराम, पंच	बीकानेर	
८.	मुवाना	श्री तुलसाराम, सरपंच	गंगानगर	
९.	जण्डवाडा	श्री विचित्रसिंह, सरपंच	गंगानगर	
१०.	बूसी	श्री जसवन्तसिंह, पूर्व सरपंच	पाली	
११.	मुआना	श्री तुलसाराम, सरपंच		
१२.		श्री रामकिशन राठौर, सरपंच		
१३.	खेड़ली	श्री सज्जनसिंह, पूर्व सरपंच	सवाई माधोपुर	
१४.	गोलाना	श्री मोतीलाल, सरपंच	झालावाड़	

१	२	३	४	५
१५.	डाबला	श्री किशनलाल, सरपंच	जैसलमेर	
१६.	राशमी	श्री नाहरसिंह, सरपंच	चितौड़गढ़	
१७.	दूदवाखारा	श्री चोखराज, उप-सरपंच	चूरू	
१८.	विजय नगर	१) श्री अमरचन्द, सरपंच	गंगानगर	
		२) श्री मोतीसिंह, पंच		
		३) श्री खेमचन्द, पंच		
		४) श्री चतुर्भुज, पंच		
१६.	भिण्डर	श्री भगवतीलाल, सरपंच	उदयपुर	
२०.		१) श्री पूजाराम, सरपंच		
		२) श्री गोकल, उप-सरपंच		
२१.	अलौद	१) श्री बजरंगलाल, सरपंच	बून्दी	
		२) श्री रामचन्द्र, पूर्व सरपंच		
२२.	सोडा	श्री कल्याणबक्श, पूर्व सरपंच	टोंक	
२३.	नगर	श्री श्रीनिवास, सरपंच	टोंक	
		(कैस नं० २०२।५८)		
		(कैस नं० ६६।५६)		
२४.	रैयाटइन्डा	श्री पूर्णराम, सरपंच	चूरू	
२५.	सावला	श्री श्यामलाल	डूंगरपुर	
२६.	रायसरना	श्री चोजसिंह, पंच		
२७.	खेबान्दी	श्री गफूरखां, पंच	पाली	
२८.	सैरडा	श्री बहादुरराम, सरपंच	गंगानगर	
२६.		श्री राधाकिशन, सरपंच		
३०.	चणडावल	श्री दयालसिंह, पंच	पाली	चालान की स्वीकृति चालान २५-६-५६

१	२	३	४	५
३१.	बालेरा	श्री भाजेराम, सरपंच	चूरू	
३२.	मानपुरा माचेडी	श्री भगवानसहाय, सरपंच	जयपुर	
३३.	बनाथला	श्री नारायणसिंह, सरपंच	सीकर	
३४.	फलोज	श्री भानजी, पूर्व सरपंच	डूंगरपुर	
३५.	खुडियाला	१) श्री मूलसिंह, सरपंच २) श्री हनवन्तसिंह, सरपंच त० पं० शेरगढ़	जोधपुर	
३६.	गांगणी	श्री खुमाराम, पूर्व सरपंच	जोधपुर	
३७.	डबोक	श्री सुखलाल, सरपच	उदयपुर।	

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिये)

चंद्रभागा प्रोजेक्ट
(डिटेल्स)

माइनर हैड	सब-हैड	डिटेल्स-हैड	प्रस्ताव का अनुमान	अभी तक का व्यय
वर्क	१ हैड वर्क्स	(ए) प्रीलीमीनरी सर्वे और इन्वेस्टीगेशन	३,०००)	३,०००)
		(बी) जमीन, कुओं व मकानों का मुआवजा।	१,०४,१३०)	६५,०००)
		(सी) वर्क्स	१,६६,७५१)	२,२५,०००)
		(के) बिल्डिंग्स ए मकान वगैरह	१२,०००)	७,२००)
		(एल) अर्थ वर्क मिट्टी का गाम	३,८२,५१३)	५, ४०,०००)
		(ओ) मिससेलैनीयस	१०,०००)	५,०००)
	२ कैनाल	नहरे वगैरह	१,६७,२५०)	१,००,०००)
		कंटिनजैंसीज	२८,१६३)	६,४००)
		स्पेशल टूल और प्लांट्स	२५,०००)	—
		वर्कचार्ज	६,४१६)	१५,०००)
			६,०८,२३३)	६,६६,६००)
		अर्थात्	१,०८,२५०)	

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०६ का उत्तर देखिये)

तहसील बाड़मेर की पंचायतों की सभू मय अधिनस्थ ग्राम एवं आबादी

क्रम संख्या	नाम पंचायत	पंचायत क्षेत्र के अधिनस्थ ग्राम	जन संख्या	पंच ग्राम वड्राज	कुल पंच संख्या
१	२	३	४	५	६
१	विसाला	विसाला	१६१४	५	१०
		सोनड़ी	२४५	१	
		भाडरेस पुनासिया	४३६	१	
		भाडरेस अन्दप	४०२	१	
		भाड़वा	३८		
		धनिया	११०	१	
		तरसिगड़ी	३१६		
		तरसिगड़ा	६४	१	
२.	सियाणी	सियाणी	१२२७	४	६
		भदरू	११५	१	
		वख्ता की बेरी	१७	१	
		इन्दरोई	४६७	१	
		सावड़ा	४२३	१	
		बसरा	२३५	१	
		खीयाला	–		
		छ्वा	–		
		जापड़ू	४३३	१	

१	२	३	४	५	६
३.	आटी	आटी	७१०	२	७
		गुडीसर	४००	१	
		दुरुडा	३६६	१	
		दुरता	८५	१	
		मारूडी	३८२	१	
		लगेरा	४१३	१	
४.	जसाई	जसाई	८७७	३	८
		परा	३१५	१	
		जुना पत्थरासर	८७६	२	
		मिठडी खुद	२७५	१	
		आसव की बेरी	१६१	१	
		बीबड़ा	३६		
५.	खड़ीन	खड़ीन	१४५४	६	११
		आटा	२१८	१	
		खारा	६६०	२	
		भाछबर	५४६	२	
६.	बुटिया	बुटिया	३०६	१	७
		बीरमसर	२०८	१	
		पीराकापाट	१७४	१	
		पड़वा	२५१	१	
		कन्टल	११६	१	
		वादूसड़ी	—		
		अलारख का पाट	८५		

१	२	३	४	५	६
		आम का पाट	२६०	१	
		भाडनी का पाट	२००	१	
७.	रामसर	रामसर	१४२	५	६
		खरिया	८४५	२	
		बाबू गोलारिया	७७		
		बनवा	७६		
		खारमी	२८६	१	
		मोयहिया	४६		
		जालीला	६१		
		लसुवा	१२४	१	
		पाबू सरिया	८०		
८.	सेतराऊ	सेतराऊ	७७३	३	६
		कबीरों का तला	–		
		सालरिया	–		
		चाडाट मनरूप	३८६	१	
		डीडीया	६८		
		चाडी बांकलसर	७५३	२	
		बाकलसर	१६२		
		तामलीयार	७००	२	
		चाडार दिलणार	५३	१	
		थेरे का तला	२६		
९.	गागरिया	गागरीया	५३३	२	७

Page No 75

१	२	३	४	५	६
		कटालिया	१६६		
		नीलसर	१२०	१	
		सोडाई	६०		
		सुराली	२३०	१	
		विराट का पाट	१४७		
		जुतानिया का पाट	—		
		चाडवा मालानी	८०	१	
		दवाणिया का पाट	३२३	१	
		सुजावल का पाट	६०		
		गागीरया का पाट	१२८		
		अजब का पाट	४८		
		पांडी का पाट	२८६	१	
१०	धौरिमना	धौरिमना	१६६३	५	११
		मिठरा खुर्द	४३७	२	
		सिलगांव	८६		
		कातरला	५७३	२	
		बुअल	४६२	२	
११.	लौहुखा	लौहुखा	१२८०	४	६
		सुडाबेरी	२५२	१	
		भीमथल	५७५		
		खारोडी	१६६	१	
		कुड़ावा	४१०	१	
		आलम सरूया	३०८	१	

१	२	३	४	५	६
१२.	सनावडा	सनावडा	१६२६	७	१५
		कगाऊ	१०३४	३	
		हाथी तला	१२१०	२	
		रामदेरिया	४८०	१	
		लूठ जैठ मालौत	७६३	२	
१३.	गुडा मालानी	गुडा मालनी	१३६२	६	१२
		आलपुरा	३७७	१	
		सील्हू	४४		
		माली खाल	५४६	१	
		खडाली	३६६	१	
		तारासर	७३३	२	
		सनावड़ा कला	३६४	१	
१४.	भाखरपुरा	भाखरपुरा	६११	३	११
		कुंडा	७४		
		रतनपुरा	५६३	२	
		जुड़ी	६७		
		सिंधवा चौहान	४४०	१	
	भाखरपुरा	लूणवा चारणान	७८६	२	
		लुम्बावार	१०२	१	
		लुणवा	७२३	२	
१५	पादरली	पादरली	४६७	१०	१०
		गादेवी	१४४		
		गन्दप गलां	२०६		

१	२	३	४	५	६
		गन्दप खुर्द	२३६०	१	
		डागरियां	२७५	१	
		दैरी	२६६	१	
		डाबली	२१४	१	
		सिदासुवा हरणीया	५६३	२	
		वाटा	३६३	१	
१६	पिपराली	पिपरोला	११०३	४	१२
		सेली	३४४	?	
		डींमड़ी	१६५	१	
		हरराजका गोल	५८		
		तुन्जा बेरा	२३६		
		वीर चाटगान	३५७	१	
		धोल नाड़ी	१४१	१	
		राम जी का गोल	१५८	१	
		तेजीयावास	२०		
		कदरावी	१६१	१	
		सनावड़ा खुर्द	४५०	१	
		पनाली	६१		
१७.	अरणियाली	चैंनपुरा	३४४	१	१५
		खारी	८७५	३	
		अरणियाली	३३६	३	
		जेठमालोव	—		
		कवली	४६०	१	

१	२	३	४	५	६
		डवोई	३६४	१	
		आलेटी	१६३	१	
		माणकी	५४७	२	
		मोठड़ी कला	५६		
		रडू	१३०	१	
		आकली	६६	१	
		पुरासा	४२४	१	
		जावड़	८५		
		कोठाला	४३३	१	
		खाऊदा	२६०	१	
१८	जालिया	जालिया	४२४	१	८
		कपूरडी	५६६	२	
		डापा को ढ़ाणी	२५२	१	
		लूणू	४२४	१	
		गेहूँ	५८५	२	
		चूली	२८०	१	
१६.	बांदरा	बांदरा	१८४८	६	६
२०.	छीतर का पाट	छीतर का पाट	११२८	४	११
		कुरड की ढाणी	६०१	२	
		कोसरिया	६०३	२	
		चावला	११४२	३	

१	२	३	४	५	६
२१.	कवास	कवास माडपुरा	१३१३	४	८
		दूढा	८०२	३	
		माडापुरा साती	५५६	१	
२२,	वातू	वायतू पवाजी	१६७६	८	१४
		वायतु चीमनजी	१२६६	३	
		वायतु भोमजी	१७६७	३	
२३.	आकदड़ा	आकदड़ा	१८१६	६	८
		आकदड़ा खाद्ध	८५३	२	
२४.	कोलू	कोलू	१६४७	६	८
		मनावड़ा	८६३	२	
२५.	कनोड़	कनोड़	१२५७	–५	५
२६.		वाटाडू	३३२१	६	१५
		भीमड़ा	११२३	३	
		भाक	६६५	३	
२७	भाडला	भाडला	१५५०	७	
		रोहली	५४३	३	
		बोतिया ब्राह्मणान	५३		
		बोतिया जागीरदारान	१४०	२	
२८	आडेल	आडेल	१५२७	४	६
		छोट	६२३	३	
		नहरा की ढाणी	४११	२	
२६	खडाला	खडाला	७६६	२	११
		खरवा	२१६	१	

१	२	३	४	५	६
		भीयाणा	६०७	३	
		आम्बलीभाला	३४३	२	
		जाली खेड़ा	२७७	२	
		लोलावा	३२६	१	
		फलेरी	४४		
		गोलिया जयराज	२६७	१	
		ढकिया	३०६	१	
३०.	मडावला	मड़ावला	७१६	–१	१२
		दरखेडा	२७५	४	
		मायला कला	४८५	१	
		पायला खुर्द	६७०	३	
		भल भाड़ी	१४५	१	
		कोसलू	५६७	२	
		ढागावा	१५		
		सडा	८१३	१	
		लुना कला	४२४	२	
३१.	खाराढेर	खाराढेर	६४२	३	१३
		जूनाखेड़ा	८१३	२	
		भारा	६१४	३	
		चाड़ों की डाणी	८५३	२	
		गालानाड़ी	३७२	१	
		अमरापुरा	५७		
		बासनी	२६४	१	
		आराजीचाली	२५४	१	

Page No 81

१	२	३	४	५	६
३२.	सन्तरा	सन्तरा	११५८	४	११
		जूड़	३१७	१	
		जालमलीचा	६१		
		खारापार	२५६	१	
		मलवागोयला	३१६	१	
		मलवाचारणान	८८		
		चिड़ीया	१२३	१	
		मलवा जागीरान	२३३	१	
		दोलानी	३३७	१	
		घीवी	१६७		
		देवरा	३७	१	
३३.	परेऊ	परेऊ—	१३३७	५	१३
		कुपलिया	१००६	४	
		कालेवा	६५७	३	
		लामून्दरा चारण	६६१	१	
		लापून्दरा आदरा	१७२		
		लायून्दरा चौहान	१५		
३४.	खोखसर	खोखसर	१६६८	५	७
		रामरखिया	६८३	२	
३५.	दानतुरा	दानपुरा	४००	२	८
		जाकखड़ा	४०६	१	
		खारड़ा भरतसिंह	३१८	१	
		सामेसरान	४०६	१	

१	२	३	४	५	६
		थीसोडिया का पाना	२७७	१	
		नीमों की ढाणी	३६६	१	
		खारड़ा चारणान	२४८	१	
३६.	गीड़ा	गीड़ा	१०५५	४	१२
		सोडा का गोल	८१३	२	
		जाजवा	१०६५	३	
		उत्तरणी	६७८	२	
		चैनपुरा	२००	१	
		मालदेता	१४१		
३७.	सवाईपदमसिंह	सवाईपदमसिंह	२२४४	७	१२
		सवाईरावल जी	७१५	२	
		हींरा की ढाणी	७५८	२	
		पंचो की ढाणी	३०६	१	
		सूथला	७८		
३८.	रतेऊ	रतेऊ	१४४४	५	१३
		वतीबेसर	७७१	२	
		शहर	७६१	२	
		कसूमला सरदारसिंह	३०		
		कसूनला हरचन्द	२६७	१	
		कसूमला चारणान	३५		
		कसूमला नड़ेचा	३३६	१	
		कसूमला भांठिया	५५३	१	
३६.	भूरटीया	भूरटीया	१६३२	६	६
४०.	रावतसर	रावतसर	२३८६	६	१५

१	२	३	४	५	६
		सरली	३६१६	३	
		चवा	२६७६	६	
४१.	थिवकर	थिवकर	२३८१	५	१५
		महाबार	२१८६	६	
		कुरजा	१७६	१	
		कुडला	३	३	
४२.	राणीगांव	राणीगांव	११००	५	११
		उन्डला	१०४६	३	
		रडवा	३२३	१	
		बालेरा	४७६	१	
		पीडियों का बला	६६		
		वलाऊ	४०६	१	
४३.	गरल	गरल	६७२	३	१०
		मिठडा कला	११६५	३	
		बक्से का तला	२८५	१	
		नौख	५१३	२	
		खुडाला	४००	१	
४४.	मैहलू	मैहलू	६००	३	६
		मालपुरा	६००	३	
		गोलीया जेठमालीन	१०००	३	
४५.	सोभाला	सोमला बाडमेरिया	६२३	३	६
		सोमाला बाडमेरा	३३६	१	

१	२	३	४	५	६
		मागता	१०११	३	
		रौहला	७५३	२	
४६.	दाखा	दाखा	१४६२	५	७
		गोरलिया महेया	३१३	१	
		घनवा	५५०	१	
४७.	भूका	भूका तख्तसिंह	६१७	२	५
		नाकोड़ा	१६७	१	
		भूखा	३६६	१	
		करणा	३२७	१	
		दंड	१७		
		मनणावा	३८२	१	
४८.	डोडू	डोडू	२४६४	७	१५
		नीमल नोई	८५६		
		खारिया खुर्द	७३४	२	
		ऐड मानजी	२८३	१	
		ऐड सीन्धरी	६७६	२	
		ऐड अमरसिंह	८८		
४६.	सीणधरी	सीणधरी	८४५	३	१३
		गोदसरा	१३५	२	
		कमठाई	२४६	१	
		डडाली	६१८	२	
		राणोटा	१४८		
		ऐवाडा मानजी	१६३	१	

१	२	३	४	५	६
		ऐवाड़ा भीमजो	१८६	१	
		पाना एड सिधेरी	३५१	१	
		धना की ढाणी	४२७	१	
		बीलासर	३६		
		गागाली	१३६	१	
		सिहावरी चारणान	१७२	१	
		लोहीडा	१७६		
		नीमली	१४५		
		आवाड़ी चोसीरा	१४		
५०.	नाद	नाद	८०६	३	७
		सेमवो			
		दूदविरी	१५५	१	
		मलबा	१६३	१	
		सोखरू	३३६	१	
		सुरा चारणानी	४२०	१	
		सुरा नरपतान	७२		
		सुरा जाजेरडा	२५८		
५१,	नगर	नगर	१४२६	५	१२
		गोलिया गरय	२७६	१	
		मांगले की वैरी	२८६	१	
		धांधलवास	२७०	१	

१	२	३	४	५	६
		जुनी उदड़ी	४०४	१	
		नई उदड़ी	२८५	१	
		डेडावास	३५२	१	
		पांना शिवजी चारणान			
		गोलिया कला	३७८	१	
		माडावास भडेया	५६		
५२.	गगाला	गगाला	६१४	३	१०
		दूदवा खुर्द	६११	२	
		आकोड़ा	४५०	२	
		सलाऊ	५८३	२	
		उपरला		१	
५३.	वान्ड	वान्ड	११७०	४	८
		उंड़ासर	११०४	३	
		रांणासर	४५२	१	
५४.	देरांसर	देरांसर	१०६६	४	७
		भंवरलहि	१६३		
		चौथीय	८१	१	
		हरसावा	,२२		
		लाभराऊ	१०२		
		वौलो	४२१	१	
		कानोड़ा	१७८		

१	२	३	४	५	६
		मिठोसर	६०	१	
		केरवा	२३८	१	
५५.	नौसर	नौसर	१४६५	५	६
		भोजासर	४२७	१	
		आमजट			
		साजन की ढाणी	१७०		
		जरौला	२२		
		सेवन वाला	[illegible]		
		बावड़ी खुर्द	६१	१	
		गली कितमाला	६		
		गली चारणान	६७	१	
५६.	नौखड़ा	नौखड़ा	१३६७	घ ३	६
		सड़ेचा	४११	२	
		सांजिटा	१५२७	४	
५७	सरणू	सरणू	५८०	२	१३
		सरणूजी भीमजी	६६८	२	
		सरणूजी पनजी	४६२	१	
		सरणू चिमनजी	४६८	१	
		बोड़वा	८१५	३	
		खरहिया	६७१	२	
		भिथूलिया	११५	१	
		टाकी	४५४	१	
५८.	दूदू	दूदू	२०६७	६	११

१	२	३	४	५	६
		लूखू	६४७	४	
		कोजा	७५६	१	
५६.	पिंडा का पार	पिंडा का पार	१४७	१	६
		साजन का पार	३३८	२	
		मोमद का पार	१२		
		पुरपुड़ीया	४०	१	
		कला का पार	४५		
		तालीन का पार	५४		
		लखा का पार	६५		
		समेते का पार	६८		
		ना जो का पार	१२५		
		मेकरग वाला	२८०	१	
		अबेर का पार	१६६	१	
		जुन्त फकीर	२६६	१	
		बना की बस्ती	४४		
		गरधा	६६६	२	

परिशिष्ट 'अ'

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०६ का उत्तर देखिए]

APPENDIX (A)

LIST OF EDUCATIONAL BUILDINGS COMPLETED AFTER THE FORMATION OF RAJASTHAN.

S. No.	Name of Buildings.	Amount Plan Expdr.	Amount Non Plan Expdr.	Remarks
1.	Construction of Dining Kitchen & Lavatory block at M. B. College Hostel.	—	8,651/-	
2.	M. B. College Hostel.	—	1,45,158/-	
3.	M. B. College Science Block.	—	81,174/-	
4.	A/A in Lambardar High School, Udaipur.	—	51,515/-	
5.	Nani Gali Girl's School, Udaipur.	—	7,388/-	
6.	M. B. College Chemistry Block.	—	30,104/-	
7.	Fateh High School Compound Wall.	—	11,627/-	
8.	Adivasi School.	—	23,643/-	
9.	Completion of Biology Block at M. B. College.	—	2,960/-	
10.	Certain Works at M. B. College.	23,995/-	—	
11.	Certain Works at High School, Salumber.	2,878/-	—	
12.	—do— Kanod.	2,082/-	—	
13.	Fateh High School Hall, Udaipur.	79,062/-	—	Work in progress.
14.	A/A to Girls' College, Udaipur.	36,168/-	—	„
15.	M. B. College Kitchen, Boundary Wall & 2 Rooms.	56,842/-	—	„

१	२	३	४	५
16.	High School, Salumber.	7,329/-	—	Work in
17.	M. P. High School, Nathdwara.	1,46,601/-	—	progress
18.	Fateh High School Two Rooms.	23,539/-	—	"
19.	Two Rooms at Deogarh.	8,620/-	—	"
20.	Middle School, Bhopalsagar.	12.891/-	—	"
21.	Store Rooms Arms & Ammunition.	5,500/-	—	"
22.	Purchase of Sajjangarh, Udainiwas Palace & portion of Bari Mahal.	10,000/-	—	"
23.	Purchase of Residency Building.	2,74,750/-	—	"
24.	Two Rooms K. P. High School, Udaipur.	5,082/-	—	"
25.	Purchase of land for M. P. High School, Nathdwara.	15,000/-	—	"
26.	Girls College, Udaipur.	5,76,581/-	—	"
27.	Certain Works Lambardar High School.	16,606/-	—	"
28.	Six Rooms at K. P. High School, Udaipur.	25,871/-	—	"
29.	Middle School, Bhinder.	8,638/-	—	"
30.	Amet Secondary School.	15,745/-	—	"
31.	Three Rooms at High School, Deogarh.	10,668/-	—	"
32.	Verandah over Chabutra at M. P. High School Nathdwara.	12,079/-	—	"
33.	2 Rooms at High School, Salumber.	9,509/-	—	"
34.	2 Rooms at Middle School, Kherchi.	8,341/-	—	"
35.	Polytechnic Buildings.	2,57,797/-,	—	"

१	२	३	४	५
36.	M. P. School, Nathdwara, (Addition of Urinal.)	2,085/-	—	-do-
37.	M. B. College Certain Works.	1,21,496/-	—	-do-
38.	Acquisition of land for Amet School.	500/-	—	-do-
39.	Middle School, Kanod.	5,341/-	—	-do-
40.	Old Science Block, M. B. College.	22,086/-	—	-do-
41.	Misc. Works at M. B. College, (Chowkidar's Qrs.)	6,476/-	—	-do-
42.	A/A Basic S. T. C. School, Goverdhan Vilas, Udaipur.	9,331/-	—	-do-
43.	Workshop Polytechnic.	31,681/-	—	-do-
44.	Roads at Polytechnic.	34,457/-	—	-do-
45.	Five Motor Garrages at Polytechnic.	10,951/-	—	-
46.	9 Class IV Servant Quarters at Polytechnic.	19,776/-	—	-
47.	Acquisition of land for Polytechnic.	27,496/-	—	-
48.	Govt. Middle School, Kanod.	4,823/-	—	-
49.	Govt. School, Intali.	4,582/-	—	-
50.	A/A to old Jail Building Nathdwara for Girls School, Nathdwara.	22,907/-	—	-
51.	A/A to Garrage for housing the Polytechnic.	9,265/-	—	-
52.	M. B. College, Closing of Verandah.	2,437/-	—	-
53.	Class Room for Tutorial's 4 Nos.	21,912/-	—	-do-
54.	Site Museum at Ahor.	23,732/-	—	-do-

१	२	३	४	५
55.	Constn. of 4 "E" type quarters for Lecturers in Govt. Girls College, Udaipur.	49,914/-	—	-do-
56.	Completion of Main Hall to Shri Ram High School at Pratapgarh.	2,719/-		-
57.	Middle School, Arnod.	1,537/-	—	-
58.	Primary School at Bigod.	996/-	—	-
59.	Middle School at Raja Ka Khera.	2,970/-	—	-
60.	High School, Banera.	4,883/-	—	-
61.	Primary School, Banera.	971/-	—	-
62.	Constn. of compound wall for Inder College, Bhilwara.	4,407/-	—	-
63.	A/A to Govt. College, Bhilwara.	22,531/-	—	-
64.	Constn. of Degree College, Bhilwara.	2,20,175/-	—	Work in progress.
65.	High School Banera A/A (2 rooms).	11,529/-	—	-
66	High School, Shahpura. A/A.	16,625/-	—	-
67.	Middle School, Begun.	25,934/-	—	-
68.	Middle School, Doongla.	10,124/-	—	-
69.	Completing School Buildings, Raja Ka Khera.	11,568/-	—	-
70.	A/A to S. T. C. School, Shahpura.	13,126/-	—	-
71.	A/A to Girls High School, Bhilwara.	10,091/-	—	-
72	Addition of 2 rooms in H. S. at Banera.	11,858/-	—	Work in progress.

१	२	३	४	५
73.	Constn. of Class Room & Laboratory for Scince Course, at High School, Shahpura.	54,648/-	—	Work In Progress
74.	-do- for Agriculture Course, -do-	21,444/-	—	—
75.	-do- for Commercial group at Pratapgarh.	21,029/-	—	—
76.	-do- for Science Block at H.P.at -do-	33,632/-	—	-do-
77.	A/A of 3 Rooms in Govt. H. S. Nimbahera.	13,949/-	—	—
78.	Govt. High School, Chittor, (A/A).	13,000/-	—	—
79.	-do- Addition of 2 Rooms more.	17,200/-	—	—
80.	Repairs etc. G. H. Banera.	1,660/-	—	—
81.	A/A in H. S. College, Bhilwara.	10,855/-	—	—
82.	Constn. of 3 Rooms in High School, Sagwara.	11,419.57	—	—
83.	Addition of 2 Rooms in Girls High School, Dungarpur.	9,479.39	—	—
84.	Animal Shed & Verandah in M.P. High School Dungarpur.	19,595.70	—	—
85.	Addition of 3 Rooms in H. S. Sagwara.	12,549.10	—	—
86.	Constn. of 2 Rooms in H. S. Banswara.	6,378.82	—	-do-
87.	Constn. of 2 Rooms in H. S. Dungarpur.	10,402.18	—	—
88.	Govt. College, Banswara, (Well)	705.00		
89.	Govt. High School, Garhi, (Banswara).	2,000.00		—

१	२	३	४	५
	FOREST BUILDINGS			
90.	Constn. of Office for Ranger and Forester at Bhensorgarh.		9829/-	—
91.	-do- Pratapgarh.	—	10873/-	—
92.	-do- Forest Guard Quartessrt Bhichore.	—	1483/-	In progress.
93.	-do- -do- Kanera.	—	4950/-	-do-
94	-do- -do- Bassi.	—	1485/-	-do-
95.	Purchsse of Jaisamand Palace Second.	50.000/-	—	—
96.	Constn. of Ranger and Forst Office at Kherwara.		7803/-	
97.	Constn. of Ferest Guard Qrs. at Kherwara.	—	4189/-	
98.	Constn. of Forest Gaurd Qrs. at Parshad.	—	4834/-	
99.	Constn. of Quarters for Forest Guard, Jhadol.	2,552/-	—	
	POLICE BUILDINGS			
100.	A/A to Dy. S. P. Office, Chittore.	—	5056/-	—
101.	A Class P. S. at Bari Sadri.	—	48206/-	—
102.	A -dc- Kapasin.	—	45084/-	—
103,	'B' -do- Cangrar.	—	44579/-	—
104.	-do- Bijaipur.	—	56170/-	—
105.	-do- Salamgarh	—	48162/-	in progress
106.	-do- Bagaur.	—	60076/-	—

Page No 95

१	२	३	६	५
107.	-do- Badnore.	—	62644/-	Work in
108.	-do- Dhamoter	—	31170/-	progress
109.	-do- Mandal.	—	85591/-	do
110.	-do- Hamirgarh.	—	49217/-	—
111.	-do-Constn. of PoliceLines Bhilwara	—	187466/-	—
112.	-do- Moter Garage,	—	4062/-	—
113.	Armour Shop -do-	—	2989/-	—
114,	A' Class in Raipur.	—	53500/-	—
115.	Constn. of Quarters for Inspector at Police Lines, at Bhilwara.	—	10329/-	—
116.	Barraks for Dhobies and Barber including Latrine for 10 Nos.	—	25844/-	—
117.	Barrack for Sweepers in P. L. Bhilwara.	—	13937/-	—
118.	Latrines for lines in Block of 6 Nos. (Flush type).	—	20148/-	—
119.	Constn. Police Line, Aspur.	—	60000/-	—
120.	Constn. of P. S. Jhadol.	71688/-	—	—
121.	-do- Deogarh.	57075/-	—	—
122.	-do- Madpur (Panerwa)	75195/-	—	—
143.	-do- Railmagra.	50179/-	—	—
124.	-do- Bhinder.	57064/-	—	—
125.	-do- Kurabad.	50495/-	—	—

१	२		३	४	५
126.	-do-	Phalasia.	54,7,52/-	—	—
127.	-do-	Amet.	58,337/-	—	—

MEDICAL BUILDINGS.

118.	Completing of Maternity Hospital, Shahpura.	—	10,867/-	Work in
139.	Veterinary Hospital, Bhilwara.	—	49,585/-	Progress
130.	Compound wall for M. G. Hospital, Bhilwara.	8,942/-	—	"
131.	A/A to Wards in Hospital, Bhilwara.	35,209/-	—	"
132.	'B. Class Bungalow for D. M. H. O. Bhilwara.	32,911/-	—	"
133.	Dispensary at Gulabpura.	24,321/-	—	"
134.	A/A to Distts. Hospital, Pratapgarh.	8,327/-	—	"
135.	-do- Bhilwara.	9,277/-	—	"
136.	X-Ray Block in Distt. Hopital Pratapgarh.	13,845/-	—	"
137.	Compounder, Nurses and IV Servants Qrs. at Pratapgarh.	13,625/-	—	"
138.	-do- Bhilwara.	14,973/-	—	"
139.	2 Nurses and Compounders Qrs. in Distt. Hospital Bhilwara.	21,188/-	—	"
140.	Ad 20 Bedded ward in Distt. Hospital, Bhilwara.	2,448/	—	"
141.	A/A to Banera Dispensary Repaire to Dr. Quarters.	8,667/-	—	"

१	२	३	४	५
142.	Constn. of Lady Doctors Qrs. Simalwara.	11275.05.	—	—
143.	Constn of Isolation Ward in Genl. Hosp. Dungarpur.	15230/-	—	—
144.	Certain Works in General Hosp. Dungarpur.	37634.12	—	—
145.	District Hospital Banswara, A/A	8613/-	—	—
146.	Conston. of Public Health Laboratory at Banswers.	1395.90	—	—
147.	T. B. Clinic at Banwara-	39091.26	—	—
148.	A/A in Distt. Hospital, Bānswara, one female ward of 14 beds.	13956.90	—	—
159.	Dispensary at Ghatol	29091.26	—	Work in progress
150.	Children Ward Basment Floor.	—	6041/-	—
151.	Waste Water Drinage.	—	18947/-	—
152.	Isolation Block.	—	41124/-	—
153.	Nurses Flat,	—	48200/-	—
154.	Constn. of out patient block at Genl. Hospital, Udaipur.	285825/-	—	—
155.	T. B. Sanatorium, Bari.	77034/-	—	—
156.	Improvement to Genl. Hosp. Udaipur.	77725/-	—	—
157.	Constn. of 120 beded ward at Genl. Hosp. Udaipur.	445158/-	—	—
158.	Constn. of ward over terrace of 60 beds.	87697/-	—	—
159.	P. H. Laboratory at Genl. Hosp Udaipur.	16034/-	—	—
160.	Zenana Hospital, Udaipur.	612226/-	—	—

१	२	३	४	५
161.	T. B. Clinic at Udaipur.	41990/-	—	Work in
162.	Dispensary at Dhariawad.	306984/-	—	Progress
163.	Isolation block at Genl. Hospital Udaipur.	32333/-	—	"
164.	Constn. of garage at -do-	4705/-	—	"
165.	Constn. of Sweeper's Quarters etc.	15136/-	—	"
166.	Constn. of Remaining part of Dispy. Amet.	9974/-	—	"
167.	A/A building of Primary Health Centre, Rajsamand.	9709/-	—	"
168.	Constn. of T. B. Sanitorium, works.	339502-	—	"
179.	Urinal for Maternity Hospital, Udaipur.	2097/-	—	"
170.	Primary Health Centre at Railmagra.	13942/-	—	"
171.	Plastering Depp. X-Ray Room.	4876/-	—	"
	PUBLIC HEALTH BUILDINGS.			
172.	Primary Health Centre at Kapasin.	9012/-	—	"
173.	-do- Bagour.	18317/-	—	"
174.	Constn. of Primary Health Centre, Sagwara.	24928/-	—	"
175.	-do- Chinch.	4307/-	Work in progress.	
176.	-do- Kushalgarh.	3642/-	—	—

APPENDIX (B)

LIST OF EDUCATION, FOREST, POLICE & MEDICAL BUILDINGS WHICH ARE PROPOSED TO BE COMMENCED BY THE END OF THE SECOND FIVE YEAR PLAN.

S. No.	Name of the Building.
1.	Govt. Girls Middle School, Chittorgarh.
2.	Govt. High School, Asind.
3.	-do- Kotri.
4.	-do- Doongla.
5.	Govt. Higher Secondary School, Bhadesar.
6.	-do- Mandal.
7.	-do- Phulis.
8.	Govt. Multipurpose High School, Chittore.
9.	Govt. High School, Badnore.
10.	-do- Arnod.
11.	-do- Barisadri.
12.	-do- Rashmi.
13.	Basic S. T. C. School, Shahpura.
14.	Govt. Girls School, Shahpura.
15.	Govt. High School, Raipur. A/A.
16.	High School Borisadri
17.	-do- Chhoti Sadri.
18.	Middle School, Gangapur.
19.	Girls School, (Middle) Shapura.
20.	Govt. High School, Kapasin.

१	२
21.	A. A. in the Govt. High School, Raipur.
22.	High School, Choti Sadri doors to six rooms.
23.	High School, Bari Sadri. (flooring & providing shutters & doors).
24.	Middle School, Gangrar.
25.	Girls Middle School, (Providing doors and windows.)
26.	Govt. High School, Kapasin (A/A of Rooms & Verandahs).
27.	Flooring & ceiling of old Block Railmagra School.
28.	Certain Works at M. P. High School, Nathdwara.
29.	-do- K. P. High School, Udaipur.
30.	-do- Girls Primary School, Fatehnagar.
31.	Re-roofing Hall at School, Fatehanagar.
32.	Constn. & A/A of M. B. College.
33.	Hostel for 240 students of Polytechnic.
34.	Three quarters at Polytechnic for Wardons.
35.	Extension of Sanskrit Pathshala, Nathdwara.
36.	Govt. Girls College, Udaipur.
37.	Govt. M. P. School, Nathdwara.
38.	Govt. High School. Bambora.
39.	-do- Railmagra.
40.	-do- Vallabhnagar.
41.	-do- Gogunda.
42.	-do- Kelwara.

१	२
43.	-do- Chawand.
44.	Govt. Higher Secondary School, Charbhuja.
45.	Govt. H. S. Deogarh.
46.	-do- Mavli.
47.	-do- Amet.
48.	-do- Delwara.
49.	Basic S. T. C. School, Goverdhanvilas (Udaipur)
	POLICE BUILDINGS.
50.	Residential Quarters for Police Stations Buildings at Chittorgarh.
51.	-do- Jahazpur.
52.	-do- Kotri.
53.	-do- Rashmi.
54.	-do- Bhainsrorgarh
55.	Constn of Police Station, Dhariawad.
56.	-do- Gogunda.
57.	-do- Bakaria.
58.	-do- Sarada.
59.	Residential quarters for police station buildings at Chhoti Sadri.
60.	-do- Bijolia.

MEDICAL BUILDINGS.

१	२
61.	Constn. of 20 T. B. Isolation Beds at Pratapgarh.
62.	„ 50 Beded Hospital, Chittorgarh.
63.	Constn. of staff quarters for Zenana Hospital, Bhilwara.
64.	Providing Elect. fans & fittings at Mahatma Gandhi Hospital, Bhilwara.
65.	Constn. of side room for Mahatma Gandhi Hospital, Bhilwara.
66.	Provincial T. B. Hospital at Bari (Certain more works).

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११२ का उत्तर देखिये)

NAME OF THE ROUTES TO BE NATIONALISED.

1. Jaipur-Delhi.
2. Jaipur-Ajmer.
3. Jaipur-Kotah.
4. Ajmer-Kotah.
5. Jaipur-Beawar.
6. Jodhpur-Sirohi.
7. Jodhpur-Nagore-Bikaner.
8. Kankroli-Ahmedabad via Udaipur.
9. Jaipur-Agra via Bharatpur.

NAME OF THE ROUTES NOTIFIED.

1. Jaipur-Delhi.
2. Jaipur-Amber.
3. Jaipur-Alwar.
4. Alwar-Delhi.
5. Jaipur-Ajmer.
6. Jaipur-Kishangarh
7. Kishangarh-Ajmer.
8. Jaipur-Kotah.
9. Jaipur-Sanganer.
10. Jaipur-Chaksu-Newai-Bansthali-Tonk-Deoli.

11. Kotah-Bundi.

19. Bundi-Deoli.

13. Kotah-Deoli.

14. Ajmer-Kotah.

15. Ajmer-Nasirabad.

16. Nasirabad-Deoli.

17. Ajmer-Deoli.

18. Ajmer-Dhelwara.

19. Alwar-Mathura.

शुद्धि-पत्र

(३ दिसम्बर १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
६९७	३	पशु पालन द्वारा	पशु पालन विभाग द्वारा
७१२	१५	अछीं	अच्छी
७१३	अन्तिम से ८	इम्पोटेंट	इम्पोर्टेन्ट
७१४	,, से ५	अर	और
७१७	अन्तिम	has	this
७१८	अन्तिम से २	एक्सरटेशन	एक्स्टेन्शन
७२१	८	कहां	कहा
७२७	१	पेल	पेल
७२८	५	श्री भीमसेन	११९ श्री भीमसेन
७२८	४	टोको	टोबेको
७३३	१७	मत्री	मन्त्री
७३४	१३ व अन्तिम से ४	परिवत्तित	परिवर्तित
७३४	अन्तिम से १०	रिर्पा	रिपोर्ट
७५०	१३	सुभाव	सुझाव
७५१	१५	सेक्टिरी	सेक्रिटरी
७५७	२०	स्टेटिस्टिटिक्स	स्टेटिस्टिक्स
७५८	अन्तिम से ४	बकार	बेकार
७६२	शीर्ष	२ दिसम्बर	३ दिसम्बर ५९
७६२	१८	toteation	toleration
,,	अन्तिम से ११	Hon hle	Hon'ble
७६४	१६	keet	Keep
७६६	४	this	hits
,,	८	a right	alright
७७६	१०	transfeared	transferred
७८१	२२	हाल	हल

१	२	३	४
७८२	अन्तिम से १०	जिसको	जिसका
७६०	५	श्री हरि प्रसाद याद (व)	श्री हरिप्रसाद यादव(
७६१	६	सेटिल	सेटिलमेन्ट
७६३	२०	हो।	होता
७६४	२	होना जाना	हो जाना
७६६	अन्तिम से ७	वीघा	बीघा
८०५	,, ,, ५	सौ मैं से	सौ में से